राजस्थान विधान सभा का कार्य–विवरण

अङ्क १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का २९वां दिवस [संख्या १९

मंगलवार, २२ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री रामनारायण वर्मा।

बूढ़ादीत (त० बड़ोद) में श्रीजी की मूर्ति का खण्डन

२७३. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम बूढ़ा- ... तहसील बड़ोद में श्रीजी की अति प्राचीन ... खंडित कर दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त घटना की इन्क्वायरी थाना बूढ़ादीत द्वारा की गई है ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। चोरो का पता न चलने के कारण कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

प्रश्न संख्या २७४

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २७५

श्री भैरोंसिंह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २७६

श्रीमती सुमित्रा।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय।

पंचायत निर्माण में जनसंख्या मापदण्ड

२७७. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या किसी स्थान पर पंचायत बनाने या न बनाने के बारे में सरकार द्वारा जनसंख्या आदि का कोई मापदंड निर्धारित किया हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

(२) ग्राम पचायत कवाई तथा मोटपुर की जन–संख्या कितनी है ?

(३) क्या किन्हीं दो पंचायतों को तोड़ कर एक नवीन पंचायत के निर्माण पर तीनों पंचायतों का पुनर्निर्वाचन आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.2

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) लगभग पांच हजार की जनसंख्या पर।

(२] मोठपुर पंचायत क्षेत्र की जन संख्या ६२६१ तथा कवाई की ४११८ है।

(३) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक बार कृपया तीसरे भाग का उत्तर और बोल दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका प्रश्न था कि क्या किन्हीं दो पंचायतों को तोड़ कर एक और तीसरी नवीन पंचायत के निर्माण पर तीनों नवीन पंचायतों का पुनः निर्वाचन आवश्यक है ? मैंने इसका उत्तर दिया है, "जी नहीं।"

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कवाई पंचायत और मोठपुर की पंचायत को तोड़कर जो एक किन्हीं की नई पंचायत बनाई गई है उसमें कवाई और मोठपुर की पंचायत का दुबारा चुनाव कराने के आदेश दे दिये हैं; यानी तीनों पंचायतों के ही पुनः चुनाव होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न तो आपने नया पूछा है। लेकिन यह बात ठीक है कि दुबारा चुनाव कराने के आदेश दिए गये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह पुनः चुनाव कराने के आदेश किस आधार पर दिये गये हैं जब कि इस बारे में किसी प्रकार के नियम ही नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने यह पूछा है कि क्या पुनः निर्वाचन आवश्यक है ? और मैंने उत्तर दिया कि आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेन्ट दफा ८६ में ऐसा कर सकती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : किस आधार पर कर सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने पहले ही कह दिया है कि पंचायत एक्ट की दफा ८६ के आधार पर सरकार ऐसा कर सकती है।

प्रश्न संख्या २७८

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास।

बिजली-वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त सिक्योरिटी डिपोजिट्स

२७९ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी): क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने बिजली—वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज न देने का फैसला किया है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

विद्युत उप-मंत्री (श्री भीखाभाई): (क) पब्लिक वर्क्स फाइनेन्शियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स तथा जनरल फाइनेन्शियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स में इस विभाग में सिक्योरिटी की बाबत जमा कराये रुपयों पर ब्याज देने के लिए कोई प्रोवीजन न होने के कारण ब्याज नहीं दिया जाता फिर भी उन नियमों में उसका प्रोवीजन है कि यदि कोई उपभोक्ता अपनी

Page No.3

(श्री भीखाभाई)

जमानत की जमा को इन्टरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में बदलवाना चाहे तो इसके लिए प्रार्थना कर सकता है और अपनी जमानत की जमा रकम की धारा ४२० जनरल फाइनेन्शियल एन्ड अकाउंट्स रूल्स के अन्तर्गत इन्टरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ के रूप जैसे पोस्ट ऑफिस केश सर्टीफिकेट्स इत्यादि में बदल सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस सम्बन्ध में जो रकम जमा होती है तो क्या उसका कुल व्याज होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह एवं विद्युत मन्त्री) : व्याज देने का रूल में कोई प्रोवीजन नहीं है। यह तो कॉन्ट्रेक्टर के डिस्क्रिशन पर है कि इन्टरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ के रूप में जमा करा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो रकम होती है उसका इन्टरेस्ट कहां जमा होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो गवर्नमेन्ट ट्रेजरी में जमा रहता है।

प्रश्न संख्या २८०

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुदयाल पुरोहित।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

ग्राम सांचोर में चैत सुदी ११ को लगने वाला पशु-मेला

२८१. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गांव सांचोर, जिला जालोर में क्या अप्रेल (चैत सुदी ११) में कोई पशु-मेला लगता है ?

(२) क्या वहां पीने के पानी की सख्त कमी है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए भविष्य में क्या प्रबन्ध करने का विचार किया है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) हां

(२) हां। यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इस मेले को सरकार की तरफ से रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस वर्ष सरकार की तरफ से पानी के लिए कितने रुपये खर्च किये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार की तरफ से पानी का खर्च नहीं दिया गया था। अभी तो लोग खुद ही पानी के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या पानी पर पैसा खर्च करने का सरकार अब प्रोवीजन करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आखिर में जब लोग थक जायेंगे तो सरकार को ही करना पड़ेगा।

श्री मदनसिंह : आपने इसके लिए कोई व्यवस्था रखी है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको इस मेले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। लोगों ने अपने इनिशियेटिव से ही इसको चालू किया है। लोग जब थक जायेंगे तब सरकार करेगी।

श्री सरदारसिंह : क्या सरकार आयन्दा साल के लिए इन्तजाम करेगी, अगर जनता की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं किया गया तो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेला भरवाना है और पशुओं की ब्रीडिंग को इम्पीटस मिलता है इसलिए सरकार तो इसको करेगी ही।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला श्रोत्रिय।

न्यायालयों में महिला मजिस्ट्रेट्स एवं जजेज़

२८२. **श्रीमती कमला श्रोत्रिय** (भीलवाड़ा) : क्या न्याय मन्त्री यह जानकारी देने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान राज्य के न्यायालयों में स्त्रियों की सुविधा के लिये मजिस्ट्रेट व जजेज़ इत्यादि पदों पर कितनी महिला न्यायाधीश नियुक्त हैं ?

न्यायमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इस समय तक राजस्थान में मजिस्ट्रेट, मुन्सिफ या अन्य जजों के पद पर कोई महिला न्यायधीश नियुक्त नही है।

एक माननीय सदस्य : जो नाबालिग या छोटे बच्चे हैं उनके लिए महिला मजिस्ट्रेट नियुक्त की जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस सवाल का इससे क्या संबंध है ?

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह : प्रश्न संख्या २७१........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २८३ पूछिये।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले तो बात करते रहते हैं।

बाड़मेर में बदबूदार व गन्दा नरकासर तालाब

२८३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बाड़मेर नगर के बीचोबीच नरकासर नामक भयानक बदबूदार और गन्दा तालाब है ?

(२) क्या यह सही है कि उसका पानी न तो कोई मवेशी पी सकती है और न कोई व्यक्ति ?

(३) क्या यह सही है कि उसमें अधिक देर तक भैंसें रह जायं तो वे भी मर जाती हैं ?

(४) क्या भूतपूर्व जोधपुर रियासत के समय में जन-स्वास्थ्य विभाग ने इसे हटाने की योजना बना ली थी ?

(५) उक्त योजना को क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया ?

(६) क्या सरकार इस नरकासर को बाड़मेर से हटाने का विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.5

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) जी हां

(ख) जी हां

(३) जी नहीं ।

(४) कोई योजना नहीं बनी ।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(६) म्युनिसिपल बोर्ड की ऐसी कोई योजना नहीं है क्योंकि बाड़मेर में पानी की भारी कमी है ।

श्री तनसिंह : मैंने यह अनुभव किया है कि इसको हटाया नहीं जा रहा है । और आगे यह भी कहा गया है कि वहां का पानी इतना गन्दा है कि इस पानी में यदि भैंसें भी चली जायें तो मर जायं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसीलिए तो इसका नाम नरकासर है ।

श्री तनसिंह : तो क्या इस नरक से पानी को नहीं हटायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो परम्परा से चला आ रहा है इसलिए इसको कायम रखा जा रहा है ।

श्री तनसिंह : तो इसका मतलब यह हुआ कि गन्दगी वहां से हटेगी ही नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां का पानी पीने के काम नहीं आता है । यह तो छीपियों के काम आता है । इससे वह रंगाई और धुलाई करते हैं ।

श्री सरदारसिंह : तो यह तालाब परम्परा से चला आ रहा है, तो क्या इसको हटाने के लिए सरकार प्रयत्नशील नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम तो प्रयत्नशील हैं लेकिन पब्लिक इसके खिलाफ है ।

श्री तनसिंह : तो क्या इसका यह मतलब माना जाय कि कुछ लोगों के कपड़े धोने और रंगाई करने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है सरकार इससे अवगत नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर छीपियों के ५०० परिवार जो हैं वहां रंगाई करते हैं उनका रोजगार खत्म करना ठीक नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या रोजगार बनाये रखने के लिए सरकार कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकती, ताकि इस गन्दे पानी के तालाब को हटाया जा सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पानी की कमी है इसलिए यह दिक्कत है ।

श्री तनसिंह : आप यह कहते हैं कि कोई योजना विचारणीय नहीं है, तो क्या मैं यह समझूं कि जिस दिन कि पानी की बहुतायत होगी उस दिन यह हटा दिया जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब पानी की दिक्कत ही नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है ।

श्री तनसिंह : यदि पानी की कमी पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि बाड़मेर की जनता को नरकासर की बदबू सूंघते रहने को मिलेगी ?

(कोई उत्तर नहीं)

प्रश्न संख्या २८४.

Page No.6

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण

गत पांच वर्षों में राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध दायर हुए भ्रष्टाचार के मुकदमे

२८५. **श्री शिवचरण दास** (मांडल) : क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध गत पांच वर्ष में कितने भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए तथा कितने व्यक्ति दंडित किये गये ?

(२) निरपराध घोषित होने पर कितने व्यक्तियों को घर बैठे तनख्वाह देनी पड़ी तथा इस प्रकार दी गई तनख्वाह की राशि कितनी है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में जो सूचना चाही गई है वह एकत्रित नहीं हो सकी है, इसलिये इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता ।

श्री तनसिंह : यह माननीय मन्त्री महोदय के निर्णय का प्रश्न नहीं है कि यह प्रश्न बड़ा है, यह तो माननीय अध्यक्ष के निर्णय का प्रश्न है । एक बार जब इस सवाल को ले लिया गया है तो उस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय रूल्स के अन्तर्गत, जब पन्द्रह दिन पहले उनके पास आ गया था, तो इसका उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह नहीं कहा कि जवाब नहीं दिया जायगा । मैंने कहा यह प्रश्न लम्बा है, इसकी सामग्री इस समय तक उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : आप इसकी लम्बाई कब पूरी कर लेंगे ?

श्री तनसिंह : इसको आगे रखने का विचार है तो बता दें । यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री रामकिशोर व्यास : महत्वपूर्ण सवाल ही यहां पूछे जाते हैं, लेकिन आज वक्त सवाल ऐसे होते हैं कि उनके उत्तर देखे जायं तो बहुत लम्बे होंगे; जैसे इसी सवाल को ले लीजिये, राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध गत पांच वर्षों में कितने भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए तथा कितने व्यक्ति दंडित किये गये । इसके लिये सारी जगहों से सूचना मंगानी पड़ेगी और इसमें गजटेड और नोन गजटेड सभी कर्मचारी आ जाते हैं । इसलिये थोड़े अर्से में इसका जवाब नहीं आ सकता ।

श्री तनसिंह : आगे इसको कब रखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा ।

श्री शिवचरणदास : आप कोई अवधि बता सकते हैं कि इसका उत्तर कब तक मिल जायगा ?

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर की आय में से ग्रामों में व्यय होने वाली धन-राशि

२८६ **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

(क) क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जयपुर में जो आय होती है वह ग्रामों के अनुपात से व्यय की जाती है ?

(ख) क्या कई ग्राम ऐसे भी हैं जहां अब तक कुछ भी खर्च नही किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(ग) क्या भविष्य में जिस ग्राम की जितनी आय है उसके अनुपात से वहां व्यय करने की व्यवस्था की जावेगी ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) जिला बोर्ड की आय अधिकतर ग्रामों से होती है, किन्तु ग्रामों के अतिरिक्त कस्बों से भी, जहां से भूमि राजस्व वसूल किया जाता है, होती है। आवश्यकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से व्यय जिले के ग्रामों में ही किया जाता है, किन्तु कहीं कहीं कस्बों में भी अन्य स्वायत्त संस्थाओं को निर्माण कार्यों के लिये सहायता दी जाती है। जिले के सभी ग्रामों में अनुपात से रुपया खर्च किया जाना सम्भव नहीं है, किन्तु यह प्रयत्न किया जाता है कि जिला बोर्ड द्वारा किये गये व्यय तथा संचालित संस्थाओं से जिले के सभी ग्रामों को लाभ पहुंच सके।

(ख) जिन जिन ग्रामों से जिला बोर्ड द्वारा औषधालय, स्कूल, वाचनालय आदि खुलवाने एवं निर्माण सम्बन्धी अन्य सहायता दिये जाने के प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, उनमें उपयोगिता को देखते हुये स्वीकृत बजट के अनुसार यथासम्भव सहायता दी जाती हैं। जिन गांवों से ऐसे कोई प्रार्थना पत्र नहीं आते हैं उनमें रुपया खर्च नहीं किया जा सका।

(ग) इस प्रश्न का उत्तर 'ख' में आ चुका है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह: मेरा यह निवेदन है कि जिस जिस जगह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए आमदनी आती है तो वह उसी अनुपात से हर गांव में सभी जगह खर्च की जानी चाहिये। मैंने देखा है, हजारों गांव ऐसे हैं जहां कुछ भी खर्च नहीं हुआ है।

श्री नाथूराम : यह तो सुझाव दे रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस सम्बन्ध में यही कोशिश की जाती है, जहां खर्च की आवश्यकता है वहां से प्रार्थना-पत्र भेजने चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो निर्माण कमेटी बतायी गई उसके कोई सदस्य भी हैं या नहीं ?

पाली तहसील की सहकारी समितियां एवं उनको ऋण

२८७. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली तहसील में कितनी सहकारी समितियां हैं तथा उनमें से कौन कौन सी वस्तुत: कार्य कर रही हैं ?

(ख) क्या उक्त समितियों को सरकार द्वारा ऋण दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

मन्त्री, सहकारी विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राजस्थान निर्माण के पूर्व पाली में १३ छोटे पैमाने की सहकारी समितियां थीं, तत्पश्चात् अब तक १६ विभिन्न प्रकार

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की केन्द्रीय एवं छोटे पैमाने की नई सहकारी समितियां खोली गई।

(२) जो समितियां कार्य कर रही हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जिन सहकारी समितियों ने ऋण के लिये आवेदन-पत्र अर्पण किये उन्हें ऋण संबन्धित सहकारी बैंक से दिया गया है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) जिन बहुधन्धी सहकारी समितियों ने ऋण के लिये आवेदन-पत्र अपूर्ण किये थे उन्हें ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंक से दिलवाया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा ; यह ऋण कब दिलवाया जा चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हर एक की अलग अलग तारीख में मेरे पास नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : पिछली तारीख बता दीजिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सही तौर से मैं बता नहीं सकता।

श्री मूलचन्द डागा : सूची भी मुझको नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : सूची आ गई है और वह नोटिस ऑफिस में है। माननीय सदस्यों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिनके प्रश्नों के लम्बे उत्तर हों उनकी सूची नोटिस ऑफिस में जाकर ले लेनी चाहिये।

भीमगंज मंडी कोटा में जूआ रोकने के शासकीय प्रयत्न

२८८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि आज-कल भी भीमगंज मंडी कोटा में खुले आम रात्रि को जुआ खेला जाता है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उसे रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह चोरी से होता है जब खुले आम नहीं है तो ?

श्री रामकिशोर व्यास : चोरी से तो होता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस सम्बन्ध में पता है कि चोरी से होता है तो क्या कार्यवाही हो रही है उसे रोकने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, पता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या कार्यवाही होती है रोकने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुन लीजिये। गये आठ नौ महीनों में १२ रेड (raid) ऑर्गेनाइज़ किये थे जिसमें ८५ आदमी अरेस्ट हुए, बाकी का चालान किया गया, २५ को सजा हुई और बाकी के मुकदमे जेर अदालत हैं।

Page No.9

श्री दयाकृष्ण विजय : ये जो व्यक्ति पकड़े गये वे खुले आम जुआ खेलते हुए पकड़े गये या चोरी से............

श्री रामकिशोर व्यास : बात यह है कि बाजार में तो कोई जुआ खेलता नहीं है, चोरी-छुपके खेलते हैं। पुलिस ऐसी जगहों का पता लगाती है और उनको पकड़ती है और चालान करती है।

एक माननीय सदस्य : क्या रमी खेलना भी जुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो राय का सवाल है।

प्रश्न २८९—

श्री अध्यक्ष : श्री मोडूलाल।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित होने के कारण प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री लक्ष्मीचन्द।

सांचौर में १९४८—४९ में नियुक्त राशनिंग एजेन्ट्स

२९०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या खाद्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला जालोर के गांव सांचोर में सन् १९४८-४९ में कितने स्टाफ राशनिंग एजेन्ट मुकर्रर किये गये ?

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक उनके कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार उस विषय में शीघ्रातिशीघ्र कदम उठायेगी ?

उप-खाद्य मंत्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) :

(क) सांचोर में सन् १९४८—४९ में हरखचन्द अनरूपराज स्टाफ राशनिंग एजेन्ट नियुक्त किये गये थे।

(ख) हां।

(ग) हिसाबात की जांच की जा रही है। आशा है, निर्णय शीघ्र हो जावेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : इन अनरूपराज का कितना क्लेम था आपके यहां पर ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी हां, स्टाफ राशनिंग से ताल्लुक रखने वाला एक ही केस है जिसमें इनको २३२ मन और कुछ सेर अनाज दिया गया गया था।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि इनके ७,१३२ और १३,६०५ रू० के क्लेम थे, उनमें से पांच हजार रुपये का पेमेन्ट हो गया स्टाफ राशनिंग के बारे में ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : स्टाफ एजेन्ट जिनको मुकर्रर किया गया था उनका एक ही केस है, दूसरे क्लेम्स हो सकते हैं इस बात की आप जानकारी दे रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में मालूम करने पर ही कुछ कह सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : इनको अभी तक पेमेन्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : इसका कारण यह था कि इनको २३२ मन अनाज

(श्री ऋषभचन्द धारीवाल)

बेचने के लिये दिया गया था और उसमें से इन्होंने १०० मन अनाज बेचा, बाकी का अनाज सरकार ने खुद ने बिकवाया। जो अनाज उन्हें बेचने के लिये दिया गया उसमें ३०मन अनाज की कमी होगई। उनका कहना यह था कि इस कमी को सरकार दे। इस पर उनके कमीशन की रकम होती है। अनाज की कीमत ज्यादा होती है बनिस्पत कमीशन की कीमत के। इसलिये मामला तय नहीं हो सका है; एग्रीमेन्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके लिये तहसीलदार जांच कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या इस सम्बन्धी सब एग्रीमेन्ट्स मिल गये हैं ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : अभी तक नहीं मिले हैं, तहसीलदार के यहां से कुछ इन्फोर्मेशन मिली है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : यह एग्रीमेन्ट किस अधिकारी के पास मिलने चाहिये ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह सिविल सप्लाइज़ महकमे के पास होने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या इस सम्बन्ध में सिविल सप्लाइज़ विभाग से यह रिपोर्ट ले ली गई है क्योंकि उनके पास इस सम्बन्धी एग्रीमेन्ट अवेलेबल नहीं है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : इस एग्रीमेन्ट के बारे में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह उस कार्यालय में दस्तयाब नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या आपके पास यह रिपोर्ट आ गई है कि यह एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : सिविल सप्लाइज़ में यह एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं था, इस बारे में तहसीलदार से मालूम किया गया है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : अभी आपने बताया कि सिविल सप्लाइज़ में यह अवेलेबल होना चाहिए था, जब वहां से नकारात्मक उत्तर मिला तो फिर उस एग्रीमेन्ट को तहसीलदार कैसे अवेलेबल करेगा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : एग्रीमेन्ट तो वे खुद नहीं बता रहे हैं, उनके पास भी उसकी कॉपी होनी चाहिये। उसी की एक कॉपी सिविल सप्लाइज़ में रहती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह मामला कब तक तय हो जायगा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जल्दी से जल्दी तय करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : सन् १९४८ से यह मामला चल रहा है। अभी तक तय नहीं हो पाया है, अब और कितना अर्सा लगेगा इसके तय होने में ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : मैंने कहा जल्दी हो तय कर दिया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : जल्दी से आखिर मतलब क्या है ? कितने अर्से में आप तय कर देंगे ?

Page No.11

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जिला बीकानेर में निर्माण होने वाली सड़कें

२६१. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किस किस मार्ग पर कितनी सड़कें निर्माण करने की योजना है और उनका अनुमानिक व्यय क्या है ?

(२) क्या सरकार जनता की मांग पर उसमें परिवर्तन करने को तैयार है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) साधारणतया नहीं, क्योंकि योजना जन-हितार्थ ही बनाई गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या २६२

श्री अध्यक्ष: श्री मनोहर कोठारी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

कृषि कालेज उदयपुर द्वारा स्टाफ पूर्ति का विज्ञापन

२६३. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या उदयपुर कृषि कॉलेज के प्रिन्सिपल ने स्टाफ के अभाव की पूर्ति हेतु हाल ही में विज्ञापन निकाला है ? क्या इसी प्रकार के अधिकार प्रिन्सिपल कृषि कॉलेज, जोबनेर, को भी दिये गये हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार शीघ्र ही स्टाफ की पूर्ति किये जाने के अधिकार प्रिन्सिपल, कृषि कालेज, जोबनेर को देगी ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :—

(क) जी नहीं, अभी कोई आज्ञा नहीं दी गई है। प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) राज्य सरकार इस विषय में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा यह निवेदन था कि एक तरह से उदयपुर के कृषि कॉलेज को शुरू हुए अभी दो-तीन साल ही हुए हैं, वहां के प्रिन्सिपल को अधिकार है कि वह अपने यहां के स्थानों के लिये विज्ञापन निकाले, तो इसी प्रकार के अधिकार जोबनेर कृषि कॉलेज को क्यों नहीं दिये जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह भाषण का समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न भी आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या सरकार की यह जानकारी में है कि जोबनेर कृषि कॉलेज में स्टाफ की कमी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह (१४) : तो इसकी पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई निर्णय लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लिया है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : कब लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जल्दी ही लिया है, थोड़े दिन ही हुए लिया है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : कौन सी तारीख को ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख तो याद नहीं, पर थोड़े ही दिन पहले लिया गया है कि इस स्टाफ की कमी को पूरा किया जावे। पी० एस० सी० के पास सिलेक्शन के लिये कागज भेज भी दिये गये हैं। पी० एस० सी० कार्यवाही कर रही है।

प्रश्न संख्या २६४

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

बारां नगरपालिका को पॉवर हाउस निर्माण हेतु एक लाख रुपया

२६५. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि बारां नगरपालिका को १ लाख रुपया पॉवर हाउस के निर्माण के लिए दिया गया है ? यदि हां, तो कब कब और किन किन शर्तों पर ?

(ख) क्या इस नगरपालिका के पास इस हेतु लगभग ८०, ००० रु० और रिजर्व डिपोजिट हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि बारां में अभी तक पॉवर हाउस का निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(घ) क्या बारां नगरपालिका से उपरोक्त रकम का अब तक कुछ सूद प्राप्त हुआ है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) नगरपालिका बारां को सरकार द्वारा १, ४६, ०००) रुपये पॉवर हाउस के निर्माण हेतु नीचे लिखी शर्तों पर ऋण रूप में दिया गया है।

(१) ऋण पर व्याज की दर ४½ प्रतिशत होगी।

(२) ऋण मय व्याज ३५, ००० रु० सालाना में वसूल किया जावेगा। पहली किश्त पॉवर हाउस चालू करके नगरपालिका को देने के एक साल पश्चात् शुरू होगी।

(३) पॉवर हाउस सरकार के पास अमानत रूप में जब तक सारी रकम अदा नहीं हो जाती, रहेगा।

(४) बिजली की दरें सरकार द्वारा स्वीकृत की जावेंगी।

(५) नगरपालिका एक बोर्ड पॉवर हाउस के चलाने हेतु बनायेगी; उसके दो मेम्बर सरकार के होंगे।

(६) नगरपालिका इस ऋण हेतु एक ऐग्रीमेंट भर कर सरकार के पास भेजेगी।'

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। प्रशासक, नगरपालिका बारां ने कार्य शुरू होने के पहले कुछ जानकारी चाही है। जानकारी प्राप्त होने पर पॉवर हाउस का कार्य प्रारम्भ कर दिया

Page No.13

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जावेगा। कुछ तो टेक्निकल स्टाफ देर से उपलब्ध होने तथा कुछ आवश्यक सामान न मिलने के कारण अभी तक स्कीम कार्यान्वित नहीं हो सकी है।

(घ) जी नहीं।

श्री सरदारसिंह : नगरपालिका बारां की सालाना आमदनी क्या है साहब ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जबानी याद नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : पॉवर हाउस के अब तक नहीं बनने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अपने जवाब में अर्ज किया; रुपया विजली विभाग में जमा करा दिया है और अब इन्जीनियर का अपोइन्टमेंट भी हो गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कर्जा किस आधार पर दिया जाता है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सोहनलाल भटनागर।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली लगने वाले क्षेत्र

२६६. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५००० से ऊपर की आबादी वाले कस्बों में बिजली लगाई जावेगी ?

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से कस्बे हैं जिनमें बिजली लगायी जायेगी ?

(ग) इनमें से अब तक कितने में बिजली लगाई जा चुकी है और कितने कस्बों में लोड सर्वे हो चुकी है ?

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले में सलूम्बर कस्बे में भी विद्युतिकरण किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(क) हां। ये वे कस्बे हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं।

(ख) सूची है। सदन की मेज पर रक्खी जा रही है।

(ग) इनमें से किसी भी कस्बे का विद्युतिकरण नहीं किया गया है। अभी तक तारांकित कस्बों का हो लोड सर्वे हो चुका है।

(घ) उदयपुर जिले के सलूम्बर गांव के लिये वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या जो लिस्ट दी गई है सारे ही कस्बे इसमें आ गये हैं जिनकी आबादी ५००० की है ?

श्री भीखाभाई : नहीं।

श्री सोहनलाल भटनागर : तो सब में लगाने की योजना है तो यह किस तरह से सही है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा है कि तारां-

Page No.14

(श्री भीखाभाई)

कित जो कस्बे हैं उनमें ही बिजली लगाई जावेगी इसलिये कि या तो वे बिजली की लाइन के पास में हैं या पॉवर हाउस के नजदीक हैं।

श्री जयसिंह राणावत : (घ) का उत्तर नहीं मिला, साहब।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम पंचायत खुर्री (तहसील लालसोट) द्वारा मेले में वसूल किया जाने वाला टेक्स

२९७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम पंचायत खुर्री (तहसील लालसोट) द्वारा मेलेमें जो टैक्स वसूल किया जाता है वह किस हिसाब से लिया जाता है ?

(ख) क्या ग्राम पंचायत में इस प्रकार के कोई बाई—लॉज़ बने हुए हैं ?

(ग) अब तक कुल कितना टैक्स वसूल हुआ और वह किस प्रकार खर्च किया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ताः (क) प्रति दुकान पर चार आने से पांच रु० तक वसूल किया जाता है। पंचायत की बैठक दिनांक २०-३-५५ में जो प्रस्ताव पास किया उसके अनुसार टैक्स लगाया गया है। कोई बाई—लॉज नहीं बना रक्खे हैं।

(ग) १५४४ रुपये टेक्स से वसूल हुआ। १०६१) रु० टंकी निर्माण में और ३४७) रु० प्याऊ में खर्च हुए और १३६) रुपये बचत में रहे।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि सभी मेलों में इसी तरह के टैक्स वसूल किये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो पंचायतें तय करती हैं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या यह सही है कि इन टैक्सों के बारे में सरकार से कोई स्वीकृति ली गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें टैक्स की कोई बात नहीं है बल्कि यह उसकी प्रोपर्टी है, किराये पर वह दे सकती है। इसमें स्वीकृति का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि टैक्स लिया जाता है या नहीं ? अगर टैक्स लिया जाता है तो क्या सरकार से अनुमति ली गई या नहीं ली गई है ?

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं हमसे इजाजत नहीं ली।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसको किराया मानूं या टैक्स ? मैं प्रश्न करता हूँ टैक्स के बारे में और उत्तर मिलता है किराये के बारे में ?

श्री अध्यक्ष : क्या मानें और क्या नहीं, यह तो आपकी मर्जी है। आपने जो बात पूछी, उस का उत्तर दे दिया। नेक्स्ट।

मेड़ता सब डिविजन में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने सम्बन्धी

२६८. **श्रीमती गौरीपूनिया** (डेगाना) : क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या मेड़ता सब-डिविजन में अभी तक एक भी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) इस वर्ष राष्ट्रीय विकास सेवा खण्ड किन किन नियमों के आधार पर खोले गये हैं ?

विकास मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) सामुदायिक योजना मन्त्रालय द्वारा सीमित संख्या में ही ग्राम सेवा योजना खण्ड स्वीकृत किये जाते हैं। सभी स्थानों पर एक साथ ग्राम सेवा योजना खण्ड खोले भी नहीं जा सकते। यही कारण है कि मेड़ता सब डिविजन में ग्राम सेवा योजना खण्ड अभी नहीं खोला जा सका है।

(ख) ग्राम सेवा योजना खण्ड खोलने के नियम प्रतिवर्ष तब्दील नहीं होते हैं। साधारणतया वे वही हैं जो कि सदन में कई बार निवेदन किये जा चुके हैं।

जिला जल बोर्ड्स के सदस्यों व पदाधिकारियों की नामजदगी

२६९. **श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ़) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान जल बोर्ड के अन्तर्गत जिला जल बोर्डों के सदस्यों व पदाधिकारियों को नामजद किये जाने का कोई नियम है ? यदि हां, तो यह नामजदगी किस आधार पर की जाती है ? क्या ये नामजदगियां राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि अलवर जिला बोर्ड के वैतनिक सेक्रेटरी मिडिल स्कूल के हैडमास्टर का कार्य भी करते थे ?

(ग) क्या यह सच है कि उनके खिलाफ जिला बोर्ड में कुछ गबन के आरोप थे और इस कारण उन्हें सेक्रेट्री पद से हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्या इस गबन की आरोप की जांच भी कराई गई है ?

(घ) क्या यह ठीक है कि गत एक वर्ष से अलवर जिला जल बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या इन दिनों कार्य बन्द रहा और यदि हुआ तो किसके अधिकार से ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) कोई नियम नहीं है किन्तु जिले के संसद सदस्य, विधान सभाई व अन्य रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं को शामिल कर बोर्ड प्रत्येक जिले में १५ सदस्यों की एक जिला कमेटी का गठन करता है जिसकी सलाह व देखरेख में सारे काम का संचालन होता है। सरकार कोई सदस्य मनोनीत नहीं करती।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कार्यकर्त्ताओं की क्या डेफीनिशन है ? क्या कांग्रेस के ही कार्य कर्त्ताओं को कार्यकर्त्ता समझ कर रखा जाता है ?

Page No.16

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, जो काम करने वाले हैं सभी को रक्खा जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो फिर हमारे टोंक डिस्ट्रिक्ट में जल बोर्ड में दूसरी संस्थाओं के एक भी आदमी क्यों नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप बतावें, स्पेसिफिक इन्स्टान्स, तो विचार किया जा सकता है।

श्रीमती गंगादेवी : अलवर जल बोर्ड के मेम्बर हैं या जो सेक्रेटरी चुने गये हैं, उनको क्या बोर्ड ने चुना है या किसी और ने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिला की कमेटियाँ बनाई गई थीं उनकी सिफारिश पर, अनोनिमस सिफारिश पर सेन्ट्रल बोर्ड से मनोनीत किया गया।

श्री भैरोंसिंह : इसके मन्त्री इस समय कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रामदयाल वर्कल हैं।

श्री भैरोंसिंह : पहले मिडिल स्कूल के हैड मास्टर मन्त्री थे, उनको इस पद से क्यों हटाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इनके खिलाफ जलबोर्ड ने प्रस्ताव पास करके सरकार से सिफारिश की थी कि इन्होंने बोर्ड के रुपयों का गबन किया है, इन पर मुकद्दमा बनाया जावे और इन्हें यहां से हटाया जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है और इस वक्त जो मन्त्री हैं उनके हाथ का लिखित प्रस्ताव आया है और उनके द्वारा हटाया गया है; क्या यह सच नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है और मैंने मन्जूर किया है।

श्री बहादुरसिंह : क्या यह सच नहीं है कि मौजूदा जो मन्त्री हैं उन्होंने पिछले····

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्रीमती गंगादेवी : जो इस वक्त फिलहाल मन्त्री हैं उनके हाथ की लिखित चिट्ठी मेरे पास मौजूद है। आप उसे देख सकते हैं और देखकर आप निर्णय कर सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने खुद ने इस्तीफा मन्जूर किया है। लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे। उनको यूनेनिमसली बोर्ड ने तय किया था और जिस तरह के प्रस्ताव की आप बात कहते हैं वैसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : रामेश्वरजी टांटिया और बद्रीप्रसाद जी सोढाणी ने जांच करके यह तय पाया कि इन्होंने गबन किया है, क्या यह सही नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के पास कागजात

Page No.17

(श्री भैरोंसिंह)

आये हैं और जिससे दुबारा मांग की गई है कि इनकी दुबारा माँग की गई है जांच की जावे, क्या यह सही नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : स्कूल के हैडमास्टर वे थे और इसमें काफी समय उनको देना पड़ता था, इस पर भी क्यों सरकार ने उनको बोर्ड का मन्त्री बनाना ठीक समझा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक आदमी बहुत से काम कर सकता है।

श्री गोकुलचन्द : क्या यह सही है कि उनके हैडमास्टर रहते हुए पूरी स्कूल के संचालन का भार था; उनको १५०) रु० वेतन मिलता था, पर उनके लिए बोर्ड में काम करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितने समय की आवश्यकता थी उतने टाइम आते थे वह।

श्रीमती गंगादेवी : क्या जो पिछले मन्त्री थे उन्होंने बराबर कन्टीन्यु किया ? क्या वे अब भी हैड.मास्टर हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मुझे पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस वर्ष जिला जल बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जवाब दिया कि गलत है।

श्री सूबेदारसिंह : क्या यह सही है कि १७ मार्च, १९५६ को सदन में माननीय मंत्री महोदय ने उन्हीं सेक्रेटरी के बारे में मना कर दिया था कि वे हैडमास्टर नहीं थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने सुना नहीं।

(हंसी)

श्री सूबेदारसिंह : माननीय अध्यक्ष, १७ मार्च, १९५६ को माननीय मन्त्री महोदय ने सदन में मना कर दिया था कि जो सेक्रेटरी थे वे हैडमास्टर पहले नहीं थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्रीमती गंगादेवी : आपने कहा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्रीमती गंगादेवी : आपने ऐसा कहा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

अनेक माननीय सदस्य : आपने ऐसा कहा था।

(शोरगुल, घंटी)

श्रीमती गंगादेवी : अध्यक्ष महोदय, १७ मार्च, ५६ की कार्यवाही आप देख सकते हैं। उन्होंने सदन के सदस्यों के समक्ष नहीं कहा था ?

श्री अध्यक्ष : और कोई प्रश्न पूछिये।

Page No.18

श्री दयाकृष्ण विजय : जल बोर्ड में इस प्रकार के सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं....

श्रीमती गंगादेवी : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : उसका जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा, "नहीं कहा"; मना किया है। आप कहते हैं, "दिया"; तो उसका क्या जवाब दिया जाय?

श्रीमती गंगादेवी : साल भर से बोर्ड की बैठक नहीं हुई है तो उसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन मीटिंगें हुई ; एक ता० ५-३-५६, १०-५-५६, (अश्रव्य)

श्री मतीगंगा देवी : प्राइवेट कर ली जाती है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन कलेक्टर होता है।

श्री गोकुलचन्द : अभी मन्त्री महोदय ने फरमाया कि इसमें विधान सभा के सदस्य होते हैं। पिछली बैठक हुई थी उसमें एम. एल. ए. को नहीं बुलाया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुरानी ही कमेटी है। अभी नयी नहीं बनी है।

श्रीमती गंगादेवी : ५ मार्च, सन् ५६, को मीटिंग हुई और उसके बाद सन् ५६ से २६ अप्रेल, ५७ को हुई। आप बताते हैं कि साल में तीन मीटिंग्स हुई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीखें बता दीं कि फलां फलां तारीखों को मीटिंगें हुई।

श्रीमती गंगादेवी : सदस्यों के पास एजेण्डा जाता है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो कलेक्टर ने जरूर भेजा होगा, भेजना चाहिए।

श्रीमती गंगादेवी : कलेक्टर ने नहीं भेजा है और मीटिंग हुई, यह कहते हैं तो यह निश्चित बताया जाय कि एजेन्डा भेजा या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है, अलग से पूछिये।

श्री गोकुलचन्द : जल बोर्ड्स का ठीक प्रकार से संचालन हो, तो क्या उसके लिए आप नियम बनाने वाले हैं या नियम बना दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल बोर्ड्स का कार्य अच्छा हो रहा है।

श्रीमती गंगा देवी : साल भर में २लाख ८० हजार खर्च किया गया तो किसकी मार्फत किया गया और किसकी सेन्क्शन से किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर इसका चेयरमैन होता है। कमेटी बनी हुई है।

श्रीमती गंगादेवी : अध्यक्ष महोदय, अगली तिथि पर रखा जाय। यह मीटिंग ही नहीं हुई, किसी से पूछा ही नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : आपने इतनी बातें कही हैं

श्री मदनसिंह : इस प्रश्न को १५ मिनिट के लिए डिस्कशन पर रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंह।

श्रीमती गंगादेवी : यह प्रश्न अगले सेशन में रखना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : आपको अगर जानकारी नहीं मिली है तो फिर रख सकती हैं ।

[विराम]

श्री नारायण सिंह ।

भूतपूर्व अजमेर राज्य में गांधी सरोवर की नींव

३०० **श्री नारायणसिंह** (टोंक): क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भूतपूर्व अजमेर राज्य में गांधी सरोवर की बुनियाद राष्ट्रपति द्वारा किस साल में लगाई गई थी ?

(ख) उसका निर्माण कार्य अब तक किस विशेष कारण से रुका हुआ है ?

(ग) भविष्य में कब तक इस कार्य के प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

(घ) क्या यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सम्पादित हो सकेगा ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) ३१ अक्टूबर, १६५५ को ।

(ख) इसकी योजना कमीशन से मंजूरी अभी नहीं मिली है ।

(ग) इसी वित्तीय वर्ष में ।

(घ) हां, यही आशा है ।

श्री भैरोसिंह (१४) : क्या इस आशा को पूरा करने के लिए कोई निश्चित योजना बनाई गई है ?

श्री भीखाभाई : इस बजट में ५ लाख का प्रोविजन रखा गया है ।

श्री नारायणसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो पांच लाख की रकम रखी गई है उसमें कितना काम हो सकेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (योजना मंत्री) : इस वित्तीय वर्ष में जो पांच लाख रुपया रखा गया है वह खर्च हो सकेगा । अभी योजना कमीशन की स्वीकृति नहीं आयी है । यदि उसमें टाइम लगेगा तो अगले हिस्से में ज्यादा हो सकेगा ।

श्री नारायणसिंह : क्या मन्त्री महोदय ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि इस गति से यह जल्दी हो सकेगा या इसमें ७ साल का समय लग जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस योजना में शामिल नहीं था ।

श्री नारायणसिंह : शामिल जरूर करायें ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरीपूनिया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तहसील डेगाना में बनाई जाने वाली सड़कें

३०१. **श्रीमती गौरीपूनिया** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) डेगाना तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी व किस किस प्रकार की सड़कें बनाने की सरकार की योजना है ?

(ख) क्या योजना बनाते समय यह ध्यान

(श्रीमती गौरीपूनिया)

में रखा गया है कि डेगाना तहसील में कोई पक्की सड़क नहीं है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) १. कुचेरा से रेण ग्रेवल सड़क ।

२. नागौर से मेड़ता से बड़ी घाटी । पादू होती हुई का हिस्सा-डामर की सड़क ।

३. डेगाना से सांजू का हिस्सा ग्रेवल रोड ।

(ख) ग्रेवल सड़क है ।

श्रीमती गौरीपूनिया : चालू वर्ष में कौन कौन सी सड़कें बनेंगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुचेरा से डेगाना की सड़क का काम चल रहा है और नागौर से मेड़ता की जो डामर की सड़क बनाने का सवाल है वह ५६–६० में शुरू होगा । और डेगाना से....

श्री अध्यक्ष : यह तो इस साल के लिए पूछ रही हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि कुचेरा से रेण....। यह ग्रेवल रोड होगी ।

श्रीमती गौरीपूनीया : सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष : ग्रेवल सड़क बतायी है । श्री नाथीसिंह ।

सीकरी बंध से ग्राम पांडेका (त० भरतपुर) तक नहर

२०२. **श्री नाथीसिंह (कामां)** : Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

Whether the Government prepose to extend Chomora canal from Sikri Bund to village Pandeka in Bharatpur District to the boundary of village Pahari in order to irrigate more area inside and outside the Alampur Bund ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : No. The work as constructed is adequate and no marked improvement is likely to result from the work proposed, which will involve considerable cost.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद ।

पंचायत सेन्टर दादिया (त० सीकर) के पंच रामू का त्याग-पत्र

२०३. **श्री जगदीशप्रसाद (सीकर)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या पंचायत सेन्टर दादिया, त० सीकर के एक पंच रामू का पंचायत से त्याग पत्र प्रस्तुत हुआ था ?

(ख) क्या यह सही है कि रामू ने इस पत्र को झूठा बताते हुए राज्य सरकार से अपील की थी ?

(ग) क्या यह सही है कि डी० पी० ओ० जयपुर दिनांक १६–६–५६ को जांच के लिये गये थे तथा रामू की शिकायत सही मान कर सरपंच के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने की सिफारिश की ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

Page No.21

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जांच कराई गई। मुकद्दमा चलाने की सिफारिश नहीं की गई।

श्री जगदीशप्रसाद : जब अपील ही नहीं हुई तो जांच किस बात की कराई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दरख्वास्त पर जांच कराई गई।

श्री जगदीश प्रसाद : दरख्वास्त किस बात की दी थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस बात की आप बता रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद : अपील और दरख्वास्त में क्या फर्क है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कानून वाले जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या जांच करने के बाद जांच करने वाले अधिकारी ने यह राय दी थी कि सरपंच के खिलाफ मुकद्दमा बनाया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरपंच से जांच कराई जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : जांच की आज्ञा किस तारीख को दी गई और किस तारीख को निर्णय हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कम्प्लेन्ट आयी २६-५-५६ को और रिपोर्ट आयी १३-८-५६ को और उस पर नोटिस दिया गया है। पंचायत के क्लर्क को हटा दिया गया। सरपंच ने तामील नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह : जब सरपंच ने झूठे कागज बनाकर १३-८-५६ को रिपोर्ट भेजी तो अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट आने पर नोटिस दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : जब रिपोर्ट अगस्त ५६ में ही आ गई थी तब उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया कि नोटिस बाद में दिया गया। अगस्त में आॅर्डर दिया गया, तामील को उसने अवोइड किया।

श्री भैरोंसिंह : कार्यवाही करने का नोटिस कौन सी तारीख को दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां तक इन्क्वायरी करने का सवाल है, दूसरी पार्टी को भी पूछा जायगा कि तुम क्या कहना चाहते हो इसके लिये।

श्री भैरोंसिंह : नोटिस कब दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने १३-८-५६ बताया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तामील किसके द्वारा कराई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह पंचायत को भेजते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब '५६ में इन्क्वायरी खत्म हो चुकी तो ५७ तक नोटिस देने का क्यों इन्तजार किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जरूरी है। दूसरी पार्टी को बिना पूछे निर्णय नहीं ले सकते।

Page No.22

श्री भैरोंसिंह : नोटिस देने का निर्णय कब ले लिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार की ओर से नहीं हुआ। दरख्वास्त दी है उसके ऊपर कार्यवाही की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इत्तला करने पर भी पंचायत डिले कर रही है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : अब तक उस नोटिस की मियाद खत्म हो गई होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तामील को सरपंच अवोइड करता है। भाई, अदालतों में भी सर्विसेज़ अवोइड की जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह "भाई-भाई" की कौन सी लैंग्वेज हैं।

(हंसी)

बिलाड़ा (जिला जोधपुर) में पोवर प्लाण्ट की स्थापना सम्बन्धी योजना

Shri Sajjan Singh asked the question)

२०४. **श्री भैरोंसिंह खेजडला** (बिलाड़ा) : Will the Minister for Irrigation & power be pleased to state:

(a) Whether the Government has any proposal under consideration for installation of a power plant at Bilara in Jodhpur District ?

(b) If so, when will the work be started and what will be the capacity of this power plant ?

(c) How many and which villages will be served by it ?

(d) At what rate power will be supplied for Industrial and Agricultural purposes ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(a) Yes.

(b) Engines have already arrived. Switch-gear has been ordered and delivery date is about November……

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं पड़ता, क्या कह रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : समझ में नहीं बैठता तो फिर पढ़ देंगे, घबराते काहे को हैं।

(a) Yes.

(b) Engines have already arrived, Switch-gear has been orderd and delivery date is about November, 57. Site has been selected and other work is in hand.

(c) The capacity of this power plant would be 400 KW.

(d) Bilara and Sojat.

(e) The rates will be fixed when the works have been completed.

रिकेट्स के निवारणार्थ मेडिकल एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रयत्न

२०५. **श्रीमती कमला श्रोत्रिय** (भीलवाड़ा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

Page No.23

(श्रीमती कमला श्रोत्रिय)

(क) राजस्थान में फैले हुए रिकेट्स (बाल शोष) रोग के निवारणार्थ मेडिकल और आयुर्वेद विभाग द्वारा क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

(ख) राजस्थान में गत ५ वर्षों में इस रोग से कितने शिशुओं की मृत्यु हुई और कितनों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया ?

(ग) उपरोक्त रोग से स्वस्थ हुए बालकों को कौन सी औषधि लाभप्रद हुई ।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सरकार द्वारा बालशोष (रिकेट्स) रोग के निवारणार्थ दिनांक १७–१०–५६ से एक कार्यक्रम (स्वास्थ्य पखवाड़ा) चालू है जिसके अन्तर्गत ५६ राष्ट्रीय विस्तार खंड व सामुदायिक विकासखंड के मेडिकल व आयर्वेदिक ओफिसरों ने अपने अपने क्षेत्रों में से बालक व बालिकाओं को उसके इलाज के लिए चुन लिया है तथा उनके इलाज व दूध आदि के वितरण का कार्य चालू है जो एक वर्ष तक चालू रहेगा। रिकेट्स की बीमारी छूत की बीमारी (कांटेजियस) नहीं है। पोषण तथ्यों के अभाव से (न्यु ट्रिशनल डेफिशियेन्सी) से होती है।

(ख) अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार आउटडोर पुरुष १४,३२२ और स्त्रियां ८,१५६ और इनडोर पुरुष २५० और स्त्रियां २२१ हैं।

इस रोग के लिये मल्टी विटामिन टेबलेट्स व कॉड लिवर ऑयल जो लाभप्रद हैं उन्हें दिये जा रहे हैं। आयुर्वेदिक सुधाष्टक, महाकल्याणवृत्त, महायोगराज गुगल, समीर पन्ना, कुमारकल्याण रस, रसोनादिघृत, बसन्तमालती आदि औषधियों का सेवन कराया जाता है।

श्री बहादुरसिंह : प्रश्न यह है कि यह रोग मां की वजह से होता है तो मां के स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि पौष्टिक तत्वों का अभाव (न्युट्रिशन) की कमी के कारण होता है।

डाक्टर श्रीमती चन्द्रकला : वह कौन सा पौष्टिक तत्व है जिसके अभाव के कारण यह रोग होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ए., बी., सी. विटामिन्स ।

श्री बहादुरसिंह : प्रश्न यह है कि इस रोग की उत्पत्ति मां के दूध की खराबी के कारण होती है, तो इसके लिए भी क्या कुछ किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शफाखाने खोले गए हैं !

श्री गोकुलचन्द : खाद्य में जो मिलावट होती है उसकी तरफ कोई ध्यान दिया गया है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत ध्यान देते हैं। इसके लिए कानून बनाये गए हैं।

श्री बहादुरसिंह : केल्शियम की कमी के कारण यह रोग होता है। क्या इसके वितरण की व्यवस्था की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत सी दवाइयों के नाम बताये हैं जिनका कि वितरण किया जाता है।

Page No.24

श्री बहादुरसिंह : यह रोग केल्शियम की कमी के कारण होता है; क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिससे केल्शियम का वितरण हो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, दवाइयों का वितरण किया जाता है।

श्री बहादुरसिंह : जो दवाइयां आपने बताई उनमें से किन किन में केल्शियम है !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभी काम की दवाइयां हैं।

श्रीमती कमलाकुमारी श्रोत्रिय : क्या इन औषधियों की किन्हीं एक्सपर्ट्स द्वारा जांच कराई गई है, कि ये काम की हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दवा देने वाले वैद्य डाक्टर खुद एक्सपर्ट्स हैं।

कुम्भलगढ़ रेलमगरा में चलने वाले अस्पताल

३०६. **श्री मनोहर कोठारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कुम्भलगढ़ और रेलमगरा में अस्पताल कब से चल रहे हैं ?

(ख) उक्त दोनों स्थानों पर कब से डाक्टर नहीं हैं और क्या इस संबंध में अब तक कोई प्रयत्न किया गया है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार भविष्य में कब तक दोनों स्थानों पर डाक्टर भिजवा देगी ?

(घ) डाकटरों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

उप-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) दोनों स्थानों में अस्पताल राजस्थान निर्माण होने से पहले ही से चल रहे हैं।

(ख) कुम्भलगढ़ में दिनांक १२-६-५६ से व रेलमगरा में दिनांक १२-२-५६ से डाक्टर नहीं है। डाक्टरों की नियुक्ति की गई थी परन्तु कार्य-भार न संभालने के कारण उनके नियुक्ति-पत्र रद्द कर दिये गये हैं।

(ग) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुये योग्य डाक्टर मिलने पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग को योग्य डाक्टर चुनकर भेजने के लिये कभी का लिखा जा चुका है व इसके मुतल्लिक विज्ञापन भी जारी कर चुके हैं।

श्री मनोहर कोठारी : क्या मन्त्रीजी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किन किन डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी ?

श्री भीखाभाई : डॉक्टर हरगोविन्द की कुम्भलगढ़ में और डॉक्टर आर. एम. झाझी की रेलमगरा में।

श्री मनोहर कोठारी : उनके जोइन नहीं करने के बाद दूसरा क्या इन्तजाम किया गया ?

श्री भीखाभाई : जैसा कि बताया गया, लोक सेवा आयोग को योग्य डाक्टरों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या उदयपुर डिविजन को छोड़कर और भी कहीं डॉक्टरों की कमी चलती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे यहां ६० डाक्टरों की कमी है।

Page No.25

एक माननीय सदस्य : क्या यह बतायेंगे कि बीकानेर में कितने डाक्टरों की कमी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब जगह कमी है।

एक माननीय सदस्य : संख्या बताइये, बीकानेर में कितने डॉक्टरों की कमी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : संख्या जानना चाहते हैं तो अलग प्रश्न पूछिये।

श्री गोकुलचन्द : क्या ये डॉक्टर सरकारी कर्मचारी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप उनको किसी स्थान पर जाने के लिये मजबूर करते हैं तो नौकरी छोड़ कर चले जाते हैं।

श्री गोकुलचन्द : क्या सरकार इतनी कमजोर है कि कोई चला जावे तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती ?

श्री भैरोंसिंह : सरकार को मजबूत कब से मान रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार हमेशा से मजबूत है।

श्री श्रीभानसिंह : Are those doctors still continuing in Government service ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No, Sir.

श्री मनोहर कोठारी : डॉक्टर वहां रहना क्यों नहीं पसन्द करते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो स्थान स्थान की खूबी है।

श्री भैरोंसिंह : इन डॉक्टरों की कमी पूर्ति के लिये क्या पी. एस. सी. को लिखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६० आदमियों के लिये लिखा गया है और विज्ञापन भी दिये गये हैं।

गुलाबबाड़ी व चम्पा बाग (कोटानगर) के कलमी आमों का ठेका

३०७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कोटा नगर के पास स्थित गुलाबबाड़ी व चम्पा बाग के कलमी आमों का ठेका हर साल दिया जाता है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त बाग के कलमी आमों का ठेका सन् ५६ में नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) सन् ५६ में उक्त बागों के कलमी आमों से कितनी आमदनी हुई ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) हां। सारे आमों का।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) कलमी आमों का ठेका अलग अलग नहीं दिया जाता।

श्री भैरोंसिंह : अलग नहीं दिया जाता तो क्या दूसरे आमों के साथ ठेका दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या हर साल अलग नहीं दिया जाता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस साल क्यों अलग दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कभी अलग नहीं दिया गया।

चुनावों में बोगस मतदान करते पकड़े गये मतदाता

३०८. **श्री शिवचरणदास (मांडल)** : क्या निर्वाचन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कितने मतदाता चुनावों में बोगस मतदान करते पकड़े गए ?

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चलाये गये एवं उनका क्या परिणाम रहा ?

(ग) कितने व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये छोड़े गये और क्यों ?

(घ) क्या सरकार उन व्यक्तियों के नामों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

निर्वाचन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का आधा उत्तर प्राप्त हुआ है और आधा नहीं आया है। पुलिस में मुकदमे चल रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी नहीं है। अगले टर्न पर उत्तर दे दिया जायगा।

श्री तनसिंह : क्या अभी तक जानकारी नहीं हुई, जब कि १५ दिन का नोटिस मिल गया था ? क्या सो रहे हैं सुपरिंटेंडेंट वगैरह ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो पुलिस डिपार्टमेंट में केसेज चल रहे हैं, उनकी जानकारी की जा रही है, इसलिए देरी हुई है।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू के एक पोलिंग पर कई शिकायतें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

पचपदरा तथा निकटस्थ ग्रामों में जलाभाव

२७५. **श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)** : क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बाडमेर जिले के पचपदरा नगर तथा निकटस्थ गांवों में जलाभाव के कारण भारी कष्ट है ?

(ख) इस क्षेत्र के लिए इस समय जिस प्रकार से सरकार द्वारा जल की व्यवस्था की जाती है उस पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जल व्यवस्था के लिए जिलाधीश के थ्रू एक योजना लगभग १॥ वर्ष पूर्व प्रेषित की गई है जिसके द्वारा न केवल इस क्षेत्र के वरन् नमक की खानों के मजदूरों के भी जल-कष्ट का निवारण हो सकता है ?

(घ) इस योजना के क्रियान्वित करने के लिए अनुमानित कितना व्यय होगा ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

की कम्बाइन्ड वाटर लाइन के लिए नमक विभाग द्वारा २ लाख का बजट स्वीकार किया जा चुका है? यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में क्या बाधा है?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (क) जी हां।

(ख) जब पचपदरा नगर के लिए तालाबों में पानी सूख जाता है तब रेल बोर्न टैंक द्वारा बालोतरा से सेठ तुलसीदास के कूए से पानी रेल द्वारा मगाया जाता है जिसमें औसतन वार्षिक व्यय १०,००० रु० हो जाता है

(ग) जी हां।

(घ) यह योजना जनता द्वारा बनाई गई थी और इसकी अनुमानिक कीमत ३,५०,००० रु० है।

(ङ) यह स्कीम विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न है, क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की कम्बाइन्ड वाटर लाइन के लिये नमक विभाग द्वारा २ लाख का बजट स्वीकार किया जा चुका है? यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में क्या बाधा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्कीम स्वीकार नहीं की गई है, अभी विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : नमक विभाग के विचाराधीन है या सरकार के?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नमक विभाग और सरकार दोनों के विचाराधीन है। अभी पिछले हफ्ता इन्जीनियर बात कर गये थे, उनकी ओर से रिपोर्ट आई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सत्य है कि नमक विभाग ने स्वीकृति दे दी है कि दो लाख रुपया इस योजना के लिए नमक विभाग खर्च करने को तैयार है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी स्वीकृति नहीं दी है। यह ६ लाख की योजना है, आधा आधा खर्च करने की बात है। उन्होंने एग्री नहीं किया है, यदि एग्री कर लेते तो कार्य चालू हो जाता।

श्री भैरोंसिंह : कब तक काम चालू कर दिया जायगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसी के लिए इन्जीनियर को बुलाया गया था। मैं समझता हूं उसमें बहुत जल्दी की जायगी।

राजस्थान नहर की खुदाई एवं उसका भाग झुंझुनू जिले में

२७६. **श्रीमती सुमित्रा** (पिलानी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान नहर की खुदाई कब से शुरु हो रही है? क्या इसकी कोई शाखा जिला झुंझुनू में भी आ रही है। अगर नहीं तो क्यों?

(ख) झुंझुनू जिले में सिंचाई के दूसरे कौन से साधन उपलब्ध होंगे?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) राजस्थान नहर की खुदाई संभवतः चालू वर्ष में शुरु हो जायगी। इसकी कोई भी शाखा झुंझुनू में नहीं जावेगी क्योंकि झुंझुनू क्षेत्र बहुत ही दूर व अधिक ऊंचाई पर है

Page No.28

(श्री भीखाभाई)

जिससे नहर द्वारा सिंचाई सम्भव नहीं है ।

(ख) झुंझुनू क्षेत्र के लिये काटली नदी द्वारा सिंचाई करने की योजना पर सिंचाई विभाग सर्वे कर रहा है । तखमीना बन जाने पर बताया जा सकेगा कि योजना कब कार्यान्वित होगी ।

सरकार द्वारा चलाये जाने वाले मुर्गी खाने

२७८. **श्री तनसिंह** : (बाड़मेर) क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) राजस्थान में ऐसे मुर्गीखाने कहां कहां हैं जिनमें सरकार की ओर से खर्चा किया जाता है ?

(२) उपरोक्त सरकारी मुर्गीखानों में कौन कौन से आत्मनिर्भर हैं और कौन कौन से घाटे में चल रहे हैं ?

(३) घाटे में चलने वाले मुर्गीखानों में किस किस वर्ष कितना घाटा हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) और (ख) मुर्गीखाने जयपुर, उदयपुर और अजमेर में हैं जिन पर सरकार द्वारा खर्चा किया जाता है । इनमें से कोई आत्मनिर्भर नहीं हैं । सूची मेज पर रख दी गई है ।

[कृपया परिशिष्ट ४ देखिये]

श्री चन्दनमल : वेद नागौर में मुर्गीखाने की स्कीम है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं ।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, अभी बताया कि सूची मेज पर रख दी गई है । मैं नोटिस आफिस में गया और पूछा कि कोई सूची मेरे नाम की आई है, तो उन्होंने बताया कि नहीं । परसों मन्त्री महोदय ने कहा कि सूची सदन की मेज पर रखी गई है और उसकी कॉपी नोटिस आफिस में मिल जायगी । हम वहां गये और वहां मालूम हुआ कि कॉपी वहां नहीं है । इससे कुछ नतीजा निकलना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, हमें भी संकोच होता है आपको बार बार कहने में ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह आम शिकायत है, मैं भी कई दफा कह चुका हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस सम्बन्ध में सबसे ज्यादा सतर्क हूं और सही ६ कॉपी टाइप पर भेज देता हूं ।

(हंसी)

हमारे प्रति यह शिकायत नहीं रहनी चाहिए यह नोटिस आफिस की गड़बड़ी हो सकती है । मैं बराबर ६ कापी भेज देता हूं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुझे भी कापी नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष : यह सूची नोटिस आफिस में होना बताई जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : मुर्गीखानों में घाटा किस कारण से है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुर्गीखाने में घाटा है, इसका कारण यह है कि मुर्गीखानों द्वारा आप लोगों को मुर्गी पालना सिखाया जाता है । मुर्गी खरीद कर हम उनके बच्चे पैदा करते हैं ।

(हंसी)

और फिर मार्केट रेट से कम कीमत पर बेच देते हैं । एक मुर्गी २० रु०

Page No.29

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में खरीदते हैं और आप लोगों को १० रुपये में दे देते हैं। यह मुर्गीखाने नफे के लिए नहीं बनाये हैं।

श्री तनसिंह : क्या आपके मुर्गीखानों में राजस्थान की अच्छी से अच्छी मुर्गीयां हैं ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत अच्छी ब्रीड़ की मुर्गीयां हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक मुर्गी कितने अंडे देती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अलग प्रश्न पूछिये कि एक मुर्गी कितने अंडे देती है हम बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या मुर्गी के अंडों का हिसाब रखा जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर रखा जाता है।

श्री मदनसिंह : क्या ऐसी मुर्गीयां भी हैं जो रोज अंडे देती हैं ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : कई मुर्गीयां रोज अंडे देती हैं ?

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद्य : क्या नागौर की मुर्गी भी है ?

श्री भैरोंसिंह : नागौर की मुर्गी सरदार शहर चली गई है।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : सरदारशहर चली गई है।

(हंसी)

श्री तनसिंह : क्या मुर्गियों के अंडे बेचते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब अंडे नहीं बेचते हैं, कुछ अंडों को सेते हैं और उनके बच्चे निकालते हैं। जो अंडे सेये नहीं जाते उनको बेचा जाता है।

तहसील लालसोट तथा चाकसू में ए क्लास डिस्पेंसरोज़ की आवश्यकता

२८०. **श्री प्रभुदयाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

लालसोट तथा चाकसू की आबादी अधिक होते हुए भी वहां पर ए क्लास डिस्पेन्सरी क्यों नहीं खोली जाती है ? अगर खोली जायेगी तो कब तक ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार तहसील हैड क्वार्टर्स पर बी श्रेणी की डिस्पेन्सरी ही खोली जाती है। लालसोट और चाकसू दोनों तहसीलें हैं और सरकार की नीति के अनुसार वहां बी श्रेणी की डिस्पेन्सरी है।

श्री प्रभुदयाल पुरोहित : यह कब तक खोली जायगी साहब ?

श्री भीखाभाई : डिस्पेन्सरी खुली हुई है भाई।

(हंसी)

श्री गोकुलचन्द : वे वहां ए क्लास डिस्पेन्सरी खुलवाना चाहते हैं।

श्री भीखाभाई : मैंने सरकार की नीति बता दी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(श्री मनोहर कोठारी के खड़े होने पर)

Page No.30

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है, इसलिए पहले अनुपस्थित रहे सदस्यों के बाकी के प्रश्न नहीं लिये जायेंगे।

१२.७ म० प०

राजस्थान मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन एक्ट, १६५१ के अन्तर्गत विज्ञप्ति

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से बाहर पंजीयित और पर्यटकों द्वारा किराये पर ली गई मोटर गाड़ियों को कर देने से मुक्त करने के सम्बन्ध में गृह विभाग विज्ञप्ति संख्या डी. ३४२१। एफ. १०।१०।२१। एच. २।५४, दिनांक २२ अप्रेल १६५७, राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन एक्ट, १६५१ की धारा ३ के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमॉल्युमेन्ट्स) अमेंडमेंट विधेयक, १६५७ (पुरः स्थापित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधान सभा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्युमेन्ट्स) अमेंडमेंट बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्युमेन्ट्स) अमेंडमेंट बिल, १६५७ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय।"

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्युमेन्ट्स) अमेंडमेंट बिल, १६५७ को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज (अमेंडमेंट) विधेयक, १६५७ (पुरः स्थापित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज (अमेंडमेंट) बिल, १६५७ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा देने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज (अमेंडमेंट) बिल, १६५७ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय।"

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज (अमेंडमेंट) बिल, १६५७ को पुरः स्थापित करता हूँ।

१२.६ म० प०

राजस्थान राजस्व वित्त (कृषि आयकर) विधेयक, १६५७ (विचार-विमर्श)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पृथक राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, जो बिल हमारे सामने इस समय विचारार्थ रखा गया है उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में....

श्री दयाकृष्ण विजय (३४) : ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या सदन के समक्ष इस राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) बिल, १६५७ को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

श्री अध्यक्ष : अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा है।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल प्रिन्सिपल्स पर बहस कह रहा हूँ। माननीय सदस्य को आप प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दें तो मैं बाद में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखिये।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने है उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा हुआ है :

"Further the non-taxable nicome limit of Rs. 6,000/- prescribed by section 4 of the Act is proposed to be reduced by half and similarly the exemption limit in respect of irrigated and unirrigated areas has also been reduced by half. It will be noticed that the rates of tax have been proposed in terms of new coins."

इस स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स से यह पूर्ति होता है कि जो टैक्स की लिमिट है ६ हजार की, यानी जो दफा ४ के मुताबिक प्रेसक्राइब्ड थी उसको कम कर दिया गया है। इसके मुताबिक पहले ६ हजार की आमदनी पर टैक्स लगने वाला था, वह अब तीन हजार की आमदनी पर लगेगा ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पृथक राजस्व मंत्री) : नेट इन्कम पर।

श्री तनसिंह : वह तो समझने की बात है।

दूसरी बात यह है कि जो इर्रिगेटेड और नोन इर्रिगेटेड एरिया था यानी ६० बीघा इर्रिगेटेड लेन्ड और १८० बीघा अन इर्रिगेटेड लेन्ड वह क्रमश: अब ३० और ६० बीघा कर दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत छोटी सी दलील दी गई है, दलील तो क्या सूचना दी गई है कि जो यह टैक्स है वह नये पैसों, नये सिक्कों में परिवर्तित कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इसे बहुत अच्छी तरह से देखा जाय तो इसमें कई बातें मालूम होती हैं। सबसे पहले मैं इस बात को लेता हूं कि साधारणतया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में इसे उड़ा देने की कोशिश की गई है। बताया यह गया है कि टैक्स को नये पैसों में बदल दिया है पर गौर से पढ़ें तो पता चलेगा कि शिड्यूल के आइटम नं० २ में लिखा हुआ है कि ३५०० पर ६ नये पैसे लगाये हैं, पहले जो टैक्स है वह ६ पाई थी तीन हजार पर, अब साढे तीन हजार पर ६ नये पैसे लगाये हैं, देखने को ऐसा दिखता है शायद हम समझते नहीं हैं ६ नये पैसों और ६ पाई में क्या फर्क है। शायद इस नई प्रणाली के बारे में हमारे पूर्ण ज्ञान के अभाव का वित्त मंत्री जी को आभास होने के कारण कि हम लोग क्या समझते हैं, शायद ऐसा किया गया हो। जो शिड्यूल दी है उसमें टेबिल दी है। उसमें जो बढ़ा रहे हैं,

(श्री तन सिंह)

यह सबके सामने है। ६ नये पैसे और ६ पाई में दुगुना फर्क है। ६ नये पैसों का मतलब है १ आना और ६ पाई का मतलब है दो पैसा। ६ पाई टैक्स था ३००० पर और ३५०० पर ६ नये पैसे कर रहे हैं, डेढ़ हजार से ऊपर ३५०० पर ६ नये पैसे लगाये जायंगे। आपको ताज्जुब होगा, उधर बैठने वाले कहते हैं कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी समाज-रचना के लक्ष्य वाला राज्य है।

इस इन्कम टैक्स के बारे में मन्त्री महोदय कहेंगे कि यह साधारण किसानों के लिये नहीं है जिनका कि जीवन-यापन के लिये एक मात्र कृषि ही साधन है पर यह उन लोगों के लिये है जो बड़े बड़े मालदार हैं, जागीरदार हैं, खेती के अलावा जिनके पैदावार होती है, पर मैं समझ नहीं सकता कि साढ़े तीन हजार पर आपने टैक्स बढ़ा दिया है, ६ नये पैसे लगा दिये हैं पर बाकी १०,००० पर टोटल बेलेंस पर जो पहले रेट्स है वही है उस पर रेट्स तब्दील की होती तो हम समझते कि गरीबों के लिये ठीक किया है पर जिनके १० हजार की, २० हजार की आमदनी है उन पर वही रेट्स रखी हैं जो कि पहले थीं। शिड्यूल के आइटम नं० २ पर नया चेंज किया है, शायद मिसप्रिन्ट है, पर मिसप्रिन्ट होता तो दुरुस्ती की जाती पर मिसप्रिन्ट नहीं है तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो सरकार यह कहती है कि वह गरीबों को ऊंचा उठाना चाहती है और अमीरों की अमीरी लेकर गरीबों को ऊंचा उठाना चाहती है, यह केवल कहने मात्र की बात है, जिनकी कम आमदनी है उन पर तो ज्यादा टैक्स लगाया गया है और जिनकी ज्यादा आमदनी है उन पर कम, यानी वही का वही टैक्स लगाया गया है जो पहले था। तो ऐसी हालत में कहना कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, कल्याणकारी राज्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, यह केवल कहना मात्र है।

जिन कृषकों के जीवन-यापन का साधन एक मात्र कृषि है, उनके लिये पहले यह रखा गया था कि ६० बीघा इर्रिगेटेड लैंड और १८० बीघा अनइर्रिगेटेड लैंड तक की छूट दी जायगी, इस पर टैक्स नहीं लगेगा यह छूट दी गई थी पर अब इसमें ३० बीघा इर्रिगेटेड लैंड और ९० बीघा अनइर्रिगेटेड लैंड कर दी गई है। जिस कृषक के जीवन-यापन का केवल मात्र साधन कृषि ही है, उसके पास अगर ३१ बीघा जमीन है तो उस पर टैक्स लगेगा ही, चाहे उसकी आमदनी कितनी ही क्यों न हो। थोड़ी जमीन होते हुए भी उनके विकास के साधनों को लेने की कोशिश की जा रही है।

मैं समझता हूं जो सीलिंग आने वाला है उसमें अपर लिमिट प्रेस्क्राइब की जायगी, उसमें एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स रखा जाता तो ठीक बात होती पर एक दम आधा काट कर ६ हजार से ३ हजार कर दिया है, ६० बीघों का ३० बीघा और १८० बीघा की जगह ९० बीघा कर दिया है, यह कदम अवैज्ञानिक और अदूरदर्शिता पूर्ण है। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता। आज से दो साल पहले ६० बीघा इर्रिगेटेड और १८० बीघा अन-इर्रिगेटेड रखी थी तो आज दो वर्ष बाद ही ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है कि आधा कर दिया गया है? यह मेरी समझ में नहीं आता। ३००० की टेक्सेबल लिमिट है, उसको जरा और नीचा किया गया तो ३० और ९० की बजाय १५ और ४५ नहीं हो जाय, यह हमें डर है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह

Page No.33

(श्री तनसिंह)

जो टैक्स लगाया गया है वह सोच कर वैज्ञानिक तरीके से नहीं लगाया गया है। यह नहीं सोचा कि इसका किसानों पर क्या असर होगा। पंखों के नीचे बैठे हुए सोचा कि पैसा लेना है, इस तरह से लें। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर पैसा लेना ही है तो उपयुक्त साधनों से पैसा लीजिये, पैसा लेने के लिए उपयुक्त और न्याय संगत साधन ढूंढिये। अगर उपयुक्त साधनों से आया हुआ पैसा नहीं हुआ तो आप कल्याणकारी राज्य लाने में कभी सफल नहीं हो सकते।

इसके अलावा एक और बात महत्वपूर्ण है, जो यह है कि यदि हम टैक्स की लिमिट को नीचे लाना चाहते हैं और आमदनी होती है, किसी भी प्रकार से आमदनी होती है, उस पर टैक्स लेना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स होना चाहिये। पर मैं यह मानता हूँ कि एक आदमी जो शहर में रहता है उसके पास मकान हैं, दूसरी सम्पत्ति है उससे वह चाहे जितना कमा ले, लाखों-करोड़ों रुपया कमा ले, उस पर इन्कम टैक्स लगाते हैं। इस तरह टैक्स लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि जो लाखों करोड़ों रुपया कृषि से कमाते हैं उन पर भी यह टैक्स लगाना चाहिये, पर जब हम यह उसूल मानते हैं कि चाहे शहर में बैठा हुआ हो या गांव में बैठा हुआ हो, उससे, उसकी आमदनी के अनुपात से आय-कर लेना चाहिए तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सेटलमेन्ट विभाग से जो बीघोड़ी की दरें मुकर्रर हैं जो कि बढ़ी हुई हैं, वह किसानों से लेते हैं, लैंड रेवेन्यु लेते हैं, दूसरे प्रकार के टैक्स उससे लेते हैं और फिर यह टैक्स लेते हैं, तो यह न्याय संगत नहीं है। अगर किसानों पर इस तरह का टैक्स लगाते हैं तो जो लोग शहरों में बैठे हुए हैं और अपनी संपत्ति से व्याज बटोरते हैं और दूसरी तरह के धन्धे करते हैं उन पर भी इस तरह का एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिये, तब तो किसानों पर इस प्रकार टैक्स लगाना न्याय संगत हो सकता है, पर किसानों पर बीघोड़ी बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया जा रहा है, यह न्याय संगत नहीं। आप कह सकते हैं कि ३००० की जिसकी आमदनी होगी उसी पर यह टैक्स लगाया जायगा, इससे नीचे की जिसकी आमदनी है, उस पर नहीं; तो इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई बड़ी आमदनी नहीं है, तीन हजार की आमदनी कोई बड़ी आमदनी नहीं है। मैं मन्त्री महोदयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि १२००० रुपया आपको एक साल में मिलता है तो वे स्वत: अपने ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाते? तो सबसे पहले उनको (मन्त्री महोदय को) आदर्श रखना चाहिए। उनको चाहिये कि अपनी तनख्वाह में से कुछ कम करके एक प्रकार का आदर्श रखें। लेकिन स्वयं तो १२ हजार रुपया सालाना वसूल करते हैं और गरीब लोगों से बार बार कहते हैं कि जिनकी तीन हजार से ज्यादा आमदनी होगी वह टैक्सेबल होगी। मैं इस पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि ये कहते हैं कि हम ऐसे राज्य की नींव डालते हैं जो समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। मगर मैं समझ नहीं सकता कि क्या इस प्रकार आप समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं? मैं यह कहूँगा कि हमारे शहर के लोग मालदार लोग हैं और गांवों में रहने वाली गरीब जनता को बरबस खींच कर नीचे ले जा रहे हैं। जब विरोधी पक्ष वाले किसी

(श्री तनसिंह)

प्रकार की आवाज उठाते हैं तो उनकी कोई बात मानते नहीं। जब कोई बात हम विरोधी पक्ष की ओर से सच्ची कहते हैं, उसको भी कोई सुनते नहीं और सत्तारूढ़ दल यही समझता है कि सब कुछ गरीबों के हित का ठेका उन्होंने ले लिया है और जो कुछ कर सकते हैं वे ही कर सकते हैं। वे चाहे दुनिया को रगड़ डालें, वे चाहें दुनिया को मार डालें और चाहे किसी का कचूमर निकाल दें; तो भी कोई बात नहीं। वह तो न्याय ही होगा, मगर विरोधी दल की तरफ से वाजिब बात भी कही जाये तो उसकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। मेरी समझ नहीं आता कि सरकार किस कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रही है, यह कैसा कल्याणकारी राज्य और समाजवाद की तरफ बढ़ने का तरीका है। मुझे तो इस तरफ बढ़ने के लिए चारों तरफ अन्धेरा ही अन्धेरा दिखाई देता है, कहीं प्रकाश तो नजर आता नहीं।

इसी प्रकार मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें तीन बड़ी बड़ी बातें हैं: (१) पहले जहां ६००० की टैक्स लिमिट थी उसके बजाय ३,००० कर दी है। जहां १८० बीघा था वहां ६० बीघा रख दी और जहां ६० बीघा था वहां पर ३० बीघा कर दी गई है। जहां पहले तीन हजार पर ६ पाई था वहां पर अब ६ नये पैसे कर दिए गये हैं। माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि हमने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की लिमिट ऊंची की है मगर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमने टैक्स कम कर दिए गए हैं। लिमिट नीची लेते हैं मगर टैक्स अवश्य कम कर दिये हैं। मुझे खेद है कि वे कितना सफेद झूठ कह गए? यदि आप इस तरफ देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनका कहना सफेद गलत था। वे कहते हैं कि टैक्स कम कर दिए। मगर मैं यह कहूंगा कि कम आमदनी वाले थे जिन पर पहले ६ पाई टैक्स लगता था उसकी जगह ६ नये पैसे कर दिए। क्या हम यह भी नहीं समझ सकते कि ६ पाई और ६ नये पैसों में क्या अन्तर है? आप कहते हैं कि आपके पास पैसों की कमी है, मगर मैं यह कहूँगा कि आपके पैसों की कमी को पूरा करने का साधन यह नहीं है कि आप सब से गरीब किसान हैं उन पर यह करों का बोझ ज्यादा लाद दें। आप कहने के लिए तो कहते हैं कि किसानों के सुधार के लिए और सुविधा के लिए ही राजस्थान रीलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस बिल, १९५७ ला रहे हैं, इससे उनको बहुत सुविधा मिलेगी लेकिन मैं यह कहूंगा कि कि आप एक हाथ से तो उनको दे रहे हैं और दूसरे हाथ से उनको जो कुछ उनके पास हैं उसको खोस रहे हैं। स्थिति वहां की वहां है। यदि कहीं देने में कुछ ज्यादा हो और लेने में कुछ कम हो तो यह उचित हो सकता है। जैसे एक हौज में ६ इन्च का पाइप लगा है पानी भरने के लिए और उसी हौज में तीन इन्च का पाइप पानी निकालने के लिए लगाया जाय तो यह उम्मीद की जा सकती है कि खाली होने के बजाय होज भरा रहेगा मगर यदि ६ इन्च का पाइप पानी को होज से बाहर निकालने के लिए हो और ३ इन्च का पाइप उस हौज को भरने के लिए लगा दिया जाय तो वह होज खाली हुए बिना किसी भी हालत में नहीं रहेगा, चाहे वह पूरा भरा हुआ क्यों न हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि यही स्थिति रही तो राजस्थान

Page No.35

(श्री तनसिंह)

की जनता त्राहि-त्राहि करेगी और एक दिन ऐसा आवेगा कि जनता का हौज खाली हो जायगा और जनता कर नहीं दे सकेगी और हौज खाली होते ही जो लोग सत्ता को लिए बैठे हैं और यह मानते हैं कि वे ही गरीबों के हिमायती हैं। गरीबों की हिमायत करने का काम उन्हीं का है, हम ही ऐसे लोग हैं जो गरीबों का हित देखते हैं और हम ही गरीबों के लिए देवता हैं, वे उस समय ऐसी बातें कहने की सामर्थ्य नहीं रख सकेंगे। उस समय दुनियां देख सकेगी कि खाली हौज क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? मैं इन चन्द शब्दों के साथ इसका घोर विरोध करता हूं और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूँ कि वे इस बारे में बहुत अच्छी तरह से अपना स्पष्टीकरण करें कि किस आधार पर जो लिमिट थी उसको कम किया और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार इन दो-तीन वर्षों में जमीन की आमदनी होने वाली थी उसको छोड़ रखी है और कम आमदनी करने का क्या कारण है?

एक बात बजट के भाषण के दौरान में कही कि हमने टैक्स कम कर दिये हैं, लिमिट कम कर दी गई है लेकिन दरअसल आपने ६ पाई की जगह ६ नये पैसा लगा दिए हैं। हम इस चीज को तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप सैद्धांतिक रूप से सदन को नहीं समझा सकें तो मैं माननीय अध्यक्ष, आपकी मारफत निवेदन करूंगा कि इस बिल को अप्रासंगिक और जनता के लिए शोषणकारी मान कर पास नहीं किया जावे।

श्री दयाकृष्ण (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स) बिल, १९५७ प्रस्तुत हुआ है। यह बिल राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स एक्ट, १९५३ के अन्दर धारा ४ और ६ और कुछ करों की दरों में संशोधन करने के लिये आया है। जहां तक धारा ४ का सवाल है धारा ४ के अन्दर उन्होंने ६,००० को कम करके ३,००० कर दिया है कि जिन लोगों की आमदनी ३,००० रुपया कृषि आय से है उन पर यह टैक्स लगेगा। साथ ही दूसरी धारा के अनुच्छेद में ६० और १८० को कम करके ३० और ९० कर दिया है, चाहे वह स्वयं अपने हाथों से काम करता है या नौकरों से काम कराता है। जिनके पास भूमि होगी और उससे आमदनी होगी उन पर यह कर लगेगा।

इस पर सेक्शन ६ है उसमें संशोधन करके ६,००० के बजाय ३,००० की आमदनी रखी है और अन्त में १९५३ के एक्ट के अन्दर धारा रखी है उसका संशोधन किया है। अब जिस बात पर विचार करना है वह यह है कि जिन परिस्थितियों से आज हम गुज़र रहे हैं क्या उन परिस्थितियों में इस प्रकार का बोझ और भार जो गरीब किसानों पर पड़ेगा, लगाना उपयुक्त है? जैसे मैं आपको निवेदन करूं और हमें व आपको सभी को ज्ञात है कि अभी मार्च के महीने में अतिवृष्टि होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ, इतना ही नहीं कुछ दिनों से हम अखबारों में पढ़ते आये हैं कि किसानों के खलिहानों के जलने की घटनाएं हो रही हैं। मुझे याद है तहसील बड़ौद, इटावा और आमेर में इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में हमने पढ़ा है। खलिहान जल गये, किसान अपने साल भर के जीवन के साधन से अलग हो गया है। यह केवल देवी प्रकोप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी राज्य सरकार की ओर से जिस समय

Page No.36

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बजट रखा गया, भारी करों का प्रावधान रखना गया। यही नहीं राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया हो, मगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने भी अपने विल में और बजट में हमारी भारतीय जनता पर भारी कर टॉंग दिये हैं और पंडित नेहरू के शब्दों में कहा जाता है कि हम नदी में कूद पड़े हैं, यदि हम तेजी से नदी के प्रवाह को पार नहीं करेंगे तो लहरें हमें डुबा देंगी। मैं माननीय अध्यक्ष, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनतंत्र की गहराई बहुत है और दरिया बहुत बड़ा है, उसकी लहरें और उसमें आनेवाले थपेड़े बहुत बड़े हैं। यदि हमने बीच में कोई विश्राम की सुविधा न की और कहीं दूर चले गये और थकने वाले हाथों की चिन्ता नहीं की तो शायद हम रास्ते में ही डूब जावेंगे। चाहे लहरें हमें न डुबा सकें लेकिन हम स्वयं थक कर डूब जावेंगे क्योंकि हमारे हाथ काम नहीं करते। हमारी आर्थिक स्थिति जो इस काम को करने वाली है आधार नहीं बन सके तो मुझे विश्वास है कि हम आर्थिक व्यवस्था में असफल हो जावेंगे। इसलिये मेरा तो कहना यह है कि हम जहां एक ओर भारी उद्योग को लेकर भारी औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह भयंकर भूल है। आज यदि हम अपने देश का उत्थान करना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम जहां एक ओर भारी उद्योगों के लिए सचेष्ट हैं वहां यह भी बहुत आवश्यक है कि हम अपनी कृषि की व्यवस्था को भी सुधारें। आज की राजस्थान की कृषि व्यवस्था की ओर जब हम अपना ध्यान देते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि आज राजस्थान के अन्दर लगान की दरें असमान हैं। राजस्थान के एक भाग में लगान की दर कुछ है और दूसरे भाग में कुछ है। जहां सिंचाई की दरों का संबंध है इस विषय में मैं अध्यक्ष महोदय, बताऊं कि सिंचाई की दरें भी राजस्थान में समान नहीं हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि यदि हम किसी प्रकार का भी कोई टैक्स लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए था कि जिन किसान भाइयों से हम टैक्स ले रहे हैं क्या हमने उन पर समान कर व्यवस्था लगा रखी है? क्या सिंचाई की दरें उनसे समान ली जाती हैं? इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक था। फिर जैसा मैंने बताया, आज की परिस्थिति इसके बिलकुल प्रतिकूल है। आज करों के बोझ से हमारे किसान भाई दबे चले जा रहे हैं। एक ओर तो दैवी प्रकोप है और दूसरी ओर शासन की ऐसी नीति है कि जो किसानों की कमर तोड़ देना चाहती है। ऐसी अवस्था में सन् ५३ से लगाया हुआ एक कर, जो कैसा भी हो, पास हो गया है, किसानों के ऊपर लगा हुआ है। उसको आज की इन परिस्थितियों में लगाना कहां तक उचित है, इस बात पर विचार करना चाहिए था। सन् ५३ में इस बात पर विचार किया गया कि किसानों के ऊपर कृषि आयकर लगाया जाय। तो उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में क्या अन्तर है, इसको भी दृष्टिकोण में रखना चाहिये। फिर भी उस समय जो कुछ कानून बनाया गया, कृषि आय कर के सम्बन्ध में, उस समय ६ हजार की आय पर रखा गया लेकिन उनकी आज विषय परिस्थिति है। आज जब किसान अपने जीवन यापन के लिए, अपने बाल-बच्चों के पोषण के लिए मोहताज हो रहा है उस समय कर में वृद्धि करना कहां तक न्यायसंगत है, इस

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बात पर विचार करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि आज यह परिस्थिति नहीं है। जब हम कृषि आयकर में किसी प्रकार की वृद्धि करें तो हो सकता है कि माननीय वित्त मन्त्री इस बात पर जोर दें कि इस कर से गरीब जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस बात पर विचार करें कि एक किसान की आय यदि तीन हजार रुपया प्रतिवर्ष है तो क्या वह उसके परिवार के लिए, पालन-पोषण के लिए, चिकित्सा लिए, शिक्षा के लिए पर्याप्त है। इस बात पर जब हम विचार करते हैं और कृषकों की आज की परिस्थिति पर विचार करते हैं तो ये दोनों बातें एक दूसरे के प्रतिकूल दिखाई देती हैं। एक ओर हम देश को उन्नत करना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। आज भारतवर्ष का जीवन स्तर कितना गिरा हुआ है विदेशों के मुकाबिले में। विदेशों को समक्ष रख कर जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो भारत की दयनीय अवस्था को देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं। आज कृषकों की अवस्था इतनी गिरी हुई है कि उन पर पंचायत कर लगता है, पंचायत उनसे टैक्स लेती है, तहसील पंचायत उनसे कर लेती है, राजस्थान सरकार उनसे टैक्स लेती है, केन्द्रीय सरकार उनसे टैक्स लेती है; इन सब बातों पर देख लेने बाद में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रख कर फिर हम इस बात पर विचार करें कि जो कुछ टैक्स लगाये गये हैं वे अपर्याप्त हैं या क्या? हमें देखना पड़ेगा कि उनको भारी करों से दबा तो नहीं दिया गया है। आज हमें उन किसानों के उन ऊपर थोड़ा रहम करना पड़ेगा। आज इस बिल को देखने से पता लगता है कि इसके अन्दर जो दरें रखी गई हैं और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि इन दरों में बिल्कुल दुगुनी वृद्धि की गई है। जहां पहले तीन हजार रुपये पर ६ पाई लगाई जाती थी आज वहां ६ नया पैसा हो गया है। इस हिसाब को देखने से साफ नजर आता है कि कर में दुगुनी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं पहले दो हजार रुपया माना था और अब १५०० रुपया पर किया गया है। इसको देखने से ऐसा पता लगता है कि एक ओर जो शासन के कर्ता-धर्ता हैं उन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और दूसरी ओर जो गरीब तबका है उसको आज दबाना चाहते हैं। हमारी आज यह नीति है कि ऊंचे को और ऊँचा उठाया जाये और नीचे तबके को और भी नीचे ले जाया जाये। एक माननीय सदस्य ने इस प्रकार का आक्षेप लगाया था कि जनसंघ के पास कोई अर्थनीति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मैं आपको बताऊं कि जनसंघ अपना एक दृष्टिकोण रखता है। आज कांग्रेस की जो नीति इस सिलसिले में चल रही है मैं समझता हूँ कि उसने अपनी कोई निर्दिष्ट नीति नहीं बतायी है। एक ओर जहां भारी उद्योगों को प्रोत्साहन देने में उलझे हुए हैं वहां दूसरी ओर कुटीर उद्योग का नाम भी अलापते है। पब्लिक सेक्टर के नाम पर, सोशियलिस्टक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के नाम और लोकतांत्रिक राज्य के नाम पर आज नाना प्रकार की नीति अपना रहे हैं लेकिन वह एक ठोस नीति पर नहीं चल रहे हैं। आज जब अपने देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और दूसरी संस्थायें केवल पश्चिमी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

देशों का अनुसरण कर रही हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश की जनशक्ति अधिक है लेकिन यहां की आर्थिक ताकत कम है। हमारे यहां जनशक्ति है और उनके यहां अर्थबल अधिक है। जब हम इंग्लैंड की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहां बड़े बड़े उद्योगों का प्रसार अधिक है। हो सकता है, इंग्लैंड की परिस्थिति में कर ठीक हों क्योंकि वहां की अर्थ व्यवस्था ठीक है। हम लोगों को उन करोड़ों साथियों की ओर देखना पड़ेगा, उन करोड़ों बेकार शिक्षित लोगों को देखना पड़ेगा जिनकी आज हालत यह हो रही है कि वे पढ़ कर निकलते हैं, बाबू बनकर निकलते हैं, और किसी काम को करने के लायक नहीं हैं। आज करोड़ों मेरे साथी बेकार हैं। मैं कहता हूं कि यदि हमारी शिक्षित जनता इसी प्रकार बेकार रही तो एक दिन भयंकर विस्फोट हो सकता है, एक दिन अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है, लोग हमारी राज्य सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक साथियों को काम दें, आज आवश्यकता है कि हम कुटीर उद्योगों का हमारे देश में अधिक प्रसार करें, आज आवश्यकता है कि हम अपनी विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था के आधार पर काम करें लेकिन हम एक ओर तो उन गरीब किसानों को, उन बेकार साथियों को मोहताज करते जा रहे हैं और दूसरी ओर बड़े बड़े लोगों पर किसी प्रकार का भी टैक्स अथवा कर नहीं लगाते। आज यदि इस टैक्स का यह मतलब था कि राजस्थान की जो अर्थ व्यवस्था है वह गिरी हुई है और उसको ऊंचा उठाना था तो आप इस प्रकार से गरीब किसानों की आय पर टैक्स न लगा कर जो ऊपर की आय के लोग हैं उन पर टैक्स लगाते। आप यह करते कि सन् ५३ में जो ६ हजार की आमदनी वाले पर टैक्स लगाया गया अगर उसको ६ हजार के बजाय ३ हजार कर देते तो इसका असर बड़े लोगों पर अधिक पड़ सकता है। लेकिन यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स तो हमारे गरीब किसानों का बोझा बन जायेगा। इसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। आज आवश्यकता थी कि आप इस प्रकार का बिल न रख ऐसा बिल रखते जिसमें बड़े लोगों पर खास तौर से असर पड़ता। हमने यह न करके कृषकों पर कर दुगुना कर दिया है। यह कर जो आप लगाने जा रहे हैं यह अव्यावहारिक है और प्रतिगामी कर है और इसे आपको वापिस ले लेना चाहिए या बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए। आज मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज आप किसानों की हालत पर विचार करें। मान लीजिए कि २५० रुपया प्रतिमास का एवरेज किसान को पड़ता है, लेकिन आप जरा विचार तो कीजिये कि जो यह २५० रुपया उनको प्रतिमास पड़ता है तो जो आज उसकी अवस्था है उस अवस्था के लिए पर्याप्त है? वह आज निरक्षर है, शिक्षा का हमने आज तक कृषकों में प्रसार नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति को जो कि निरक्षर है उसको भी इनकम टैक्स देने के लिए हिसाब रखना पड़ेगा। क्योंकि वह निरक्षर है, वह कोई हिसाब-किताब नहीं रख सकता इसलिए वह एक आदमी को नौकर रखेगा। तो एक ओर तो उसकी आमदनी प्रतिमास की करीब दो सौ या ढाई सौ होती है तो उसको हिसाब रखने के लिए एक आदमी रखना होगा जिसे भी उसे ५० रुपया देना होगा। यही नहीं इस प्रकार एक

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नौकर रखने के बाद वह इनकम टैक्स दफ्तर में जायगा और वहां पर वकीलों की जरूरत पड़ेगी। उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा। आप विचार करें, जिसकी आमदनी मासिक ६५० रुपया है; इतनी थोड़ी सी आमदनी वाले को, एक तो वह पढ़ा लिखा नौकर रखना और उसके बाद भी वकीलों आदि को पैसा देना क्या सम्भव हो सकता है? यह कानून कम आमदनी वाले किसानों को तंग करने वाला, शोषण करने वाला है।

एक तरफ हम कहते हैं, हम समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं लेकिन इस कानून को देखते हुए हम यह कह सकते हैं यह आपकी समाजवाद की नीति नहीं बल्कि शोषकवाद की नीति है। आप शोषकवादी कानूनों का निर्माण कर रहे हैं। हम इस तरह के कार्य कर लोकतन्त्र की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं और जनता से कर के रूप में अधिक से अधिक पैसा लेने की चेष्टा कर रहे हैं। आज आप हमारी अर्थ व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण के प्रश्न को जाने दीजिये, हमारे सामने तो केवल एक प्रश्न आता है और वह यह कि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट आज तक हमारे सामने नहीं आयी। जब हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स लागू करें उसके पहले चाहिये तो यह था कि आप राजस्थान के लिये सीलिंग मुकर्रर करते, हजारों-हजारों बीघा जमीन जिनके पास है उन पर टैक्स लगाते। आप कह सकते हैं कि जिनके पास हजारों बीघा जमीन है उनकी ६ हजार से आमदनी ज्यादा है उन पर तो टैक्स है। आप अगर यह चाहते हैं कि देश के अन्दर सच्चे समाजवाद की व्यवस्था का निर्माण हो तो पहले सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाकर राजस्थान के अन्दर सीलिंग मुकर्रर कर दें। इससे होता यह कि जिनके पास जमीन कम है उनको जमीन मिल जाती और जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर आप भूमि-हीन किसानों को जमीन दे सकते जिससे वे अपने जीवन-निर्वाह के साधन जुटा सकते, उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठता और वैसी हालत में वे टैक्स भी दे सकते थे। इन परिस्थितियों में जब कि सीलिंग आपके यहां मुकर्रर नहीं वैसी सूरत में कृषि कर लगाना, जिनकी माली हालत बहुत खराब है, जो शिक्षित नहीं, जिनको हिसाब-किताब रखना नहीं आता उन लोगों पर इस प्रकार का टैक्स लगाना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान फाइनेन्स एग्रीकलचरल इनकमटैक्स बिल, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वह समिति इस पर न्याय संगत विचार कर सके, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जो आज सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में जनता के अन्दर यह भावना बन गई है कि आज की सरकार जो अपने आपको कल्याणकारी सरकार कहलाने का दावा करती है वह कल्याणकारी सरकार न होकर शोषक सरकार का रूप धारण कर रही है। आज इस कानून के खिलाफ किसानों की झोपड़ियों से आवाज आ रही है और वे कह रही है कि आज के शासन की अपेक्षा जागीरदारों का शासन अच्छा था, आजादी के बनिस्बत गुलामी अच्छी थी। उस समय केवल एक टैक्स के लेने के बाद मुक्ति हो

Page No.40

(श्री लक्ष्मीचन्द)

जाती थी, लेकिन आज के जनकल्याणकारी कहलाने वाले राज्य में चार-चार किस्म के टैक्स देने पड़ते हैं; एक तो बीघोड़ी लगाई जाती है, दूसरा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स देना पड़ता है, तीसरा इनकम टैक्स देना पड़ता है और चौथा सेल्स टैक्स देना पड़ता है; इतने पर भी यह टैक्स और लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पहले इस टैक्स के लगने की दर थी, ६००० रुपया सालाना जिसकी आमदनी होगी उन पर यह टैक्स लगेगा किन्तु अब उसको घटाकर तीन हजार तक की दर कर दी है जिसमें करीब करीब सारे राजस्थान के किसान इस टैक्स के नीचे आ जाते हैं। इन टैक्सों के असेसमेंट का समय होगा उस समय किसानों को नोटिस दिया जायगा। उस समय बोरिश हो जायगी, उस बोरिश के समय क्या किसान उस नोटिस को तामील करेगा या खेत में बीज लगाने की व्यवस्था करेगा ? इस तरह से किसान बोरिश के समय इन टैक्सों के मामले में उलझ जायगा तो फसल से हाथ धो बैठेगा। वैसे ही राजस्थान में अशिक्षा का बहुत बोलबाला है, उस पर किसान को अपना हिसाब किताब रखने के लिए पढ़े लिखे व्यक्तियों को नौकर रखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जब कि गरीब किसान अपना भरण पोषण भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है वैसी सूरत में पढ़े लिखे लोगों को वह किस तरह से नौकर रख पायेगा, इस टैक्स को देखते हुए उसको नौकर रखना अनिवार्य होगा। अगर वह नौकर नहीं रखता है तो अकाउण्ट ठीक तरह से नहीं रख सकेगा और अकाउण्ट अगर ठीक तरह से नहीं रखता है तो उसके खिलाफ एक्सपार्टी असेसमेन्ट हो जायगा और उस एक्सपार्टी असेसमेन्ट को तय करना किसान के लिए असंभव हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, यह दर जो तीन हजार की लगायी गई है उसके लिये नोटिस निकाला जायगा। किसान आज जो भूखा पेट लिए हुए है इसको देखकर और ही उसकी आँखें निकल आयेंगी। आप देखते हैं राजस्थान के किसान के पास जो भूमि है वह भूमि ऐसी नहीं जो हर साल आमदनी देती रहे, यहां हर तीसरे साल अकाल पड़ता रहता है। जब उसके पास असेसमेन्ट का नोटिस पहुँच जायगा, नोटिस पहुँचने के बाद उसको वकीलों का शिकार बनना पड़ेगा। एक तरफ तो उस किसान की जिसके लिए पेट-पालन मुश्किल हो गया है इस टैक्स से जान निकल जायगी और ये जो टैक्स लगाये जा रहे है उनको पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो जायगा। यह टैक्स जुल्मी टैक्स है; जिस प्रकार एक कहावत है:—

"जुल्म कियो जूंझार, रोवण वालो रैयो नहीं,
होवे जुल्म री हार, चौड़े देखो चकरिया।"

अध्यक्ष महोदय, जुल्म हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के टैक्स का भार उठाना किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जायगा इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बिल सदन में आया है इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और इस पर विचार फिर से किया जाय और तीन हजार की जो आमदनी रखी है उसकी जगह ६ हजार रुपये की आमदनी रखी जाय।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चरल इनकम-

(श्री रघुवीरसिंह)

टैक्स एक्ट पर जो संशोधन बिल हमको सर्कुलेट किया गया है उसको मैंने पढ़ा और इसके साथ साथ एक्ट को भी मैंने पढ़ा। इसके पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रिया मुझ पर हुई वह स्पष्ट रूप से सदन के सामने निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं समझता हूँ कि सरकार की ओर से इस हाउस को और इस हाउस के साथ साथ सारी पब्लिक को एक प्रकार से चीट करने का प्रयास किया गया है। इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में जो लिखा है उसकी लास्ट लाइन में जो शब्द हैं, उसको पढ़ने से हमें यह भान होता है कि इस कानून को, केवल रेट्स को नये पैसों में परिवर्तन करने के लिए लाया गया है।

जब एक्चुअल (मूल) एक्ट को देखा गया तो उसमें यह लिखा है, "It will be noticed that the rates of tax have been proposed in terms of new coins." इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस जगह हिसाब लगाने के लिए पुराना पैसा था उसकी एवज में नया पैसा कर दिया गया होगा, इसमें बड़ा भारी धोखा यह किया गया है कि जहां साढ़े तीन हजार की आमदनी पर दो पैसा टेक्स था आज उसके मुकाबले एक आना कर दिया गया, दुगुनी टेक्स की रेट्स बढ़ा दी हैं। मैं यह अर्ज करूँगा कि यह हाउस की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है।

इसके अतिरिक्त दूसरी चीज जो खास तौर से देखने की होती है वह यह कि इस एक्ट का पहले का कार्यकाल कैसा रहा, इसका इम्प्लीमेन्टेशन किस प्रकार हुआ, यदि सरकार इस बात की जांच करती तो सरकार को पता लग जाता कि वास्तव में कितना रुपया एग्रीकल्चरल इनकमटेक्स के रूप में सरकार के खजाने में आया। वास्तविकता यह है कि अगर सरकार इस बात की जांच करती तो सरकार को पता चलता कि जितना रुपया सरकार के खजाने में आया उसके मुकाबले वकील और कर्मचारियों की जेबों में जो इस टैक्स से सम्बन्धित थे उनकी जेबों में कितना रुपया गया ? आपको मालूम होगा, सरकार के खजाने में जो रुपया आया उससे कई गुना अधिक पैसा उन अधिकारियों की जेबों में गया बीच के रास्ते से।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैंने पचासों की तादाद में ऐसे नोटिसेज़ इश्यू होते देखे हैं एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स अधिकारियों द्वारा कि जिनके पास ६ हाजार क्या, तीन चार हजार की आमदनी के भी साधन नहीं थे। और कोई रास्ता नहीं था देने के सिवाय क्योंकि वे जानते नहीं थे। मैं तो चैलेन्ज करता हूँ कि जो वे एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स के रिटर्न के फॉर्म्स हैं, उन बेपढ़े लिखे किसानों को तो जाने दीजिये, जो एवरेज पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिये भी उनको समझ कर भरना सम्भव नहीं होगा। तो ऐसी दशा में अपनढ़ लोगों से या कम पढ़े–लिखे लोगों से भी यह आशा करें कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई है और वे इसके लिये केस लड़ें, तो यह असम्भव है। तो होता क्या है ? जैसे ही नोटिस पहुँचा, वे घबराये, कि यह क्या मुश्किल आई। यहां पूछा, वहां पूछा; कहीं से कुछ जवाब नहीं मिला तो वकील साहब की शरण ली। वकील साहब ने देख लिया और उनसे अपना मेहनताना लेकर शुरू किया। बहुत से केसों में नोटिस दिये गये इस तरह के। उस कर से तो वे किसान मुक्त हो गये पर इन वकील लोगों के कर से मुक्त नहीं हुए। मैं तो यह सब देखकर इस नतीजे पर

(श्री रघुवीरसिंह)

पहुंचा हूं कि इस टैक्स के इम्प्लीमेन्टेशन से तो सरकारी खजाने में तो थोड़ा ही पैसा गया है पर जो ये दूसरे लोग, वकील आदि थे उनकी जेबें बहुत भरीं। तो यह जांच अगर आप भी कर लेते तो सम्भव है कि यह जो आज आपने ६ हजार से ३ हजार तक की रकम घटाई है उस पर पुनः सोचना पड़ता कि आया यह संशोधन ठीक है या नहीं ? पर चूंकि यह सब आंख बन्द करके किया गया, इससे यही मालूम पड़ता है कि सरकार के सामने एक ही लक्ष्य था कि येन केन प्रकारेण आमदनी बढ़ाई जावे, फिर भले ही उससे सरकारी खजाने में पैसा कम आवे और जनता खूब लूटी जावे और इस तरह से किसान पैसे से भी हैरान हो और तबालत में भी पड़े। मैं कहता हूँ कि अगर यही दृष्टि-कोण सरकार का है कि येन केन प्रकारेण आमदनी बढ़ाई जावे तो फिर डाकुओं से ही क्यों नहीं सरकार समझौता कर लेती है कि आधा हिस्सा उनका और आधा हिस्सा सरकार का; तो इससे सरकार की काफी आमदनी हो जावेगी।

अब इस टैक्स के सम्बन्ध में एक चीज और है कि सबको हिसाब भी रखना पड़ेगा। मेरा खयाल यह है और जो राजस्थान के कृषक वर्ग से वाकिफ हैं वे जानते हैं कि २० पच्चीस हजार वार्षिक आमदनी वाले भी कृषक अपने यहां बहीखाते नहीं रखते। काश्तकारों के घरों में यहां बहीखाते रखने का कोई रिवाज ही नहीं है और जब बहीखाते नहीं रखते तो वे एग्रीकल्चर रिटर्न कहां से और कैसे भरेंगे ? आज एक बैल की जोड़ी का इतना खर्च हुआ, चारे का इतना हुआ, हल पर इतने पैसे लगे, एक खाती को दिखलाने के लिये भेजा तो आदमी को इतना दिया इत्यादि प्रकार के रोजमर्रा के खर्चे का हिसाब रखना काश्त-कार के लिए सम्भव नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि कोई भी एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स ऑफीसर इस प्रकार के खर्चे की मन्जूरी नहीं देगा और नतीजा यह होगा कि ग्रास इन्कम पर टैक्स वसूल हो जावेगा और इस तरह से जिसकी ग्रोस इन्कम तीन हजार होगी वह भी मारा जावेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन करना है कि इस पर पूरी तरह से विचार करने के लिये, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द विचारार्थ भेजा जावे तो पूर्ण विचार हो सकता है, इस कानून से राजस्थान की मेजोरिटी पोपु-लेशन जो किसानों की है, उसमें बड़ी हलचल मच जावेगी, यह हमें नहीं भूलना चाहिये।

आज कृषक की हालत भी अधिक अच्छी नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाव अच्छे मिल रहे हैं इस कारण उनको उनकी फसल का अच्छा पैसा मिल रहा है। पर इसके मुकाबले में जो मुसीबतें उनके गले में पड़ गई हैं उनका खयाल किया जावे तो आपको मालूम होगा कि उनकी आज के शासन के प्रति क्या धारणा है। आप गांवों की हताइयों पर जाइये, खेतों पर जाकर किसानों से सम्पर्क कीजिये, रेलों में और बसों में उनकी बातें करते हुए आप पावेंगे तो सब के मुंह से एक ही आवाज निकलेगी कि इस सत्यानाशी सरकार का नाश हो। क्यों ? इसलिये कि तरह तरह के करों के कारण लोग काफी तंग हैं, मुसीबतजदा हैं।

मैं तो निवेदन करता हूँ कि एक तमाखू टैक्स जो है वही किसानों को तंग करने और मुसीबत में डालने के लिये काफी है। इस

(श्री रघुबीरसिंह)

टैक्स के कारण मेरे जिले की बात अर्ज करता हूँ कि हजारों बीघा तमाखू की जो खेती होती थी वह कम हो गई और जो फायदा उससे लोग उठाया करते थे उससे महरूम हो गये। इस टैक्स से एक ओर तो राष्ट्र की आमदनी घटी, दूसरी ओर किसान की आमदनी घटी और इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने इसकी खेती करनी बन्द कर दी। इस तमाखू टैक्स से काश्तकार इतने दुखी हुए, उनमें इतनी हलचल इससे मची कि एक बार तो मुझे याद है कि अलवर जिले में उपद्रव हो गया था।

तो उस टैक्स के साथ साथ जब यह टैक्स संशोधन के साथ लोगों के पास पहुँचेगा तो मैं समझता हूँ कि लोगों के दिलों में इस सरकार में अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी की भावना भी बढ़ेगी और लोग सोचेंगे कि जहां इस सरकार ने तीन साल के अरसे में ६ हजार से घटा कर यह टैक्स तीन हजार की आय पर कर दिया तो उनको अन्देशा होगा कि अब के झपाटे में तीन हजार से एक हजार भी यह सरकार कर सकती है और इस तरह बढ़ते बढते एक रुपये तक कि आमदनी पर भी टैक्स लग जायेगा। जब उस जमीन का लगान लेते हैं, पानी का लगान लेते हैं, आबपाशी कर लेते हैं, तमाखू कर लेते है तो इतने टैक्स लागू होने के बावजूद भी अगर तीन हजार की आमदनी पर एक टैक्स उन पर और लाद दिया तो यह तो न्याय नहीं, घोर अन्याय उनके प्रति होगा। मैं दिलसे इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं in the interest of the agricultural economy and in the interest of the maintenance of law and order in Rajsthan; यह टैक्स कभी भी लागू नहीं करना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष, जो इस बिल को प्रवरसमिति के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रक्खा गया है उसका मैं विरोध करता हूं। विरोधी दल के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि क्योंकि इसमें शब्द "एग्रीकल्चर" आ गया है इसलिए यह कानून खासतौर से किसानों पर भारी वजन डालेगा, पर बात ऐसी नहीं है। खाली नाम देने से किसानों पर, गरीब किसानों पर कोई भार नहीं पड़ेगा।

एक ओर समाजवाद का नारा लगाया जाता है और कहा जाता है कि यह समाजवाद आना चाहिए और दूसरी ओर सरकार उसे कार्य रूप में परिणित करने के लिए कदम उठाती है, तो विरोध किया जाता है।

मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में कई भूमिहीन किसान हैं और जो जमीन की लिमिट रखी है वह भी पर्याप्त है; ३० एकड़ सिंचित और ६० एकड़ असिंचित एक तरफ जो किसान खुद काश्त करता है वह है इस एकड़ इर्रिगेटेड और ६० एकड़ अनइर्रिगेटेड जमीन; वह इतनी भूमि पर अकेला खुद काश्त नहीं कर सकता, उसे हायर्ड लेबर काम लेना पड़ता है, वह फिर दूसरों का शोषण करके कमावेगा। तो यह बोझा उस सो काल्ड (so callad) कृषक पर पड़नेवाला है, गरीब कृषक पर नहीं जो अपनी थोड़ी सी जमीन को खुद काश्त करता है। घर में बैठकर जो दूसरों की मेहनत की कमाई खाना चाहता है उस पर यह बोझा पड़ने वाला है। भारत सरकार ने भी एग्जेम्पशन की लिमिट घटा कर तीन हजार कर दी है इन्कम टैक्स के बारे में, क्योंकि विकास कार्यों का बजट काफी बढ़ रहा है

Page No.44

(श्री सोहनलाल भटनागर)

और इसके लिए धन की जरूरत है । आज इस धन को हमें कहीं से भी लेना है, अन्यथा हमारा विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पावेगा और विकास कार्य का आगे बढ़ना देश के हित में अनिवार्य है । जो सरप्लस रुपया हमारे समाज में है उसे समाज के काम में लेने की आवश्यकता है । तो इस तरह से इस टैक्स से भी हमें रुपया मिलेगा और इससे गरीब किसान पर कोई बोझा नहीं पड़ने वाला है, डेप्रिसिएशन वगैरह काट कर नेट तीन हजार की आय पर यह टैक्स लगेगा । इसलिये मेरा निवेदन यही है कि यह कर बहुत बड़ा नहीं है । यह कुछ बड़े किसानों पर बोझा है जो खुदकाश्त नहीं करके दूसरे हायर्ड लेबर के जरिये खेती कराते हैं और इस तरह दूसरों की मेहनत पर जिन्दा रहना चाहते हैं । तो इस तरह इन लोगों के पास जो सरप्लस रकम है वह उनकी मेहनत की भी नहीं है, वह तो समाज की है और उसे समाज के हित में लगना चाहिये । तो यह जो प्रावधान रक्खा है इस दृष्टि से काफी उपयुक्त है और इसको प्रवर समिति में देने की आवश्यकता नहीं है । इसे सदन जल्दी जल्दी पास कर दे तो उचित होगा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस फाइनेन्स एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल के बारे में राज्यपाल महोदय के भाषण में भी उल्लेख था । उस वक्त भी मैंने इसका विरोध किया था और अब भी इसका विरोध करता हूँ । इसका कारण यह है कि आज हम देखते हैं कि भारतवर्ष में अधिकतर संख्या किसानों की हैं और देश का दारोमदार और राजस्थान का अधिकतर दारोमदार किसानों पर ही है । अगर हम यह सोचें कि किसान अपनी उन्नति नहीं कर सके और किसानों पर एक टैक्स के बजाय दूसरा टैक्स और दूसरे टैक्स के बजाय तीसरा टैक्स हम लगाते जायं तो जो यहाँ किसानों के साथ वायदा करके आये हैं उसका उल्लंघन करेंगे क्योंकि आज हम देखते हैं कि देश में जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है तो वह किसान वर्ग है । किसान वर्ग देश की रीढ़ कहलाता है । उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के बजाय कमजोर करने की ओर जायेंगे तो राजस्थान भलाई की ओर नहीं, किन्तु बुराई की ओर ही जायेगा । आज हम कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास जमीनें हैं जो दूसरों को देकर, घर बैठे रह कर साधन बनाते हैं, उन पर टैक्स लगाया जायगा । मैं आपको बताऊं कि यह नहीं है, किन्तु उसके विपरीत बात है । आज बहुत से किसान हैं जो किसानी के अलावा अपने जीवन को उच्चतर बनाने के लिए अनेक साधन करते हैं और वे दूसरे साधन करते है और किसानी भी खुद करते हैं, तो क्या उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा ? मैं कहता हूं जरूर लगेगा । जो किसान अपना स्तर ऊंचा उठाना चाहता है, जो किसान अपने को दूसरी जनता के अनुसार बनाना चाहता है, जो किसान अनपढ़ है, जिस किसान के पास रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, क्या हमारी सरकार यह चाहती है कि वे किसान उसी दशा में रहें और उन आदमियों से ही टैक्स वसूल न किया जाय जो केवल किसानी का ही धन्धा करते हैं ? मैं समझता हूँ कि हमारा ध्येय तो यही है कि किसान किसानी करते वक्त अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे उपाय भी करें ताकि वह देश की उन्नति में सहायक हो । इस सूरत में हम देखते हैं कि ६ हजार के बजाय ३ हजार और जमीन का माप दंड भी कम कर दिया गया है, यह उपयुक्त नहीं

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

है। हम यह देखते हैं कि यह एक हमारी जो हिन्दू प्रथा है उस पर एक कुठाराघात है। हमारा जो इन्टर फेमिली सिस्टम शताब्दियों से चला आ रहा है, अगर हम इस कर को ६ हजार से घटाकर ३ हजार करेंगे, जमीन का माप दंड कम करेंगे तो क्या होगा कि जो किसान इन्टर फेमिली में रहते हैं वे अलग अलग होने की सोचेंगे क्योंकि टैक्स से बचने के लिए उनको यही उपाय सूझेगा और वे यह देखेंगे कि हम किस तरह से ऐसे टैक्स से बच सकते हैं।

१. ३. म० प०

(सभापति, श्री सज्जनसिंह, पदासीन)

किसानों के लिए मुश्तरका खानदान होना लाजमी है। अकेला एक किसान खेती में काम नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से वह इस सिस्टम की ओर अग्रसर होगा। इस मुश्तरके खानदान के लिए कोई एग्जेम्प्शन इसमें नहीं रखा गया है। उन पर भी यह टैक्स लागू किया गया है जैसा कि डिवाइडेड फेमिली पर लागू किया गया है। ऐसी स्थिति में मैं यह बताना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार के तरीकों को मिटाने के बजाय भ्रष्टाचार के तरीके गांव गांव और घर घर में फैलाना चाहते हैं, किसानों के घरों में भी उसको पहुँचाना चाहते हैं। जो किसान अनपढ़ है, समझ नहीं सकता, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता वही किसान, जिसमें भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति नहीं है, वही हम उसको सिखाने जा रहे हैं। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि किसानों का स्तर ऊंचा करें और दूसरी तरफ इस प्रकार के टैक्स लगा कर उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे से यह विपरीत स्थिति हो जाती है। जो किसान हिसाब नहीं रख सकता है, जो किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, ऐसे किसान जो मेहनत से, अपनी गाढ़ी कमाई से अपने स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, उन किसानों पर ऐसे कर लगेंगे तो वह उपयुक्त नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कि दूसरी दूसरी कमाई करने वाले लोगों पर इन्कम टैक्स लागू है, एक तरफ यह कहा जाय, दूसरी तरफ यह कहते हैं कि जो कमाई करता है, एग्रीकल्चर का काम करता है उस पर भी टैक्स लगे। मैं कहता हूँ, दूसरी कमाई ज्यादा होती है और उस पर भारत सरकार ने इन्कम टैक्स लगा रखा है। यह कहना कि उन पर नहीं होगा, यह गलत साबित हो जाता है।

अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप एक तरफ यह कहते हैं कि हमारे यहां पर अनाज की कमी है, देश में खाद्यान्न की कमी है, इस ओर किसानों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए जिससे कि ज्यादा खेती करें और उससे देश की खाद्य स्थिति ठीक हो; दूसरी तरफ ऐसे लोगों को आप आकर्षित करना चाहते हैं जो इसमें आकर्षित न होकर ऐसा करेंगे कि वे इस टैक्स से बचें। यह ऐसा गम्भीर और विचारणीय विषय है कि यदि आप इसको एक दम पास कर देंगे तो घर घर से किसानों के वोट लेकर यहां जो हम आये हैं उनको यह बताना होगा कि आपने क्या यह टैक्स उन पर लगाया है।

(करतल ध्वनि)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, वहां इस पर विचार हो और विचार होने के बाद निर्णय कराया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Chairman....

श्री भैरोंसिंह : चेयरमेन महोदय....

श्रीमती सुमित्रा : चेयरमेन महोदय....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : Shri Shri Bhan Singh.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Chairman, Sir, I can surrender my rights in favour of 'ladies first' if she wants.

(श्रीमती सुमित्रा के खड़े होने पर)

श्री श्रीभानसिंह : But the right should not be taken as transferable, Sir.

श्री सभापति : All right.

श्रीमती सुमित्रा : Mr. Chairman, Sir, in part (i) for the figures "6000" the figures "4000" be substituted,...

अनेक माननीय सदस्य : यह अमेन्डमेंट कैसा ?

श्री सभापति : Order please ! The stage of moving amendment has not come. The members are speaking on the principles of the bill.

Yes, Shri Shri Bhan Singh.

श्री श्रीभानसिंह : I never knew that I surrendered my rights for Aesop's fable.

श्री सम्पतराम : Your right has not been properly utilised.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the proposal for circulating this Bill to the select Committee, and I find it very difficult that against the provincial taxes our Finance Minister is finding difficulty to reach the stradel path of taxation, and, therefore, I found it my duty to help him to reach his aim to meet the expenditure of a welfare and social State.

Sir, the talk on this Bill has been on certain points from the side of the farmers, on ground of ideology and socialism and on grounds of corruption. If we look into this Bill all these three arguments do not apply. The Hon'ble members who came forward with these arguments will excuse if I say that they are beseless. People try to expound certain ideology unbased on facts, certain principles unsurported. For instance, Sir, I say that this tax, of course, is so mixed up that it cannot be considered separately without a reference to our land-revenue system, but to that I will come later.

First the argument advanced was that this tax will hit the ordinary farmers or say majority of the farmers in our State, and, hence, instead of raising the standard this is going to lower their standard, will take them to the poverty level, Sir, I do not agree to this. Perhaps they have not gone through the statistical

(श्री श्रीमानसिंह)

information supplied by this Government. My information is that 50% of the farmers own less than 5 bighas of land and 75% of farmers own less than 10 bighas of land, and rest, certain percentage, own the rest of the land. Now we should see 5 bighas and 10 bighas and compare their yield, compare their cost and come to the conclusion whether the tax-the majority of farmers, 75% and 50%, own 10 and 5 bighs of land-will be on them. This tax will be on Rs. 3000/-. Whether their income will be Rs. 3000/-, and since the majority of the farmers have small income they will not be affected by this Bill. Therefore, the argument that it is going to affect the farmers detrimentally Will not rise.

Coming to the point of view of socialism I must say that socialism means taxation. Let it not be taken that there is no State, whether socialist or communist, that can be run without taxation. I would like to draw the attention of this House to the communist State of Soviet Union.

Soviet Union where agricultural income tax is levied on two thousand rubels on private individuals. Thus this tax exists even in the Soviet Union and this is a tax in money and if we go deeply in the tax structure of the Soviet Union we will find that the highest rate of taxation in the Soviet Union is levied in kind, and that is on the farmer. So even on principles I do not see how this tax can be opposed on three thousand. How many people here, how many farmers have an income of three thousand rupees ? That we have to think. It is a point to be seen, that out of the majority of farmers, owning five to ten bighas of land, how many of them have income of Rupees three thousand ? They are only very big people, very big landlords, they have an income of three thousand and if they are taxed and the amount is brought back into the State treasury and to the exchequer and spent for the benefit of the majority, where is the harm, where is the wrong ? On whom the incidence of this taxation will lie ? If we see this, we find that this will lie on those who can bear this burden, who have got broad shoulders, who are bigger landlords. Thus, this tax is in accordance with our ideal of socialism, the principle of equality, because it will be levied for those who are in need of food, who are in need of bread, who are in need of shelter and clothing, and if the State Government taxes those people it is not against socialism. We cry for the farmers, for the socialistic pattern. Then where is the reason...

(घंटी)

Coming; Sir, that this tax is so

(श्री श्रीमानसिंह)

inter-mingled with land-revenue system, I cannot help referring to the land-revenue system prevailing in Rajasthan. Of course, Sir, if we did not have this tax and the land revenue system is there, the Hon'ble Members who criticise this Bill on principle, will see that the burden of the land revenue will fall on the farmer, they will either come out with the proposition that either it should be on a sliding scale or some principle should be determined in order to levy the land revenue, in order to support the poor farmers. I agree with this. As long as there is no agricultural income tax, the principle of land revenue is wrong; it is inequitable. It does not adhere to the principle of 'ability to pay'. But now the position changes The position of land-revenue changes as soon as we introduce agricultural income-tax.

श्री सभापति : Is the Hon'ble Member speaking on the point of referring this Bill to the Select Committee or on the principles of this Bill ? Will you kindly clarify this point ?

श्री श्रीमानसिंह : I have to support this Bill on the principles of this Bill and saying that it should ont be referred to a Select Committee. There is no point in referring it to a Select Committee.

Coming, Sir, to land-revenue, as we introduce this system of agricultural-income-tax then we see that the incidence or the equality of taxation is restored immediately, because, there, even the smallest man, owning five bighas and ten bighas of land, he pays land-rdvenue, and similar land-revenue is paid by the man owning thousands of acres. What right is there that an honourable gentleman, the farmer, as I call him; what right has that farmer got to pay similar land revenue although he owns 1000 Bighas. Why does he not come out and say, I will like to pay more land-revenue since the produce in my field is more, but no, he wants to be treated on a similar level, with the level of the ordinary farmer and since agriculture income-tax now is imposed, there is a hue and cry that the farmer will be hit hard, and not the land-lord who pays similar land-revenue, who earns more, whose yeld is more, who holds more land, and if the tax is levied, then it is said to be inequitable ? Where is the inequity ? Where is the difference? I think it is most just, it is most equitable that this tax should be levied.

But there is one confusion out of which I have not been able to come out. On the 10th of this month, the Hon'ble Finance Minister made a statement in this House during the course of his speeech

(श्री श्रीमानसिंह)

that this tax will be levied on the net income of 5,000/-, while the tax that is being leived in this Act is just on 3,500/- income. Therefore, there is a contradication. Whether he has changed his own opinion or whether it is a misprint here, I cannot say. If we look to the proceedings of this House, during the course of the reply on the general discussion of budget, he said that the tax will be levied on 5,000 net income and ten thousand gross income. That is contradicted by the schedule printed here.

But now, Sir, as we see this in the context of planning, we find that this taxation is just. After all, taxation measures cannot just be seen like that. Today we have to see them in the context of planning. How our re-distributed measures of taxation will affect our planning system. That is an essential point. We have to bear in mind whatever we do, whether our targets of planning will be affected. If we see from that point of view, there is certainly a a substantial argument that this tax should not be levied, because after all we should see the individual initiative and enterprise. After all, those people whose production is very much more and who own more, those people who have thousands of acres, who have more capital, who have invested more capital, they produce more and they help in reaching the targets of food production, if we tax them and bring down the limit of income to three thousand or two thousand, then we must see as to what will be its effect on their initative. It is our misfortune today that we have not been able to calculate-this Government has not been able to give us as to what has been the effect of this agricultural income tax on their initiative or the effect of certain other taxes, we do not know. This tax was levied some five years ago. We do not know how far this tax helps in production, helps in producing more or producing less. Similarly, from this point of view and when we see the planning point of view, I am rather doubtful whether this tax, which is being levied, will help in reaching our food targets, because we are planning for irrigation, we want the people to utilise manure, we want the people to improve their seeds. Now the farmer cannot afford to have a fertiliser. Only a capitalist farmer can afford it. All these things only arich farmer can utilise and he can usefully invest his money, and the production will increase. But if the Finance Minister supplies us the statistics, double the yield and more yield is multiplied on a bigger holding than on a lesser holding if this tax is levied, whether this will not crush the initiative, whether that will help in reaching the production targets.

(श्री श्रीभानसिंह)

Therefore I will like the Finance Minister to assess its repercussions on these things and then see whether this tax can be levied or not. But from the point of view of equity, socialism and from the point of view of the farmer I say that this tax does not affect the farmer. It is correct from the socialistic point of view, from the point of view of equality, ability and certainty: from the point of view of all the canons of taxation this is a best taxation measure that the Rajasthan Government could levy, because the principal of taxation is this that those people who can sacrifice, who can easily sacrifice for the betterment of our country must be asked to sacrifice. People who can bear the burden of taxation must be asked to bear the burden. Socialism is not a State without taxation. It is a state of super taxation, but taxation on the rich and not on the farmers and the poorest people of this State.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति जी, राजस्थान में जो तीन हजार की आय वाले किसान हैं, उनके ऊपर यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगा रहे हैं, इसके विरोध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही साथ इसके पक्ष में कहना चाहता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में देना चाहिए। वैसे कई दिनों से मैं देख रहा हूँ सदन के अन्दर कि विरोधी दल की तरफ के सदस्य ठीक ढंग से, सच्चाई से और न्याय को आगे रखते हुए कोई रखते हैं तो उसका कांग्रेस के सदस्यों द्वारा विरोध किया जाता है। या तो वे कहते हैं कि हम जानते ही नहीं, या कहते हैं कि पूरे इकोनोमिस्टों का ठेका कांग्रेस ने ही ले लिया है, या कहते हैं कि सोशियलिज्म या कॉम्युनिज्म को वे ही लोग जानते हैं। जो भी चीज सही रूप में रखी जाती है इस सदन में, वे उसे गड़बड़ा देते हैं और हमारे माननीय मिनिस्टर भी उस गड़बड़ाहट में फंस कर यह दलील देते हैं कि विरोधी दल तो केवल झूठा है, विरोधी दल सही चीज नहीं रखता है। इसलिए मैं १०–१५ दिन से नहीं बोल रहा था। जब भी कभी कोई विरोधी दल का सदस्य बोलता है तो यह कह दिया जाता है कि ये विरोधी दल वाले तो जोश में आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि गलत चीज पर जोश किसको नहीं आता? यदि कोई बात सच्चाई के साथ नहीं कही जाय, तो जोश क्यों न आये? अब हमारे पास जोश के सिवाय है ही क्या? आप लोग जोश में न आयें, क्योंकि राज्य आपके हाथ में है। लेकिन यदि सदन में कोई गलत चीज आयेगी....

श्री सभापति : आप एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स पर बोलिये।

श्री मदनसिंह : इसी पर बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : जोश में आ रहे हैं साहब।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : मेरा यह निवेदन है कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के मरीज यहां नहीं हैं, क्योंकि जो सज्जन यहां विराजमान हैं, उनमें से एक भी एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है।...

(श्री मदनसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं आज काफी मसाला सदन के सामने रखने के लिये लाया हूँ, उसके द्वारा मंत्री महोदय को बताऊं कि कितना जुल्म और ज्यादती हुई है एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स देने वालों पर। इन्कम टैक्स कैसे मनमाना लगाया गया है? जो पहले इन्कम टैक्स में गन्दगी थी और जिसको हटाया गया था, वही गन्दगी इस एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में रखी गई है। वह गन्दगी है अपील के सम्बन्ध में। आप कहते हैं कि तीन हजार की आमदनी वालों पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया जायगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

श्री मदनसिंह : मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आज जो बहस चल रही है, वह गलत चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में क्या खराबी है? इस बिल में आपने तीन हजार की आमदनी पर टैक्स रखा है, लेकिन अपील का प्रोवीजन नहीं है। मैं शर्त के साथ कहता हूं कि इसमें आप अपील का प्रोवीजन रख दीजिये, आप तीन हजार की आय पर नहीं, एक बीघा पर टैक्स लगा सकते हैं। आज मैं रिकार्ड लाया हूं, उनसे पता चलेगा कि इस कानून की सबसे बड़ी खराबी है कि इसमें अपील की गुंजाइश नहीं है। जिस समय अंग्रेजों ने इन्कम टैक्स कानून बनाया था उसमें अपील की गुंजाइश नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उस कानून में अपील की गुंजाइश रखी गई। वही खराबी अब इस एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में आ गई है। मेरे पास एक बीघा भी खुद काश्त नहीं है और ५० रुपये का टैक्स मेरे ऊपर लगा है। मैं अपील करता हूं तो उसकी सुनवाई नहीं होती। आज जब बड़े बड़े आफिसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे अकाउन्ट्स नहीं रख सकते और अकाउन्ट मेन्टेन करने वाले ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, तो एक गरीब जिसकी आमदनी तीन हजार की है, जिसकी झोंपड़ी कभी जल जाती है, उनको हिसाब देने में काफी गड़बड़ी होगी, कभी उनका हिसाब जल जायगा, कभी उनको अच्छा वकील नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह होगा कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के जो ऑफिसर हैं, वे मनमाना टैक्स लगावेंगे। मैं निवेदन करूं कि एक जागीरदार जिसकी आमदनी सात हजार है, उसके लिए यह कहेंगे कि जब इसकी आमदनी सात हजार है तो ३ हजार आमदनी खुदकाश्त से हो सकती है और उस पर टैक्स लगा देते हैं। उसकी रिपोर्ट मंगाई या नहीं, ऑफिसर ने तफतीश की या नहीं, बस रफ एस्टीमेट लगा दिया जाता है उसकी इन्कम का। मैं खुद अपने लिए कहता हूँ कि मेरे पास एक बीघा भी खुदकाश्त न होते हुए मेरे नाम ५० हजार रुपये का खुद काश्त लिखा है....

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अमेंडिंग बिल है, और उसमें जो प्रावधान हैं, उन्हीं पर बहस हो सकती है। माननीय सदस्य अपीलेट पॉवर पर बहस कर रहे हैं, असेसिंग की बात कह रहे है, जब कि इसमें वह प्रावधान मौजूद नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विषयान्तर न हों।

Page No.52

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि एक आफत आने वाली है, उन सब किसानों पर आफत आने वाली है जिनकी तीन हजार की आय है। वे हिसाब का रिकॉर्ड मेन्टेन नहीं कर सकेंगे। मैं आपको एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स का केस बताऊंगा। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के लिए आप गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स रखते हैं, लेकिन उनके सामने भी अकाउन्ट मेन्टेन करने में दिक्कत आ सकती है। एक बापू गांव में कोर्ट ऑफ वार्ड्स की व्यवस्था हो रही है। उस ठिकाने की आय ७ हजार की है। लेकिन उसकी आमदनी का रफ एस्टीमेट लगाया और उसको १२ हजार का ठिकाना मानकर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगा दिया गया। ऐसे ही अन्य कई ठिकाने हैं, जिनकी आय कम है, लेकिन खुद काश्त के नाम पर इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, उनकी अपील की कोई सुनवाई नहीं होती है। आज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के नाम पर, खुद काश्त के नाम पर उनको हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है। ये नुकसान के मसले इन सब गरीबों के हैं, गरीब किसानों के हैं जो रिकार्ड मेन्टेन नहीं कर सकते। आज जो हिसाब कोर्ट ऑफ वार्ड्स में मेन्टेन नहीं कर सकते, वही हिसाब तीन हजार की आमदनी वाले किसानों को मेन्टेन करने में बड़ी मुश्किल हो जायगी। वे नहीं जानते कि किस तरह से फॉर्म भरा जायगा, किस तरह क्या किया जायगा? इसलिए कम से कम सिलेक्ट कमेटी में यह तो देखना चाहिए कि फॉर्म भरने में कितना टाइम लगता है, उन आदमियों को कैसे वकील की जरूरत पड़ेगी? मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय, कि जब इनकम टैक्स लगा था तो एक साल तक प्रचार हुआ था कि किस तरह फॉर्म भरने हैं, किस तरह काम करना है। लेकिन आज एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का कोई प्रचार नहीं है। आप देखिये कि गांवों में इसका कुछ पता नहीं है। जागीरदार समझ रहा है कि काश्तकारों पर यह टैक्स लगा है, काश्तकार समझता है कि जागीरदारों पर यह टैक्स लगा है। इस टैक्स का इतना भी प्रचार नहीं है। जो इस मर्ज के मरीज हैं, उनकी संख्या ८० प्रतिशत है। मैं आपको कहता हूँ कि ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े को मार कर अगर आप खुश रहें, तो हमें खुशी है, लेकिन इन गरीबों को क्यों मार रहे हैं? उनको मार कर क्या आपकी तरक्की हो जायगी? टैक्स लगाने का एक मोटा सिद्धांत है कि कम से कम टाइम में, कम से कम खर्चे में, अधिक से अधिक टैक्स लगाना चाहिये। आप तीन हजार की आय पर टैक्स रख देंगे, तो उसके लिए आपको गवर्नमेण्ट सर्वेन्ट्स भी रखने पड़ेंगे, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स पर आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा कि टैक्स से वसूली कम होगी और खर्चा ज्यादा होगा। मैं समझता हूं कि यह प्रिन्सिपली गलत है कि कोई टैक्स लागू करें तो उसके लिए खर्चा ज्यादा करें और उस टैक्स से कम आय हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि तीन हजार की आय के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है। इसको सिलेक्ट में देना चाहिए और फिर पुराने रिकॉर्ड मंगा कर उस पर विचार करना चाहिए। यदि इस तरह देखेंगे तो तीन हजार तक की आमदनी पर नहीं, १ हजार की आमदनी पर भी टैक्स से उगाई हो सकती है। जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती करते हैं, वे कई टैक्सेज़ ऑलरेडी दे रहे हैं, उन पर आप एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स और लगा रहे हैं। इन किसानों की जितनी आय तीन हजार से ज्यादा है, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स देना पड़ेगा, दूसरा

Page No.53

(श्री मदनसिंह)

रेवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा, तीसरे यदि वे पंचायत में रहते हैं तो उन्हें पंचायत के टैक्स देने पड़ेंगे यदि वे म्युनिसिपल कमेटी के क्षेत्र में रह रहे हैं तो उन्हें म्युनिसिपेलिटी के टैक्स देने पड़ेंगे। पांचवां एक लेवी टैक्स और लागू होता है। इन गरीब किसानों को उस लेवी टैक्स को भी देना पड़ेगा, और जो जागीरदार और किसान दोनों है उनको लेवी भी देनी पड़ेगी और सहहिस टैक्स भी देना पड़ेगा और अपनी खुदकाश्त के लिए वह इम्प्लीमेंट्स खरीदना चाहेगा तो उसे सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। इस तरह से करीब आठ-नौ टैक्स जमीन बोने वालों पर, काश्तकारों पर लगते हैं, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो जमीन बोता है उस पर एक ही टैक्स लगना चाहिए, सेटलमेन्ट की जो दर है उस हिसाब से रेवेन्यु का टैक्स लगना चाहिये, नहीं तो जनता जो पहले से असंतुष्ट है और असंतुष्ट हो जायगी और आज जो सोशलिज्म की बात की जाती है, वह केवल कागजों में ही रह जायगी।

चाहे इस कानून को बनाने में आपकी मंशा ठीक हो पर सही रूप से इस पर विचार नहीं किया गया है और इसमें बड़ी बड़ी गलतियां रह गई हैं, उन पर अगर विचार नहीं करेंगे तो इसका नतीजा बुरा होगा। बड़े जो हैं वे आज टैक्स नहीं दे सकते तो छोटे तो दे ही कैसे सकते हैं? इसलिए मेरी यह राय है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रखना चाहिये, सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हो जायगा तो आपको पता चल जायगा कि इसमें कितनी गलतियां हैं। सिलेक्ट कमेटी में मैं इस बिल को क्यों भेजना चाहता हूँ, इसके कारण हैं। सिलेक्ट कमेटी में भेजने से जो ३००० की आय पर टैक्स रखा है, उस पर भी विचार हो जायगा और इसके अलावा इसमें जो जो खामियां हैं वे भी पूरी हो जायंगी और इस तरह दोनों बातें एक साथ हो जायंगी।

एक खास बात मैं और निवेदन करना चाहूँगा, वह यह है कि अगर इस तरह से यह टैक्स लगा तो कोई भी खेती के लिए तैयार नहीं होगा। खेती की तरक्की के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आप ट्रैक्टर क्यों देते हैं, बिजली और पानी का प्रबन्ध क्यों करते हैं? इसीलिए कि खेती की तरक्की हो। अतः अगर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रख कर इस पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया और इसमें जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त नहीं किया गया तो कोई काश्त करने को तैयार नही होगा। तो बड़े बूढ़े लोग हैं, फाइनेन्स में रहने से सब समझते हैं, उन्हें इन चीजों पर विचार करना चाहिये। अगर ऐसा है कि हमें लागू करना ही है तो क्यों किसी चीज की आड़ ली जाती है, क्यों कहा जाता है कि बजट में घाटा चल रहा है, इसलिये हमें यह लागू करना है। अगर घाटा चल रहा है तो यह आपकी गलती है, दुनियां में देखा है कि अगर किसी के बजट में घाटा है तो वह अपनी रिक्वायरमेंट्स में कमी करता है, पर यहां घाटा है तो रिक्वायरमेन्ट्स बढ़ रही हैं और जनता पर नये नये टैक्स लगाये जाते हैं। इस तरह करने से तो न सरकार ही तरक्की कर सकती है और न दुनियां को ही सुख मिल सकता है।

मुझे मालूम है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को यह पोस्ट बड़ी जबरदस्ती दी गई थी। शुरु में ही उन्होंने कहा था कि

(श्री मदनसिंह)

मैं तो सरस्वती का पुत्र हूँ, मुझे लक्ष्मी की की गोद में बिठा दिया गया है। आपको इस महकमें को छोड़ देना चाहिये, आपने बड़े बड़े काम किये हैं, आप विद्वान हैं, यह तो दुर्भाग्य है कि राजस्थान में पधार कर इसमें फँसे जो लोग कह रहे हैं कि हरिभाऊ जी के जरिये यह काम हो रहे हैं·······

श्री अर्जुनदास : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह दुर्भाग्य किसके लिये है ? हमारे लिये या वित्त मंत्री जी के लिये ?

श्री मदनसिंह : दोनों के लिये।

श्री सभापति : The Hon'ble member should realise that this is not relevant to the point on which he is speaking.

श्री मदनसिंह : Sorry. समय पर भी पाबन्दी लग गई है तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रख दिया जाय और मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको बहस का मामला न रख कर आपके सब के दिल में दर्द है, एक तकलीफ है, मैंने यह देखा है कि कांग्रेस के सदस्य बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि बात तो ठीक है पर पार्टी के लिहाज से ऐसा करते हैं। हमारी पार्टी में तो यह है कि आपको सूंघना भी नहीं चाहिये·······

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : ऐसी बात है हमारी माताएं हैं, वे भी कहती हैं कि क्या करें ठाकुर साहब, बोलना चाहती हैं पर गला घोंट दिया जाता है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : माताएं·····

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : यह शिकायत तो आपको नहीं होनी चाहिये, कांग्रेस वालों को होनी चाहिये। आप तो सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के पोइन्ट पर ही बोलिये।

श्री मदनसिंह : सिलेक्ट कमेटी में किस लिये भेजा जाना चाहिये ? यही कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियां मिल जुल कर काम करें, ईमानदारी से काम करें। इस बहस में ईमानदारी को खो बैठते हैं, मिनिस्टर साहब का इस पर क्या जवाब होगा ! यही होगा कि ये सारे झूठे हैं। जनता के सामने बोलने को तो ८ घंटे बोल लेते हैं पर यहां अच्छी तरह ईमानदारी से क्यों नहीं सोचते हैं !

श्री सभापति : I will draw the Hon'ble member's attention to the subject matter, please.

श्री मदनसिंह : (जारी रखते हुए) तो मुझे तो यही कहना था कि इसे सिलेक्ट कमेटी में दे देना चाहिये। पर मैं यह कहे देता हूँ कि काश्तकारों पर ही इसका बुरा असर पड़ेगा, जागीरदारों पर नहीं, जागीरदार तो फिर भी किसी तरह से कुछ कर लेंगे, रिश्वत देकर इसके असर से बच जाएंगे। मैं आपको बताऊं, हमारे वहां के तहसीलदार ने १,८१,००० रुपया टैक्स का मुझ पर लगाया। मैंने कहा, मैं टैक्स ही नहीं दूंगा दुबारा तहसीलदार ने कहा कि ४२,००० कर दूंगा, कुछ पैसे दे दो। तो इस तरह जागीरदार तो फिर भी बच निकलेंगे। बेचारे गरीब अगर हिसाब नहीं देंगे तो कौन नेता चन्दा करेगा, कौन पटवारी से रिपोर्ट करेगा और यह सही चीज है कि ६० प्रतिशत ३,००० तक की

(श्री मदनसिंह)

आय वाले, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ९९ प्रतिशत ऐसे हैं जो हिसाब पेश नहीं करेंगे और दो साल बाद तो उनकी समझ में आयेगा कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स क्या चीज है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वाद-विवाद की ओर ध्यान न देकर यह जो 'सत्यमेव् जयते' लिखा हुआ है इस ओर ध्यान रखें। 'सत्यमेव् जयते' के इस मन्दिर में बैठ कर अगर इतनी लम्बी चौड़ी बातें करते हैं और इसको इसी तरह लागू ही करना चाहते हैं तो हमने भी ठान लिया है कि हल्ला-गुल्ला करेंगे, नहीं होने देंगे पास।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि बड़ों से टैक्स लेंगे। मैं कहता हूं जरूर लीजिये, उनके मकान तोड़ दें और राष्ट्र की योजना के लिये उनकी ईंटें बेच दें, पर यह ३००० की आय पर टेक्स रखा है, यह तो बहुत कम आय है। इतनी आय वाले तो बहुत हैं। कब उनकी दरख्वास्तें लेंगे, कब उनकी सुनवाई होगी? इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में रख दीजिये, अन्यथा हमको भी मौका देंगे कि आपके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठायें, और २४ तारीख बाद अपने हल्के में जावें तो देखना कि आपके हल्के में क्या हल्ला होता है। हम तो कहेंगे कि एक बीघे वाला किसान है उस पर भी टेक्स लगेगा, क्योंकि जिसने हिसाब पेश नहीं किया, एग्रीकल्चर ऑफीसर को अख्त्यार होगा कि वह उन पर टेक्स लगा दे। इसलिए आप इसे सिलेक्ट कमेटी में दे दीजिये और उसमें आपके विश्वास के जो लोग हैं, उनको और इधर के भी कुछ लोगों को रखिये, वहां इस पर अच्छी तरह से विचार हो सकेगा और जो इसमें खामियां हैं वे वहां दुरुस्त हो सकेंगी? अन्यथा हम तो खुश हैं कि परमात्मा आपसे अन्याय कराये और जल्दी ही यह भांडा फूटे।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष (सभापति), माननीय सदस्य ने जो कहा है "सत्यमेव् जयते" मैं भी उसी तरफ ध्यान रख कर बोल रहा हूं और मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस रूप में हम चाहते हैं कि देश में तरक्की हो, देश में एक नयापन आए, देश को ऊपर उठाना है, यदि इस देश में आप इस प्रकार की बातें करेंगे कि काश्तकार गरीब है, काश्तकार के पीछे जो आपकी भावना लगी है उसका मतलब है; गरीबी, अज्ञानता और कहना चाहिये निर्धनता। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में जो काश्तकार रहते हैं और राजस्थान में जो काश्तकार रहते हैं अगर उनको आमदनी ३,००० तक पहुँच जाती है तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी चीज होगी और वे बहुत खुश होंगे और टैक्स देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन राजस्थान में आसानी से ऐसे काश्तकार आपको प्राप्त नहीं होंगे कि जिनसे आप इस प्रकार की आशा करें कि उनकी आमदनी ३,००० है और वे टैक्स देने को तैयार नहीं हैं। जब कि हम एक तरफ यह चाहते हैं कि सभी जगह सड़कें बनाई जावें, होस्पिटल खोले जावें, पानी का अभाव है वहां पानी के अभाव को मिटाया जावे, सारे देश में एक प्रकार का नयापन हो और दूसरी तरफ हम शिकायत करें कि टैक्स नहीं लगाये जावें, शिकायत केवल शिकायत करने के लिये व आदत है इसलिए करते हैं, विरोध करने की आदत है इसलिए

(श्री मूलचन्द डागा)

विरोध करते हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई विरोध की गुंजायश नहीं है। इसमें प्रवर समिति में भेजने की कौन सी बात है? आप देश को उठाने के लिए धीरे धीरे चलना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि इस तरह से आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। हम चाहते हैं कि देश को बदलने के लिए हमारे पास जो साधन हैं वे देश को बनाने के लिए दीजिये। जब दूसरी पंच वर्षीय योजना चल रही है, हम चाहते हैं कि गांव गांव में किसान भी ऊंचे श्रावें; इसमें जो इन्कम रखी है वह नेट इन्कम ३,००० की है, उस पर भी श्राप विरोध करते हैं! हमारा सिद्धान्त यह है और हम चाहते हैं कि नाव में पानी हो! मैं यह कहूंगा कि पानी तो तालाब या दरिया में ही होना चाहिए ताकि नांव पानी पर तैरती रहे और अगर समुद्र या दरिया में पानी के बजाय नाव में पानी हो गया तो नाव डूब जावेगी। इसी तरह हम नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति के पास सम्पत्ति संचित हो। हम चाहते हैं; जो दौलत है, हमें देश में दौलत को बढ़ाना है। जब देश में दौलत बढ़ेगी तभी आदमी अपना जीवन ऊपर उठा सकेगा। इस सिद्धान्त को मानकर यदि हमें देश की उन्नति करना है तो हमें टैक्स के बारे में इस प्रकार से विरोध प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और इस प्रकार के शब्द आपको काम में नहीं लाने चाहिये। ३,००० पर यदि टैक्स लगेगा तो काश्तकार डूब जाएगा, बरबाद हो जाएगा, भ्रष्टाचार फैल जाएगा, बेकारी होगी, किसान हिसाब नहीं रख सकेगा; इस प्रकार का प्रश्न क्यों पैदा होता है? यदि काश्तकार ज्यादा होशियार नहीं हुआ तो इससे ज्यादा होशियार बनेगा और उसके बच्चे शिक्षित होने की कोशिश करेंगे। यदि हम यह चाहते हैं कि देश में समाजवाद हो, गरीब और अमीर का भेद-भाव मिट जाये तो इसके लिए भी तरीका है। मैं यह कहूँगा कि यदि राजस्थान में हिसाब लगाया जावे तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान में बहुत कम ऐसे किसान होंगे जिनकी इन्कम नेट तीन हजार हो सकती है। इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने इस बात का विरोध किया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जावे, वहां पर इसकी छान बीन होगी, वहां पर इस पर विचार किया जावेगा, मैं समझता हूं कि सारे एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स बिल के बारे में छानबीन और जांच पहले मे ही हो चुकी है, केवल संशोधन आपके सामने पेश किया गया है। इसमें छान-बीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिस रूप में कर देना पड़ता है या देना पड़ेगा उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें किसी प्रकार की कठिनाई की ओर ले जा सकती है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि इसको प्रवर समिति में नहीं भेजना चाहिये लेकिन पास करना चाहिये।

श्री टीकाराम पालीवाल (महुआ): अध्यक्ष (सभापति) महोदय, वैसे तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं मालूम नहीं पड़ती। जहां तक लिमिट नीची करने का प्रश्न है उस पर जो जो महानुभावों ने कहा है उससे मेरे ख्याल से किसी ने खास तौर से इसका विरोध तो नहीं किया है। कहा यह जा रहा है कि इसको जल्दी में पास नहीं करके इसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जावे, जहां इस पर और विचार कर लिया जावे। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। दो-तीन दिन प्रवर समिति को दे दिये जावें, वह इसको एग्जामिन करने के बाद अपनी रिपोर्ट

Page No.57

(श्री टीकाराम पालीवाल)

दे देगी। मैं तो इसके बारे में बोलने के लिए बिल्कुल तैयार होकर नहीं आया था लेकिन जो कुछ मैंने सुना उससे मेरी राय होती है कि सरकार को इतनी जल्दी तो नहीं करनी चाहिये। यह ठीक है कि हमारे यहां किसानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी आय तीन हजार रुपये तक नहीं पहुँच पाती लेकिन साथ ही हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि तीन हजार या इसके आस पास या इससे कम आय वाले या ज्यादा आय वाले लोग हैं वे बहुत अशिक्षित हैं और उनको वास्तव में हिसाब आदि के रखने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले ६ हजार की जो छूट थी उसके बारे में आमतौ से अनुमान किया जा सकता है कि पढ़े-लिखे और समझदार और साधन-संपन्न व्यक्ति होंगे और वे अपना हिसाब-किताब रखने का साधन जुटा सकेंगे। लेकिन तीन हजार के साथ साथ दो हजार की आय वाले या दो हजार के आस-पास की आय-वालों को भी हिसाब रखना जरूरी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं बताई गई है। मुझे नहीं मालूम कि मूल कानून में क्या है? उसमें कोई अपील का प्रोविजन है या नहीं.... ...

श्री ऋषभचन्द धारीवाल (उपमंत्री) : मैं यह कहूँगा कि एक नहीं, दो जगह अपील होती है। एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स इन्सपेक्टर है उसकी अपील होती है और उसके बाद में ट्रिब्यूनल में अपील होती है।

श्री टीकाराम पालीवाल : That is right.

श्री मदनसिंह : अगर इसको और भी क्लिअर करना चाहते है तो मैं और क्लिअर कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : No further explanation please.

श्री टीकाराम : मुझे मालूम नहीं था मगर बहुत अधिकार के साथ कहा गया कि अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर अपील का प्रोविजन नहीं हो तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जावेगी और अगर है तो ऐसी आय वाले लोग हैं जो बड़ी कठिनाई में पड़ सकते हैं और अगर इसमें थोड़ा और विचार कर लिया जावे तो उचित ही होगा। यह कहा गया है कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा था कि पांच हजार के ऊपर लगना चाहिये। मैंने अभी सदन में बैठे बैठे देखा कि एक और संशोधन आने वाला है और वह गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड था, उसमें ४,५०० की बात रखी गई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इस बारे में गवर्नमेंट भी निश्चित नहीं है कि कितना एमाउन्ट रखा जाए। अगर तीन हजार ही रहना है तो कोई बात नहीं, मगर इसको प्रवर समिति में रख कर लोगों का अननेसरी हेरासमेन्ट से बचाने के लिये कुछ किया जा सकता है, तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजें और आप चाहें तो वह अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी दे दे। मैं समझता हूं कि इससे कोई नुकसान नहीं है और मेरे ख्याल से यह ज्यादा अच्छा रहेगा और दूसरे लोगों को यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि तर्कसंगत हमारी इतनी भी बात को सरकार नहीं मानती है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी और इस सुझाव को मानेगी कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जो बहस हो रही है मैं समझता हूं कि उसमें दो-

(श्री जनार्दनराय नागर)

तीन भ्रांतियां हैं जो कि माननीय सदस्यों के सामने आ रही हैं और उनको मैं स्पष्ट कर देता हूं। पहली बात यह है कि यह कर तीन हजार रुपये वार्षिक की आय के कृषकों पर लगेगा और कर को निश्चित करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सैद्धांतिक बातों को छोड़कर मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, कि पहले हमारी यह भ्रांति दूर होनी चाहिए कि किसानों को जितनी ग्रोस इन्कम होने वाली है, यह कर उस पर लगेगा। सही बात यह है कि किसान की जो ग्रोस आय होती है उसमें से बहुत सी बातें निकाल देने के बाद में यदि नेट आय उसकी तीन हजार है, यानि उसके बैलों का खर्चा, उसके हल का खर्चा, बीज का खर्चा आदि निकाल कर यदि उसकी इन्कम तीन हजार रुपया है तो उस पर यह टैक्स लगेगा।

मैं इन्क्वायरी टैक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट में से इस टैक्स के बारे में जो लिखा है वह आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि बहुत सी भ्रांतियां जो उपस्थित हुई हैं वे दूर हो जांय और सिलेक्ट कमेटी में जो भेजने की बात रखी जा रही है वह सर्वथा अनुकूल है, यह बात स्पष्ट हो जायेगी। इसके अन्दर करीब ११ मदें हैं जिन्हें निकाल कर यदि नैट इनकम तीन हजार की है, तो ही यह टैक्स लगेगा।

"(1) Actual prayment of revenue to the State or rent to the superior landlord."

ये इसमें जो छोड़ दिये गये वह मैं पढ़ रहा हूं।

"(I) Actual payment of revenue to the State or rent to the superior landlord;

(2) actual payment of any local rate or cess including irrigation rates and chowkidari tax;

(3) collection charges at a prescribed percent (which varies from 12 to 20 percent) of the amount of rent or revenue;

(4) actual expenses incurred on the maintenance(i)of any irrigation or protective work for the benefit of the land or (ii) of any capital asset required for the collection of rent;

(5) interest paid on any amount borrowed and actually spent on any capital expenditure incurred for the benefit of the land;

(6) depreciation at prescribed rates (which are different in different States) in respect of any capital asset purchased or constructed for the benefit of the land;

(7) interest paid on any debt (including mortgages) or other capital charges incurred for the benefit of the land;

(8) any malikana or amount of interest on natural calamities loans actually paid;

(9) expenses of cultivation, including those incurred on the maintenance of agricultural impl-

Page No.59

(श्री जनार्दनराय नागर)

ements and cattle, and expenses for transporting the produce to market;

(10) any tax, cess or rate paid on the cultivation or sale of the produce; and

(11) subject to prescribed restrictions, any sum paid by an assessee to effect an insurance or to make a contribution to a provident fund.

श्री जनार्दनराय नागर : यदि इन मदों को आप देखें तो आपको यह पता लगेगा....

श्री अर्जुनदास : We have not been able to follow even a word of it.

श्री सभापती : The hon'ble member may speak a bit loudly.

श्री जनार्दनराय नागर : सभापति महोदय, मैंने तो आपके सामने वे ११ मदें रखी हैं जो इस बात को स्पष्ट करेंगी कि जो कुल आय होगी, ग्रोस इनकम होगी उनमें से ११ बातों में जो काफी विस्तृत रूप में दी गई हैं, जैसे जमीन को विकास के लिए यदि कृषक कोई लोन लेता है, प्राकृतिक खेती करने के लिए कर्जा लेता है, उसके पशु हैं, उसकी दूसरी सामग्री है, कृषक के विकसित खेत के लिए वह किसी से रुपया लेता है तो इन विकास की तमाम सम्भावनाओं पर जो भी वह खर्च करेगा, इन तमाम खर्चों को उसकी इनकम में से निकाल दिया जायगा और ये सारे खर्चे निकाल देने के बाद में नेट इनकम यदि उस कृषक की होगी तो उस पर यह टैक्स लगेगा। हम समझ सकते हैं कि फिर इस टैक्स से भयभीत होने की क्या बात है ? वैसे मान लिया जाय कि किसी कृषक की दस या बारह हजार की इनकम होती है और इन सारे खर्चों को निकाल कर अगर उसकी नैट इनकम तीन हजार या इससे ऊपर है तो भी उस पर यह टैक्स लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत से कम कृषक होंगे जिन पर यह प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इससे परेशान हो जाने या भयभीत हो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि एक मित्र ने कहा कि यह समाजवाद की ओर कदम है, मैं भी इसको मानता हूं।

श्री सभापति : श्री रामेश्वरदयाल।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : सभापति महोदय, सदन के समक्ष जो राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स) बिल, १९५७ विचारार्थ आया है और कुछ माननीय सदस्यों ने इस संबंध में यह सुझाव भी रखे हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं समझता हूं और मेरा विचार है कि यहां बैठे हुए सब माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी महत्ता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि ऐसे विधेयक के ऊपर हम बहुत ही ठंडे दिमाग से और गम्भीरता से विचार करें और सरसरी तौर पर इसको पारित न कर दें। जहां तक इस विधेयक के लाने का सवाल है और इसके पीछे सरकार का जो विचार है और जो भावना है उसकी तो मैं सराहना करता हूँ क्योंकि सरकार को प्रशासन चलाने के लिए रुपये की आवश्यकता होती है। इस रुपये को प्राप्त करने लिए कर लगाना पड़ता है। जहां तक कर लगाने का सवाल है, मैं

(श्री रामेश्वरदयाल)

इसका विरोध नहीं करता हूँ। कर लगाना जरूरी है और कर लगाये भी जाते हैं लेकिन मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि कर लगाने के पीछे सरकार की कोई ठोस नीति होनी चाहिए। कर लगाये जाते हैं किसी माप दण्ड के ऊपर और वह मापदण्ड है जनहित का। कर लगाते समय सरकार को यह देखना पड़ता है कि उस कर के लगाने से क्या परिणाम होने वाले हैं, आम जनता पर उसका क्या असर होने वाला है; यानी उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर उस कर का बोझ पड़ने वाला है। तो आज इस विधेयक पर विचार करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि इसका कितना भयंकर परिणाम होने वाला है राजस्थान की जनता के ऊपर यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति के ऊपर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है और इसको इस प्रकार से लाइटली नहीं छोड़ देना है। इसलिए जहां तक इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सवाल है मैं समझता हूँ कि कि यह बहुत अच्छा सुझाव है और इस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यह जो कर है और इससे जो परिणाम होने वाले हैं उसकी ओर भी मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह तो सब जानते ही हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर लगभग ८० या ९० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और वे अपनी तथा अपने बाल बच्चों की उदरपूर्ति कृषि के द्वारा करते हैं, उनका जीवन-यापन कृषि के ऊपर निर्भर है। आज जो यह टैक्स लगाया जा रहा है और इसके द्वारा टैक्सेबल लिमिट ६ हजार से ३ हजार की जा रही है इसका क्या परिणाम होने वाला है, इस पर भी वित्त मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान के अन्दर पचास पर्सेन्ट किसान सिर्फ पांच बीघा जमीन रखते हैं और इसी प्रकार से ७० पर्सेन्ट किसान १० बीघा जमीन रखते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूँ कि यह प्रश्न कुछ जिलों के लिये हो सकता है। माननीय सदस्य की धारणा भरतपुर और धौलपुर के इलाके के लिये हो सकती है।

श्री श्रीभानसिंह : Only statistics have been supplied to you by the Rajasthan Government. If you look into them, Vol. I & II.

श्री रामेश्वरदयाल : May I know through the Hon'ble Chairman, are they true and applicable to all the districts? I do not agree with what you have said.

श्री श्रीभानसिंह : They are for the whole of Rajasthan, this is for your information.

श्री रामेश्वरदयाल : I do not dispute over that with the Hon'ble member. They are...

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member will continue his speech. He should not be disturbed.

२.१ म० प०

श्री रामेश्वरदयाल : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था, जहां तक कोटा डिवीजन का सवाल है वहां साधारणतया ऐसा कोई किसान नहीं जिसके पास ४० बीघा से जमीन

Page No.61

(श्री रामेश्वरदयाल)

कम हो । आम तौर पर हर किसान के पास ४० और ५० बीघा जमीन होती है और ऐसे किसान जिनके पास पांच या दस बीघा जमीन है उनकी मुश्किल से पांच प्रतिशत संख्या होगी । आज जब कि हम इस विधेयक पर विचार करने जा रहे हैं तो हमें हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट और हर गांव को सामने रख कर विचार करना होगा । यह नहीं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अन्दर या कुछ डिवीजन्स के अन्दर ५० प्रतिशत किसानों के पास पांच बीघा जमीन हो और ७५ प्रतिशत किसानों के पास दस बीघा जमीन हो; इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही विचार करें । हमें सब जिलों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा............

श्री श्रीमानसिंह : For the information of the Hon'ble member, Sir, I say that 30 bighas irrigated and 90 bighas unirrigated is exempted from taxation. Therefore, your statistics about Kotah Division of having 40 bighas will be exempt.

श्री रामेश्वरदयाल : I will request that the taxes are on the income and not...

श्री अध्यक्ष : No argument. Please continue with the subject-matter.

श्री रामेश्वरदयाल : (जारी) मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत से जिले राजस्थान के अन्दर ऐसे हैं जिनमें अधिकतर लोगों के पास चालीस बीघा से अधिक जमीन है । जिन लोगों के पास चालीस बीघा से ज्यादा जमीन है तो यह स्वाभाविक है कि जब तक कोई विशेष कारण न हो उनकी आमदनी कम से कम तीन हजार रुपये सालाना होनी चाहिये । मैं समझता हूँ, तीन हजार रुपये से ज्यादा आमदनी होगी । इस विधेयक द्वारा जो टैक्स का प्रोवीजन हम कर रहे हैं उससे राजस्थान के लाखों किसानों पर टैक्स का भार पड़ेगा । आज राजस्थान का किसान पहले से ही करों के भार से दबा हुआ है । राजस्थान के किसान को पचायतों के टैक्स किसी न किसी रूप में देना पड़ता है, उसको तहसील पंचायत का टेक्स देना पड़ता है, जिला बोर्ड्स जहां पर हैं वहां जिला बोर्ड्स का टेक्स देना पड़ता है, प्रान्तीय सरकार को टेक्स देना पड़ता है और अब तो केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत से ऐसे टेक्स लगा दिये गये हैं कि इन टेक्सों के भार से वह पहले से भी अधिक दब जावेगा । निरन्तर टेक्सों का भार बढ़ता जा रहा है । वैसे ही हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति गिरी हुई है । आये दिन हमें अकाल का सामना करना पड़ता । है कभी अतिवृष्टि के कारण अकाल पड़ जाता है, तो कभी अनावृष्टि के कारण, कभी गेरु लग जाता है । इस तरह से हमारे किसान की जो हालत बताते हैं कि अच्छी है वह ठीक नहीं है । इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि इस सवाल को हर दृष्टि से सोचना चाहिये, समझना चाहिये । हमें इस पर ठँडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है इसलिये मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वहां हर अच्छे ढंग से छानबीन होकर तमाम आंकड़ों को सामने रख कर कुछ निर्णय लिया जा सके । टैक्स जरूर लगाये जाने चाहिये, लेकिन फिर भी

(श्री रामेश्वरदयाल)

इसको हर दृष्टि से देखना है, इस पर विचार करना है। आम जनता के ऊपर, खास तौर से किसान के ऊपर इसका क्या परिणाम होने वाला है, इस पर भी विचार रखना है।

इसका दूसरा पहलू और है। वह यह है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था, राजस्थान के अन्दर किसान वर्ग ज्यादातर अशिक्षित है। शहरों के अन्दर भी आप देख लीजिये शिक्षा के सम्बन्ध में हम ज्यादा जागृति नहीं कर पाये हैं। गांवों के अन्दर तो अभी तक अंगूठा छाप की ही बहुतायत है। उनके पास पढ़ने-लिखने के साधन नहीं, किसान को पढ़ना-लिखना नहीं आता और यदि उसकी आमदनी तीन हजार रुपये सालाना है तो उसको टैक्स देने के लिये अपनी आमदनी का हिसाब-किताब रखना होगा। अगर वे आमदनी का हिसाब नहीं रखते हैं तो फिर शिकार होंगे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और भ्रष्टाचार के आधार पर फैसले होंगे। आज हम देखते हैं, इस सदन के अन्दर ही नहीं बाहर भी भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। अगर इस प्रकार के टैक्स किसानों पर और लगा दिये गये तो टैक्स देने के लिये हिसाब का रखना अनिवार्य होगा और इससे भ्रष्टाचार फैलेगा। भ्रष्टाचार अवश्य फैलेगा, इस लिये सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह ऐसा वातावरण पैदा करे जिसमें भ्रष्टाचार फैलने न पाये। हमें इस विधेयक के महत्व को आंकते हुए, इसके महत्व को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस पर ठंडे दिमाग से विचार किया जाय। जल्दबाजी में इस विधेयक को पास न किया जाय। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो लाखों किसानों के साथ अन्याय होगा और उनके साथ बहुत ज्यादती होगी। इसलिये मैं फिर एक बार सभापति महोदय, आपके द्वारा वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे इस सुझाव पर विचार करें और अगर हो सके तो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये अपनी सहमति प्रदान करें।

श्री राजाराम (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारे देश का किसान इतना गरीब है, जो अपनी उदरपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं कर सकता, फिर भी उस पर कर का भार बढ़ाया जाता है इससे ज्यादा अन्याय उनके साथ और क्या होगा? मैं आपके सामने गंग केनाल का उदाहरण रखूं। वहां पर भी बड़ी मुश्किल से किसान २५ रुपया किश्त दे सकता है, होई बोई की वसूली भी अदा नहीं कर सके हैं। अभी इसके बारे में बीकानेर राज्य में जब यह गंग नहर वहां आई उस समय यह कहा गया था कि बीस साल तक इस नहर पर जो जमीन है उसका लगान नहीं लिया जायगा। उसके बाद कर बढ़ाये गए आबियाना कर के साथ साथ तथा और भी दूसरे कर लगा दिए। उधर आप कहते हैं कि हम किसानों को तरक्की देना चाहते हैं, उनको शिक्षित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप उनको कर के भार से लादे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे इलाके में एक मुरब्बे की कितनी आमदनी होती है और उस हिसाब से किसान को कितना टैक्स देना पड़ेगा? एक मुरब्बे में १६ बीघा साल में फसल होती है, उसमें से ६ बीघा हाड़ी, ६–७ बीघा सावणी की फसल होती है, पांच बीघा कपास और एक बीघा चारा और एक बीघा

(श्री राजाराम)

अनाज । ६ जो इन्डो है उसमें से सात बीघा कनक, २ बीघा छोले, और एक बीघा चारा है । इस हिसाब से जमींदार की कुल आमदनी सालाना १६५० रुपया बनती है । आबियाना का खर्चा और खेती का खर्चा निकाल कर अब इसके बाद जो घर का खर्चा रह जाता है वह भी १०० रुपया महीना लगायें तो १२०० रुपया सालाना होता है । इस हिसाब से पीछे क्या बचता है, सिर्फ ४८० रुपया रह जाता है; उस चार सौ रुपये से किसान क्या करेगा ? तो इसलिये जो यह तीन हजार पर आप कर लगा रहे हैं वह नहीं होना चाहिए, इसके बजाय ६ हजार पर अगर कर लग जावे, हालांकि मैं कर लगाने के पक्ष में नहीं हूं, तो ऐसी बात नहीं है । ३ पर लगेगा तो लोग दुखी होंगे, वे काम नहीं कर सकेंगे । आजादी आने से पहले लोगों से कहा जाता था कि राम राज्य होगा, पर आजादी आने के बाद उस राम-राज्य का सुख लोगों को मिला नहीं । इसके लिए हमारी एक बागड़ी कहावत है कि जमींदार लोग क्या चाहते हैं । वे कहा करते थे कि :

"नई मूँज की खाट, चोंवे ना टापरी
भैंसड़ल्यां दूजै, दो चार बापड़ी
बाजर हद्दा रोट, दही में ओलणा
इतना दे करतार, फेर नहीं बोलणा"

तो यह हमारी लोगों की ख्वाहिश होती है । गंगानगर जिले में जब गंग नहर आई तो उन किसानों की हालत आप देखें कि २५) रु० कश्तकार उसके लिए नहीं दे सके । आज वे आबियाना देते हैं, लगान देते हैं, अगड़म बगड़म कई तरह की टैक्सें देते हैं और भी काफी लोगों को देना-लेना पड़ता है तब कहीं जाकर किसान के घर में कुछ अनाज आता है और उसी से अपने बच्चों के लिए अपने लिए और अपने घर के लिए, कपड़ा वह लाता है, और घर की जरूरी चीजें वह लेता है, अपने लड़कों को वह पढ़ाने के लिए भी आज कुछ देता है । तो इसलिए इस तरह उसके पास कुछ नहीं बच पाता । तो ऐसी हालत में कम से कम ६ हजार से कम पर तो टैक्स लगाना ही नहीं चाहिये । अगर लोग सुखी रह सकेंगे तो यही बहुत अच्छी बात होगी । सरकार भी तो उनको ही सुखी रखने के लिए उनसे टैक्स लेना चाहती है तो वे बिना दिये ही सुखी रह सकेंगे ।

हम लोग भी जाकर उन लोगों को कुछ कह सकेंगे कि इस तरह का टैक्स आप पर लग रहा था, हमने नहीं लगने दिया और इस ६ हजार की हद तक तो यह ठीक है ।

फिर एक बात और है कि इतना लगान वगैरह देने के बाद भी उन इलाकों में कोई काम सरकार नहीं कराती । सूरतगढ़ क्षेत्र में केवल १४ स्कूलें हैं तो उनसे क्या होगा ? सड़कें नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, तो इसलिये सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिये । आमदनी के लिहाज से जहां जिस क्षेत्र से जितना पैसा लिया जाता है, उस हिसाब से पैसा उस क्षेत्र में लगना चाहिये ।

एक बात फिर और है कि जो जैसा बोझा उठा सके उस पर वैसा ही भार डालना चाहिये । जो एक मण बोझा उठा सके उस पर सवा मण लाद देते हैं तो वह दब जाता है, इसलिये गरीबों पर कर न लगाकर इसे ६ हजार पर ही लगाया जावे । हमारी तो राय यही है ।

श्री सभापति (सज्जनसिंह) : श्री मनोहर (कोडारी)

Page No.64

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : चेयरमैन महोदय, यह जो विधेयक आज सदन के विचाराधीन है, मैं समझता हूँ कि यदि जिन लोगों ने इस विधेयक पर प्रेक्टिकली अपने अनुभव किये हैं वे इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे यहां इन गत कुछ वर्षों में जो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स वसूल किया गया है उनमें कई ऐसे ऐसे जागीरदार भी बच गये हैं कि जिनके पास काफी जमीनें हैं और जिनके पास एग्रीकल्चरल इन्कम के सिवाय भी दूसरे आमदनी के काफी जरिये हैं।

मैं निवेदन करूं चैयरमैन महोदय, कि हमारे देश में जो इण्डियन इन्कम टैक्स एक्ट है उसमें भी समय समय पर टैक्सेबल आमदनी की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं।

एक माननीय सदस्य : On a point of information, Sir, is there any recommendation on this Bill from the Governor ?

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble Member wants to know if there is any recommendation of the Hon'ble Governor on the Bill whieh is before this House today.

श्री सभापति : Perhaps the Hon'ble Member is aware that no money Bills are permitted in this House unless permitted by the Governor.

श्री अर्जुनदास : Unless...... ?

श्री सभापति : Unless permitted by the Governor.

श्री अर्जुनदास : Recommendation of the Governor and not permission of the Governor. 'Permission' is much less than recommendation.

श्री सभापति : Yes. It has been recommended by the Governor to the Legislature.

श्री अर्जुनदास : Will your honour let us have a look at that; At the recommendation of the Governor ?

श्री सभापति : I do not think it is necessary to show the recommendation of the Governor. It should be enough to presume that money Bills are never allowed to be introduced in this House without previous recommendation of the Governor.

श्री अर्जुनदास : Ordinarily, Sir, you would be correct.

श्री सभापति : I think the Hon'ble member should feel satisfied with the information given.

श्री अर्जुनदास : It is correct, but the Hon'ble Chairman should have a little patience to hear me. My submission is that it is possible, after reading the recommendation we may be very......

श्री सभापति : Would the Hon'ble Member not believe, what has been explained to him regarding information passed to him by the Chair ?

श्री अर्जनदास : I do believe, but I go a bit farther. It is possible after going through the recommendation the interpretation by the Chair may be different. I do not challenge your suggestion, Sir,...

श्री सभापति : This information has been given after ascertaining facts from the Government.

श्री अर्जनदास : Nothing is lost if we look at it.

श्री सभापति : (श्री मनोहर कोठारी से) Carry on.

श्री मनोहर कोठारी : तो मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय चेयरमैन साहब कि हमारे यहां जो इस टैक्स का वजन पड़ता है वह, अधिकांश में जागीरदारों पर और यदि कुछ हद तक किसानों पर पड़ता भी है तो वह बड़े बड़े किसानों पर पड़ता है, जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, जिनके पास काफी साधन हैं और जो साधन सम्पन्न हैं। मैं निवेदन करूं कि हमारे इस देश में ऐसे कई किसान लोग हैं जो एक क्रियावर या मृत्युभोज पर ८० मन से ज्यादा गुड़ गाल सकते हैं, कई लोगों को भोजन खिला सकते हैं और इस तरह से वे हमारे देश में काफी पैसा कृषि से पैदा करते हैं और उसके खुद ही अपनी इच्छा से उपयोग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगेगा तो इस तरह के लोगों पर लगेगा, गरीब या औसत दर्जे के किसान पर नहीं, जागीरदारों पर लगेगा या ऐसे बड़े किसानों पर।

तो मैं अर्ज कर रहा था सभापति महोदय, कि हमारे यहां इण्डियन इन्कम टैक्स कानून में भी समय समय पर सीमाएं निर्धारित होती रहती हैं।

श्री सरदारसिंह : जागीरदारी खत्म हो गई, तो फिर जागीरदार रहे कहां ? अब जागीरदारों का क्यों नाम लिया जाता है ? अब तो सभी खातेदार हैं।

श्री सभापति (श्री सुज्जनसिंह) : माननीय सदस्य विषयान्तर होने से बचें।

श्री मनोहर कोठारी : (जारी) तो इस इन्कम टैक्स कानून में पहले ४२ सौ तक सीमा निर्धारित थी, पर इस बार इस बजट में हमारी लोकसभा ने उस सीमा को अब ३ हजार कर दिया है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह जब कि हमारे यहां बजट में भी इसी तरह का घाटा है और निर्माण कार्यों के लिये पैसे की आवश्यकता है और इस टैक्स का सीधा असर गरीब किसान पर भी नहीं पड़ता है, तो फिर क्यों कर इसका विरोध किया जाता है ?

इसके साथ ही मैं यह अनुभव करता हूं कि जहां तक टैक्स की रेट का सवाल है इसमें थोड़ा सा यदि परिवर्तन किया जाए तो इस समस्या का समाधन भी निकल सकता है। मैं माननीय वित्तमन्त्री महोदय को यह एक सुझाव के रूप में निवेदन कर रहा हूँ कि जहां तीन हजार से ऊपर की इन्कम पर १५०० से ३५०० पर ६ नये पैसे रक्खे गये हैं यदि उसके बजाय ४ नये पैसे कर दिये जावें तो इससे काफी हद तक जनता को राहत मिलेगी और जो लोग इसके अमर में आते हैं उन पर भी तब विशेष बोझा नहीं पड़ेगा।

तो ऐसी स्थिति में अब मैं समझता हूं

(श्री मनोहर कोठारी)

कि इस बिल को, जो प्रवर समिति में भेजने की बात कही जा रही है, इसे भी टाला जा सकता है और इस सत्र में आज ही इस सुझाव पर विचार करके कुछ तय किया जा सकता है।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह): श्री हरिशचन्द्रजी।

श्री हरिशचन्द्र (डग): सभापति महोदय, मैं सदन के सामने यह अर्ज करना चाहूँगा कि यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल का जो मामला है वह इतना महत्वपूर्ण है कि इस विषय को, मै यह कहूं कि सिलेक्ट कमेटी के सामने अवश्य जाना चाहिये, तो उपयुक्त ही होगा और यह इसलिये जाना चाहिए कि हम जितने भी यहां मौजूद हैं उनको कृषि की, खेती के सम्बन्ध की जो बातें हैं वे मालूम नहीं हैं। मेरे पास भी जमीन है, लेकिन काश्तकारों को क्या तकलीफ है. इससे हम लोग जो यहा बैठे हैं. मैं यह कहूंगा कि जो रियलिटीज़ हैं. उन रियलिटीज़ से हम थोड़े अलग हैं। आप इन्डस्ट्रियल डेवपलमेन्ट करते हैं तो उसके सिलसिले में एक कमेटी कायम करते हैं और उस कमेटी से पूछते हैं जो कि उस विषय को जानती है। उससे पूछ कर आप किसी निर्णय पर पहुँचते हैं। लेकिन काश्तकारों के लिए जो भी बातें हैं, मैं अफसोस के साथ यह कहूंगा कि उनकी बातों के लिए, मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि हम शहरी आदमी हैं, हम शहरों में रहने वाले हैं, काश्तकारों की क्या क्या मांगे हैं. क्या तकलीफ है, उनको यहां बैठ कर तय करते हैं। यह ऐसा विषय है कि जो किसी ऐसी कमेटी के पास जाना चाहिये जहां काश्तकार हों; और उनसे पूछा जाना चाहिये कि तुम इस विषय पर क्या कहते हो. तो मैं यह कहूंगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं तो मैं यह कहूंगा कि हम एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं।

मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में शिक्षा नहीं है, इल्लिटरेसी है और उस इल्लिटरेसी के कारण कई बातें जो दूसरे देशों में हैं, वे हम यहां लागू करना चाहें तो वे लागू नहीं हो सकतीं हैं। मेरे मित्र ने रूस की सोवियट यूनियन की मिसाल दी है। सोवियट यूनियन में और हिन्दुस्तान में बहुत अन्तर है। वहां के आदमी शिक्षित हैं, वे जानते हैं, पढ़े-लिखे हैं, यहां के आदमी पढे-लिखे नहीं हैं। वहां की चीजें अगर यहां एप्लाई करते हैं तो वे चल नहीं सकतीं। मैं यह फिर निवेदन करूंगा कि ये जो बातें आयी हैं वे जरूर एक सिलेक्ट कमेटी के पास जानी चाहिए और ऐसी सिलेक्ट कमेटी के पास जानी चाहिए जो काश्तकारों से सम्बन्ध रखती हो और काश्तकार हों। हमारे पास आने से कुछ मतलब नहीं है।

दूसरा, मैं यह निवेदन करूं कि मैं जब गांवों में घूम रहा था तो मेरे सामने एक समस्या आयी। वह समस्या ऐसी थी कि झालावाड़ का एक काश्तकार तम्बाकू की काश्त करता था और उसके पास एक-दो बीघे में तम्बाकू की काश्त थी। एक्साइज़ ड्युटी का कोई कर्मचारी आया और उसने खेती देखी और उसने कह दिया कि १००) रुपये की एक्साइज़ ड्यूटी देना। वह काश्तकार मेरे पास आया, कहने लगा कि १००) रुपये लगा दिये। अब मैं कहां से दूं १००)? तो यहाँ इस तरह आप एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगा रहे हैं, वह भी इसी तरह से वसूल होगा जिस तरह से वे सौ रुपये एक काश्तकार से वसूल हुए थे। वह कर्मचारी

(श्री हरिश्चन्द्र)

था, उसने यह नहीं देखा कि कितनी तम्बाकू इस खेत में होगी। वह तो वहां गया और खेत को देख कर टैक्स लगा दिया।

मैं आपसे और कहूँ कि हिन्दुस्तान में एक मर्ज है और वह मर्ज इस बात का है कि यहां पर टू मेनी लॉज़, कानून बहुत हैं और टू मेनी टैक्सेज़, टैक्सेज़ बहुत हैं। यह एक मर्ज है। हम जो बात देखते हैं, उसके लिये झट से कानून बना देते हैं और यह विचार नहीं करते कि उस कानून का क्या असर होगा? हम यह देखते हैं कि यह एक बीमारी है, इसको कानून से खत्म करो। बीमारियां कानून से खत्म नहीं होतीं, उसके लिए तो और उपाय सोचना पड़ेगा।

अब आप एक काश्तकार की हालत देखिये। मैंने तो चन्द बातें देखी हैं। यह मानी हुई बात है कि टैक्स इनकम पर होता है, इसके सम्बन्ध में मैं यह नहीं कहना चाहता कि नहीं होना चाहिये। इनकम पर टैक्स होता है, लेकिन इनकम पर टैक्स लेते हैं उसके अलावा भी तो दूसरे टैक्स हैं, जैसे ग्राउन्ड रेन्ट। यह फिर ग्रान्ड रेन्ट किस बात का? या तो आप आमदनी पर टैक्स लगाइये या फिर लगाइये ग्राउन्ट रेन्ट। एक काश्तकार लगान देता है, अगर ओटोक्रेट है, खत्म करिये। आमदनी पर लगा दीजिये टैक्स। लेकिन हो यह रहा है कि आमदनी पर भी टैक्स और दूसरा टैक्स भी, ग्राउन्ड टैक्स है। इसके अलावा पंचायत टैक्स उसको अलग देना पड़ता है। पंचायत टैक्स के अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनेगा तो वहां पर एक अलग टैक्स फिर लगेगा। उसके अलावा उसका जो नाज है, उसकी जो प्रोड्यूस है उसको वह शहर में बेचने जाता है तो उसको ऑक्ट्रोय ड्यूटी देनी पड़ती है। उसके अलावा जब वह शहर मे जाता है और नाज, अपनी प्रोड्यूस बेचता है तो जो सेठ साहूकार हैं वे धर्मादा या माफा उससे और लेते हैं। यह एक मिडिलमेन्स प्रोफिट है। हम चिल्लाते हैं कि सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी करो। फिर यह मिडिल मेन्स प्रोफिट क्यों?

श्री हरिदेव जोशी: हम चिल्लाते नहीं, हम कहते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र: हम चिल्लाते हैं। मैं कहता हूं, यह मिडिलमेन्स प्रोफिट क्यों रहता है, यह हट जाना चाहिए। अगर सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी चाहते हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि जितने मिडिल मेन्स प्रोफिट हैं उनको खत्म कर दिया जाय। मैं विषय से बाहर निकल जाऊंगा, इसलिए इस पर फिर कभी कहूँगा।

इसके अलावा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का एक काश्तकार को एक्साइज़ ड्युटी देनी पड़ती है टोबेको पर। उसके अलावा अभी जो बजट पास हुआ है उसके अनुसार कोटन के ऊपर और ऑइल सीड्स पर टैक्स लगा है, यह टैक्स भी काश्तकार को देना पड़ेगा।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि टैक्स देने से इन्कारी नहीं है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि कन्वीनियेन्सेज़, एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ जो कि शहर वालों को मिलती हैं वह एक काश्तकार को मिलनी चाहिए। यहां पर हम बैठे हैं, अगर बीमार होते हैं, होस्पिटल यहां है और डाक्टर हमारे पास पहुंच जाता है। एक काश्तकार ५० मील दूर रहता है

(श्री हरिश्चन्द्र)

उसको कितनी तवालत होती है। टैक्स देने से इन्कारी नहीं है। यह जरूरी है कि जो एमिनीटीज़ शहर वालों को मिलती है वही एमिनिटीज़ काश्तकारों को भी दें। यह हमारा पहला फर्ज होता है! इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह एक गूढ़ मामला है और इसे सिलेक्ट कमेटी को देना चाहिये।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय चेयरमैन महोदय.......

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय चेयरमैन महोदय, वित्त मन्त्री महोदय द्वारा रखा हुआ यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स एमेन्डमेंट बिल एक चर्चा का विषय बना हुआ है।

दोनों तरफ से इसके ऊपर काफी बातें कही गई हैं। वास्तव में यह जो विषय है और आज जिस प्रसंग की बातें चल रही हैं वे दुखद और हास्यास्पद हैं। हास्यास्पद इसलिये कि जिन्होंने यह बिल रखा है वे समझे हुए बैठे हैं कि किसान अनजान है, अनुभवहीन है, वह समझ नहीं सकता इसलिये यह हाउस जो कुछ भी पास कर देगा उसको मान लेगा, इसलिये मैं इसको हास्यास्पद बताता हूँ और दुखद इसलिये कि जिन लोगों ने हमको वोट देकर यहां भेजा है इस विशाल भवन में आकर कानून बनाने के लिये, उन लोगों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। उन बहुमत वाले किसानों के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं इसलिये यह दुखद है। एक तरफ अध्यक्ष महोदय, समाजवाद की दुहाई दी जा रही है, समाज को आगे बढ़ाने और समाजवाद के ढांचे पर चलने की दुहाई दी जा रही है और दूसरी तरफ किसानों पर बुरी तरह से टैक्स लगा रहे हैं। किसानों पर तरह तरह के टैक्स लग चुके हैं। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स जो साल पहले लागू हुआ था उस समय किसानों पर ६ हजार तक छूट रखी गई थी, अब उस पर यह समझा गया है कि छूट ज्यादा रखी गई है, उसको घटाया जाय। १५०० तक आमदनी पर कुछ नहीं और ३००० तक पर छूट कर दी जाय, लेकिन यदि किसी की इन्कम ३२०० को हो जाती है तो उसको १७०० पर टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जो रेट पहले थी उसको बढ़ाया गया है, करीब करीब दुगुना कर दिया गया है। यदि इन्साफ के साथ सोचें तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिस किसान को हम रीढ़ की हड्डी समझे हुए हैं, जिस पर हमारा देश टिका हुआ है, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है इस देश का वह किसान, जो के भार करों से दबा हुआ है उसको और दबाने की कोशिश की जा रही है

हम यहां आकर भूल जाते हैं कि आज से ३–४ महीने पहले हमने गांवों में इन किसानों के साथ क्या क्या वायदे किये थे। इन वायदों के फलस्वरूप ही हम इस विशाल भवन में आकर बैठे हैं। लेकिन इस भव्य मकान में आकर हम यह भूल गये हैं कि आज किसान की झोपड़ी टूटी हुई है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है, क्या उस पर टैक्स लगाना चाहिये? समाजवाद में भी टैक्स लगाना जरूरी होता है लेकिन टैक्स किस पर लगाया जाय, यह भी सोचने की बात है। टैक्स उस पर लगना चाहिये जिसको काफी मुनाफा होता हो, जिसकी काफी कमाई हो लेकिन जिस किसान के ऊपर अरबों रुपये का ऋण है और जिसकी हालत बहुत बुरी है उस पर टैक्स लगाने का क्या कारण है लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम वायदे भूल गये

(श्री मोहरसिंह)

है। जिन्होंने बिजली हमें कानून बनाने के लिये भेजा है उनको पंखों की चकाचौंध के नीचे भूल गये। हम यह भूल गये हैं कि राजस्थान का हर एक किसान लू में झुलस रहा है, परेशान हो रहा है, दाने-दाने के लिये तड़प रहा है और साथ ही साथ बीमारी के जर्म्स आज भी उसे तकलीफ दे रहे हैं। आज उसका वोट लेकर इस विशाल भवन में आते ही हमने उस पर तरह तरह के टैक्स लगाये हैं। और भी कई प्रकार के टैक्स माननीय सदस्यों ने बताये हैं। कहीं लोकल रेट टैक्स, कहीं पंचायत टैक्स लग रहा है, कहीं हाउस टैक्स लग रहा है। तमाखू पर टैक्स भी आज राजस्थान के किसानों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इतने टैक्सों से वह बर्बाद हो रहा है, उसकी कमर टूट रही है। उसको और तोड़ देने के लिये समाजवाद का भवन बनाने के नाम पर किसानों के रीढ़ की हड्डियें उस समाजवाद की नींव में डालना चाहते हैं; उसकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर नींव में डालना चाहते हैं। यह वास्तव में आपके लिये शोभा की बात नहीं है।

एक तरफ किसानों पर टैक्स लगाया जाता है और दूसरी तरफ मिनिस्टरों की तनख्वाह में १००) को कटौती का सवाल आता है तो अमेन्डमेन्ट रखे जाते हैं। परमात्मा करे उनके लिये जो बिल आ रहा है उसमें ३००, ४०० की कटौती कर दी जाय। दूसरे मुल्कों की तरफ देखें। दूसरे मुल्कों की तरफ नहीं देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के उस सूबे की तरफ देखें जहां पर मिनिस्टरों ने एक आदर्श सामने रखा है। जब चर्चा का विषय आता है असली समाजवादी देशों का, तब चमक जाते हैं और इस तरह से चमक जाते हैं जैसे लाल कपड़े को देख कर बैल चमकता है। केरल के बारे में कल रात को मुझे एक साथी ने बताया जो वहां घूम कर आये हैं, उन्होंने बताया कि वहां पर हुकमरान पार्टी (कॉम्युनिस्ट पार्टी) के मिनिस्टर ३५० रु० तनख्वाह लेते हैं और दो मिनिस्टर जो दूसरी पार्टी के हैं उनमें से एक ३५०) रु० लेते हैं और दूसरे ५००) रु० लेते हैं। एक तरफ तो यह बात और दूसरी तरफ हमारे यहां मिनिस्टरों का वेतन बढ़ाने का बिल रखा जाता है। एक तरफ मिनिस्टरों का वेतन बढ़ाने का बिल रखा जाता है और दूसरी तरफ किसानों पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया जाता है। इसलिये मैं समझता हूं, यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है।

जब लेन्ड रेवेन्यू टैक्स उनसे ले रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि उन पर दूसरा टैक्स और लगाया जाय। इसके लिये किसानों को हिसाब किताब अलग रखनी पड़ेंगे। जो किसान २४ घंटों में से १८ घंटों तक अपना पेट पालने में लगा रहता है वह हिसाब कैसे रखेगा? या तो वह खुद हिसाब रखे या पटवारियों के ऊपर निर्भर रहे। पटवारियों के बारे में बहुत कुछ आ सकता है। "वह क्या जाने पीर पराई, जाके पैर न फटे बिवाई।" किसानों के घरों में जानेवालों को मालूम है कि गिरदावरियों आदि के समय किस तरह का व्यवहार पटवारी किसानों के साथ कर रहे हैं। यह जिम्मा भी यदि उन पर डाला जायगा तो किसी भी तरह किसान पनप नहीं पायेंगे, हिसाब किताब रखने में किसानों को और भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। समय की तो उनके पास वैसे ही तंगी है। हिसाब की बात कह कर और दिक्कत और तकलीफात की बात पैदा करेंगे तो यह उनके लिये और भी मुसीबत की बात होगी।

Page No.70

(श्री मोहरसिंह)

वास्तव में किसान हिन्दुस्तान की नाक है। हमारे प्रान्त में यदि किसी चीज के द्वारा किसानों को आगे बढ़ाते हैं, उनकी उन्नति करते हैं तो यह राजस्थान की उन्नति है। हम देख रहे हैं कि आज कितने ही देशों की उन्नति किसानों की उन्नति पर निर्भर है। आज अगर हिन्दुस्तान की बहतरी करनी है तो किसानों की बहतरी को लेकर आगे बढ़ाना होगा। उधर तो यह हाल है और इधर हम लोग किसानों पर टैक्स बढ़ाने का सवाल करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमें समाजवाद के ढांचे पर आगे बढ़ना है तो हमें चाहिये कि हम किसानों पर तरह तरह के टैक्स नहीं लगावें। किसानों पर इस तरह से टैक्स लगाना उचित नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां जो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाने का सवाल है और वह भी ज्यादा तादाद में वसूल किया जाय, इस तरह का बिल रख रहे हैं यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। इस बिल का मैं सख्त शब्दों के साथ विरोध करता हूँ और कहता हूँ कि इसे हर्गिज मन्जूर नहीं करना चाहिये। दूसरे मुल्कों का उल्लेख जाने दीजिये। हिन्दुस्तान के ही एक सूबे के बारे में आप दो चार दिन में पढ़ेंगे कि वहां पर जितनी राज्य की पड़ताल जमीन है वह सारी मुफ्त दी जायगी, किसी से भी पैसा नहीं लिया जायगा। उधर इस तरह की चीज कर रहे हैं और हम लोग किसानों को और ज्यादा दबाने के लिये उन पर तरह तरह के टैक्स लगाये जा रहे हैं। इस तरह की चीज का मैं विरोध करता हूँ और कहता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाय।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : सभापति महोदय, अभी जो बिल विचारार्थ है उसके ऊपर सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि यह बिल नये साल से प्रकार से टैक्स किसानों पर लगता है और कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि इससे समाजवादी व्यवस्था..........

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir, I object to the use of the word 'कुछ लोगों' we have not come here as fellows. We are Hon'ble members, We are not fellows.

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : आनरेबल मेम्बर्स, माननीय सदस्य कहा करें।

श्री हरिदेव जोशी : (जारी) तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी धारणा दिखाई दे रही है जिसमें समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर और दूसरी प्रकार की व्यवस्था कायम होगी। सभापतिजी, मैंने कुछ मित्रों के भाषण सुने तो मुझे कुछ ऐसा भी आभास होने लगा कि शायद इस बिल की जो मन्शा है उस मन्शा से वे कुछ दूर की बात कह रहे थे। जहां तक मेरी धारणा है, यह बिल पुराना है और उस बिल के अन्दर यह एक संशोधन है और इस बिल के जरिये कर दाताओं की संख्या कुछ बढ़ती है। सभापति महोदय, अभी कुछ मित्रों ने यह राय व्यक्त की कि अब इस कर को बढ़ाने से किसानों के खाने पीने पर, किसानों की रोज मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं; उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर लगभग १ करोड़ ६० लाख की आबादी है, इसमें से १ करोड़ ८ लाख व्यक्ति किसान हैं; जो खेती के जरिये अपना उदर पोषण करते हैं और प्रत्येक एक परिवार को पांच व्यक्तियों का समझा जाय तो २० लाख

(श्री हरिदेव जोशी)

किसान ऐसे हैं, जिन पर इस बिल में संशोधन के जरिये असर पड़ेगा। मैं समझता हूं यह इतना नगण्य है और इससे यह समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा लोगों पर असर नहीं पड़ने वाला है। जो आंकड़े मुझे उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार .०७५ पर असर पड़ने वाला है, यानि १०० में से पौन प्रति शत पर असर पड़ने वाला है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज यह है कि आखिर टैक्स देने वाला कौन है, जिन लोगों की आमदनी तीन हजार से अधिक हो वह भी ग्रोस इन्कम नहीं, नेट इन्कम, अर्थात् खेती पर जितना खर्चा होने वाला है, उसको काटने के बाद, जिसकी तीन हजार की आमदनी होगी, उनको टैक्स चुकाना पड़ेगा। इतनी आमदनी पर आज एक व्यापारी टैक्स चुकाता है, इतनी आमदनी पर आज एक ऑफीसर टैक्स चुकाता है, तो फिर मेरी समझ में नही आता कि जब सारा खर्चा करने के बाद तीन हजार की आमदनी होनी है, जो आदमी तीन हजार रुपया बचा लेता है, उसके ऊपर किस प्रकार खाने-पाने पर असर होने वाला है, किस प्रकार उसकी खेती को नुकसान पहुँचने वाला है। इसमें वह आमदनी रखी गई है, जिस आमदनी में से, जो पैसा मालगुजारी, के लिए जाता है, वह काटा जाता है, जो चारे के लिए पैसा जाता है, वह काटा जाता है, इसके अन्दर से, जो उसका पैसा सिंचाई पर खर्चा होता है, वह काटा जाता है; तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि एक आदमी खेती के ऊपर १० हजार खर्च करता है और उसकी आमदनी १५ हजार रुपया है, तो १५ हजार में से १० हजार रुपया काट कर जो पांच हजार रुपया बचता है, उस पर टैक्स लगने वाला है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ; सबसे पहले इस भ्रम का निवारण होना चाहिए कि तीन हजार से ऊपर जिन खेती करने वालों की आमदनी है, उन पर टैक्स लगने वाला है।

दूसरे, इस टैक्स को और सोसाइटी को जिस ढंग से मिला कर बात की जाती है, सभापति महोदय, उसके बारे में निवेदन करना है कि वे ऐसा समझते हैं कि समाजवादी समाज के अन्दर टैक्स नहीं लगने वाले हैं, कूपन दिये जायेंगे, खाने पीने के लिए, कपड़े पहिनने के लिए और हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न लोगों को कोई परिश्रम करना पड़ेगा। सभापति महोदय, जहां तक मैं समाजवाद को समझ सका हूँ समाजवादी समाज के अन्दर हर आदमी के साथ, समाज को, राष्ट्र को मेहनत करनी पड़ेगी, और समाजवादी व्यवस्था के अन्दर आदमी को अपनी जेब काटनी पड़ती है। यह कह देना कि समाजवादी व्यवस्था के अन्दर टैक्स लगा कर समाजवाद को आघात पहुँचना है........

एक माननीय सदस्य : विरोधी विचार धारायें सम्मिलित हैं या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरा निवेदन है कि जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की बात कही, यह न हो कर जिस आधार पर हमने अपना बजट स्वीकार किया है, जिस आधार पर हम आगे से आगे बढ़ सकें, जिस आधार पर हम अपनी पंच वर्षीय योजना चलाना चाहते हैं; हम चाहते हैं कि हमारे गांवों में सड़कें हों, हमारे गांवों में तालाब हों, हम चाहते हैं कि गांवों में बांध हों, हम चाहते कि दूसरी सब सुविधायें हों, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि टैक्स लगाये जायं। जहां टैक्स

(श्री हरिदेव जोशी)

लगाने का सवाल आता है, वहां हम विरोध करते हैं, जहां दान का सवाल आता है, तो तो आगे बढ़ कर काम करने मनोवृत्ति नहीं रखते हैं। सभापति महोदय, यदि कुए के अन्दर पानी नहीं है तो सिंचाई किस प्रकार हो सकती है? जहां राज्य की आमदनी बढ़ाने का सवाल आता है, तो उसका हम विरोध करते हैं, फिर आमदनी न बढ़ने से दूसरी एमेनिटिज नहीं मिलने वाली हैं। इन दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ चुननी है। या तो आपको एमेनिटीज चुननी है, प्रान्त को डवलपमेंट चुनना है या फिर टैक्स नहीं देने की बात चुननी है। यदि आप यह चाहते हैं कि राजस्थान का शासन दूसरे प्रान्तों के समान स्तर पर आये, तो दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में टैक्स देना पड़ेगा और ऐसी हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा क्यों कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। किसानों के नाम पर कह कर यह समझना कि इससे पेट्रियोटिज़्म बढ़ने वाला है, इससे काम चलने वाला नहीं है। सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं है।

मुझसे पूर्व बोलने वाले मित्रों ने वोट की बात कही कि हम किसानों से वोट लेकर आये हैं। हम भी किसानों से वोट लेकर आये हैं और यह भी जानते हैं कि किसान क्या चाहते हैं? हम यह समझते हैं और यह किसानों को समझा कर वोट लेकर आये हैं। एक बिल आपके सामने रख रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल द्वारा टैक्स लगने से किसान नाराज नहीं होते। किसान तो नाराज तब होते हैं जब उनसे जाकर पैसा लेते हैं और उनको सुविधायें नहीं देते हैं, किसान नाराज तब होते हैं जब उनसे वायदा करते हैं और उन वायदों को पूरा नहीं करते हैं। हमको देखना यह है कि जो बजट में प्रोवीजन हुआ है, उसको पूरा करते हैं या नहीं? आज हम ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, इस समय जो हमारे सामने कार्यक्रम है, उसको पूरा नहीं करते हैं, और असफल होते हैं तो आने वाली पीढ़ी अभिशाप देगी और कहेगी कि उन्होंने हम लोगों पर जिम्मेवारी का काम सौंपा था, पर हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर सके। आज इस बात की जरूरत है कि हम छोटी मोटी चीजों को भूल कर पूरे प्रान्त की आवश्यकता को महसूस करें। हमारे प्रान्त के सामने बड़े बड़े प्रश्न हैं, हमारे सामने सड़कों का सवाल है, अन्य जो आवश्यक चीजें हैं, उनका सवाल है, अगर छोटी मोटी चीजों को सामने रख हम अपने चरम लक्ष्य को भुला देंगे, तो हम समझता हूं कि हम उन लोगों के सामने अपनी जिम्मेदारी साबित नहीं कर सकेंगे, जिन्होंने हम को चुन कर भेजा है। मैं समझता हूँ कि किसानों ने चुन कर हमें भेजा है तो किसानों की तरक्की के लिए, किसानों की बहबूदी के लिए, किसानों को ऊंचा उठाने के लिए, प्रांत को ऊंचा उठाने के लिए, केवल विरोध न करके, काम को पूरा करने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को राहत मिले, उन लोगों की जो जरूरत हैं, उनको पूरा करने की, उनको आगे बढ़ाने की और जो कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, तब ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हम जिम्मेदार साबित होंगे, वरना जब टैक्स का सवाल आता है, तब विरोध कर दिया, यह चीज़ चलने वाली नहीं है। मैंने सदन के

Page No.73

(श्री हरिदेव जोशी)

सामने पर्सेन्टेज रखी है कि १०० में से पौन आदमी पर टैक्स लगने वाला है, पूरे एक आदमी पर भी नहीं। आंकड़ों के अनुसार यदि हम लाखों आदमियों में से ढूंढते हैं तो १५०० परिवार पर यह टैक्स लगने वाला है। फिर कौन आदमी भूखों मरने वाला है........

श्री भैरोंसिंह : यह पर्सेन्टेज एग्रीकल्चरिस्ट्स की है या टोटल पोपुलेशन की है?

श्री हरिदेव जोशी : तो किसानों की बहबूदी के लिए है, प्रान्त को नीचे गिराने के लिए नहीं; किसानों को ऊँचा उठाने के लिए है किसानों को नीचे गिराने के लिए नहीं, यह रोटी देने के लिए है, भूखों मारने के लिए नहीं। सभापति महोदय, जो सुझाव रखा गया कि इसे अभी सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, उसका मैं विरोध करता हूँ। अलबत्ता जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, वित्त मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि तीन हजार की आमदनी वालों पर टैक्स लगाया जाय, वह तीन हजार की आमदनी बढ़ा कर चार हजार की कर दी जाय। मैं निवेदन करता हूं कि वित्त मंत्री जी इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे इससे जो मैंने १,५०० परिवार की संख्या; बतलायी थी, वह भी घट कर कुछ और कम हो जायगी, और प्रान्त के कुछ ही लोगों पर यह टैक्स लगने वाला है। यह टैक्स उन लोगों पर लगने वाला है जो तिजोरी में पैसा बचाने वाले हैं, यह टैक्स किसानों पर नहीं, लेकिन उन पर लगने वाला है जो उनका शोषण करने वाले हैं, यह उन लोगों पर लगने वाला है जो खेती के नाम पर पैसा पैदा करते हैं, और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पृष्ठ भूमि के अन्दर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द नहीं करना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के मायने हैं कि वे लोग जो खेती के नाम पर पैदा करके अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, वहां उसका समर्थन करके प्रान्त की बहबूदी में बाधा पहुँचावेंगे। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय, विरोध करता हूँ।

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : सभापति जी, जो बिल हमारे सामने चल रहा है उस पर जरा सेंटीमेंटल रूप से बहस चल रही है। यह बिल आना चाहिए था पर इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए था। पिछली बार जब यह बिल आया था तो शायद मैंने हीं पेश किया था और यह बिल जिसका कि अमेंडमेंट बिल आया है मेरा ही पेश किया हुआ है। इसके लिए एक बहुत बड़ी सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी शायद सबसे बड़ी सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, उस सिलेक्ट कमेटी ने एक महीने तक नहीं, दो महीने तक नहीं बल्कि लगभग ६ महीनों तक इस पर विचार किया और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने पर यह बिल सदन में आया और एक्ट बना। तो इसलिये आज अगर प्रवर समिति को इस बिल को देने का प्रस्ताव आता है तो इसको सेंटीमेंन्टल बातें कह कर टाल देना गवर्नमेन्ट के लिए उचित बात नहीं है। अगर कोई खामियां हैं, उन पर विचार करते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल है जो पास होने पर सारे राजस्थान में कानून के रूप में लागू होगा।

(श्री भोलानाथ)

आपको शायद मालूम है, राजस्थान में जब इन्कम टैक्स का कानून लगा था। उस समय भी टैक्स एकदम नहीं लगाया गया था। राजस्थान की पब्लिक को धीरे धीरे इन्कम टैक्स अदा करने का आदी बनाया गया था। जो तनख्वाहें लेते हैं, न पर किस तरह धीरे धीरे टैक्स बढ़ाया और किस तरह धीरे धीरे वे लोग टैक्स देने के आदी हुए ! जिस समय एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स बिल आया था तो उस पर एक लम्बे अर्से तक अच्छी तरह से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और फिर उस बिल को कानून की शक्ल दी। इसके बाद हमारा कर्तव्य हो जाता है कि इससे जो व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं उन पर विचार करें।

पर मैं देखता हूं, जो अमेंडमेंट बिल है वह बड़े अजीब तरीके से रख दिया गया है, रेट्स दुगुनी कर दी गई हैं, २ पैसे के बजाय १ आना कर दिया गया है, यह उचित नहीं मालूम पड़ता। ६ हजार से एकदम ३ हजार का गिराव कर देना ठीक नहीं। यह अमेन्डमेंट है, इसमें और भी अच्छा सुधार हो सकता है। इस लिए अगर प्रवर समिति के समक्ष पेश किया जाता है तो इस में कोई बुराई की बात मालूम नहीं पड़ती है दोनों दृष्टि से विचार करें तो जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया गया है वह उचित ही प्रतीत होता है। इससे पहले का बिल जो यहाँ पेश किया गया और कानून के रूप में सारे राजस्थान में लागू किय गया वह एक नये प्रकार का टैक्स था जो राजस्थान में लागू किया गया। उसे अगर लोगों के गले उतारना चाहते हैं तो लोगों को उसका आदी बनाना होगा। किसानों और आम लोगों का तो इसे समझना दूर, राजस्थान में वकील लोग भी एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के कानून को नहीं समझते होंगे क्योंकि हमारे राजस्थान यह एक नई चीज है। इन्कम टैक्स कानून के तो वकील राजस्थान में बहुत हैं, बाहर से ट्रेनिंग लिए हुये बहुत से वकील राजस्थान में हैं। ऐसी सूरत में इस पर सिलेक्ट कमेटी में सहानुभूति पूर्वक विचार करना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है।

पोलिटिकल व्यूज को ध्यान में रखते हुए भी मैं यह कहूँगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना आवश्यक है। अभी एक माननीय सदस्य ने धमकी दी कि हम यहां से जाकर किसानों में इसके खिलाफ हल्ला मचा कर उन्हें उभाड़ेंगे। मेरे ख्याल में भी यह बात आई कि किसानों में इस बात से हल्ला मच सकता है। ३० एकड़ पर १० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ३०० रुपया रेंट देना पड़ता है और १५०० तक की आय का एग्जेम्प्शन रखा है तो भी १०० रुपया और हो जाता है। तो इस तरह ३००० की आमदनी जिस किसान की है उसको ४०० रुपया का टैक्स देना पड़ता है। ३५०० की आमदनी पर ४०० रु० का टैक्स ज्यादा है। आप खुद खयाल करें जिनकी तनख्वाह ३००० होगी वे मुश्किल से १०० रुपया देंगे, जब कि किसानों से आप साढ़े तीन हजार की आमदनी पर ४०० रु० लेते हैं; तो जो टैक्स लागू होगा उस पर सैद्धान्तिक विरोध होगा। फिर एक दम किसानों पर टैक्स लगाते हैं इस पर विचार पैदा होगा और विरोधियों को मौका मिलेगा। कहने का कि हम शोषण की नीति पर चल पड़े हैं। क्योंकि हमें पैसा चाहिये इसलिये हम किसी भी तरह पैसा लेना चाहते हैं चाहे इसके लिए दूसरों का खून चूसा जाय,

(श्री भोलानाथ)

इस तरह कहने को विरोधियों को मौका मिलेगा। तो उन्हें इस तरह कहने का मौका नहीं देना चाहिये। श्रोपोज़िशन के लोग तो चाहते हैं कि काश्तकारों पर टैक्स बढ़े और उनमें आपके खिलाफ असंतोष भड़काने का उन्हें मौका मिले और इसमें शक भी नहीं है कि राजस्थान में ८५ प्रतिशत एरिया में किसान हैं, वे तो जरूर इस तरह की बातों से आपसे नाराज़ हो सकते हैं अगर उन्हें ऐसा कहा जाय।

आज जब कि तनख्वाहों पर इन्कम टैक्स है वह ३००० पर है, उसके स्थान पर ४२०० रखने के सम्बन्ध में विचार हो रहा है और इधर इससे उल्टा किसानों के लिये जो ६ हजार की आय है उसके स्थान पर ३ हजार की आय पर टैक्स लगाने का यह बिल ला रहे हैं, सैद्धान्तिक रूप से यह कितना गलत कदम होगा ?

इसलिये मेरा माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि प्रवर समिति में भेजने का जिस तरह का सुझाव श्री पालीवालजी ने रखा है, उसे स्वीकार करें। हमारे खजाने में कमी नहीं हो इस इरादे से बिना सोचे आमदनी इकट्टा करने लगें, यह उचित नहीं। साथ ही हम यह भी महसूस करते है कि हमारे खजाने में कमी नहीं होनी चाहिये तो इसके लिये यह किया जा सकता है कि दो तीन दिन के लिये एक कमेटी बैठायें, दो एक क्लाजें ही हैं जिन पर अमेंडमेंट आये हैं, रेंट भी मैं ज्यादा मानता हूँ, इन सब बातों पर दो तीन दिन में अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव जिन माननीय सदस्य ने रखा है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे सुझाव देना चाहते हैं तो जो इस प्रकार का प्रस्ताव पालीवालजी का आया है कि दो तीन दिन में ही प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट सदन में रख सके तो जरूर प्रवर समिति को दें, इसे स्वीकार करें। इस तरह के सुझाव के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने में मैं समझता हूं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इससे सदन में अच्छा वातावरण बन जायगा और जो सदस्य यहां से बाहर जाने पर इस प्रश्न को लेकर इसे पोलिटिकली एक्सप्लोइट करना चाहते हैं, उनका भी मुंह बन्द हो जायगा। टेक्सेज़ लगाने की नीति के अनुसार धीरे धीरे जनता के गले उतारने की कोशिश करेंगे तो जिन लोगों को टैक्स देना पड़ता है उन्हें बुरा महसूस नहीं होगा। इसलिये मेरी राय है कि इस बिल को जरूर प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये; हां, अलबत्ता प्रवर समिति की रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): माननीय सभापतिजी, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मैं यह समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है कि इस बिल को प्रवर समिति में दिया जाय, वह ठीक है, इसलिये ठीक है कि हम इस अमेंडमेंट के जरिये यह टैक्स स्ट्रक्चर है उसको ठीक कर रहे हैं। इस बिल द्वारा ऐसे लोगों पर टैक्स लाद रहे हैं जो टैक्स देने के आदी नहीं हैं। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया पर इसके नीचे तक तह में जाने की हमने कोशिश नहीं की। हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम अनाज की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। यह ह्यूमन साइकोलोजी है कि किसी आदमी से काम कराना है तो उसके सामने इन्सेन्टिव रखना पड़ता है, बगैर इन्सेन्टिव के काम नहीं होता। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स नीचे के तबके पर लगाना चाहते

(श्री पी. के. चौधरी)

हैं इससे उनके इन्सेन्टिव पर क्या असर होगा, यह हमें सोचना पड़ेगा ? इसलिये ज्यादा अच्छा होता कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाता, जिसमें हम सोचते हैं ऐसे लोगों को रखेंगे जो कि इस बात में समझते हैं, जिसे एक्स्पर्ट समिति कह सकते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि इस पर एक्स्पर्टस की ओपीनियन ली जाय। और कमेटी के उन एक्सपर्ट व्यक्तियों की ओपीनियन लेने के बाद जैसा ठीक समझा जाय करना चाहिये। यह एक माजरा है जिसके जरिये से आज तक जो लोग टैक्स देने के आदी नहीं थे, उनका क्या रीएक्शन इससे होता है जाना जा सकता है और आगे जो हमारे अन्य काम हैं, हमारी आवाज है, हमारी डेवलपमेंट एक्टीविटीज हैं उसमें हम जिस कदर जनता का सहयोग चाहते हैं हमें मिल पायेगा या नहीं। जनता की मंशा पर इसका क्या असर पड़ता है ? इस सरकार की नीति का क्या असर होगा, यह हमें जानना चाहिये ?

३. १ म० प०

आज हम सदन के सामने एमेन्डमेंट लाते हैं, पेश करते हैं। हमें इन एमेन्डमेंट्स पर ज्यादा समय विचार करने के लिये नहीं मिलता जिससे कि हम उसके हर पहलू पर विचार कर सकें। इसलिये यह एक माजरा है जो काफी लोगों को इफेक्ट करता है और जब इफेक्ट करता है तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन होना जरूरी है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर बराबर विचार किया जावे। आज ही अगर इस बिल को पास नहीं करते हैं तो कौनसा मौका चला जाता है। आप इसको प्रवर समिति के पास भेज दीजिये। प्रवर समिति इस पर विचार करेगी और जल्दी रिपोर्ट दे देगी। अगर अभी इस अधिवेशन में नहीं तो अगले अधिवेशन में हम इसको पास करेंगे। अगर अगले अधिवेशन में भी इसको पास करेंगे तो भी यह कानून तो १ अप्रेल से ही अमल में आयेगा और अगर गवर्नमेंट इसको आज ही पास करती है तो भी १ अप्रेल से ही लागू होता है। अगर ऐसी हालत में सिलेक्ट कमेटी में दो चार महीने लग भी जाएं तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इसकी वसूली तो १ अप्रेल से ही सरकार करेगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सरकार की तरफ से यह जो बिल लाया गया है उसमें सरकार को कुछ लीनियेन्सी दिखानी चाहिये। जब सदन में इतने लोग कहते हैं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाना चाहिये तो सरकार को जरूर इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिये। सरकार को केवल इस बात पर ही अड़े नहीं रहना चाहिये कि हमने इसको पेश किया है, इसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजेंगे। सरकार को जिद नहीं पकड़नी चाहिये। डेमोक्रेसी में जिद पकड़ कर नहीं चला जा सकता। हमें डेमोक्रेसी में जनता को समझा-बुझा कर अपने साथ लेकर चलना चाहिये। आज हम जागीरदारों और राजाओं को कोसा करते हैं, किसलिए ? इसी लिये कि जनता पर फोर्स काम में लेते थे। आज डेमोक्रेसी में हमको फोर्स काम में नहीं लेना है। हमको आज पैसा चाहिये। हम जनता से डंडे के जोर से पैसा नहीं ले सकते। हमें तो लोगों को समझा-बुझा कर उनकी मंशा को बदल कर, अपने मुताबिक बना कर काम कराना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि कानून बनाने के भी तरीके होते हैं। जब कभी देश में किसी प्रकार का कानून बनाया जाता है तो

(श्री पी. के. चौधरी]

कानून लागू करने से पहले हमें जनता में इस प्रकार की भावना पैदा करनी चाहिये कि वह उन कानूनों की पाबन्दी करे। जब आपके देश में किसी प्रकार का कानून बना हुआ है और उसका पालन करने के लिये देश की जनता में कोई भावना नहीं है तो भले ही हम कानून बना लें मगर उस कानून का जनता उलंघन ही करती है। जनता की तरफ से उस कानून को भंग करने के तरीके होते हैं। जनता में एक प्रकार की भावना बनी रहती है कि जो कानून हमारी मंशा के खिलाफ बनाये गये हैं हम उनका पालन नहीं करेंगे, हम उनको भंग करेंगे। इसलिए सबसे पहले जनता में इस प्रकार की भावना पैदा करनी चाहिये कि जो कानून बनाये जावें उनका हम पालन करेंगे। मगर आज हम देखते हैं कि हम कानून पहले बनाते हैं और पब्लिक के अन्दर उन कानूनों को पालन करने की भावना पीछे पैदा करते हैं, यह उचित नहीं है।

सब लोग जानते हैं कि चोरी करना पाप है। इस कानून को हमने बाद में बनाया। पहले हमने लोगों के दिलों में इस प्रकार की भावना पैदा की कि किसी को मारना-पीटना, चोरी करना आदि गलत है। इस तरह से पहले बैक ग्राउन्ड तैयार करना चाहिये और जनता की मंशा और भावना को तैयार करना चाहिये, इसके बाद कानून बनाना चाहिये। मगर आज-कल हम ऐसा नहीं करते, पहले कानून बनाते हैं और बाद में जनता की भावना को बदलते हैं। यह गलत है और इसी कारण आज-कल कुछ महानुभाव कहते हैं कि जनता उन कानूनों की अवहेलना करती है। इसकी मिसाल है, आपके सामने शारदा एक्ट। आपने शारदा एक्ट पास किया और उस पर अभी तक अमल नहीं होता है। हमने हमेशा उस कानून का ब्रोच होते हुए देखा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा चार-चार छः-छः महीनों या चार-छ साल के लड़के लड़कियों की शादियें होती हैं और वे चौड़े धाड़े होती हैं और आप देखते हैं कि यह कानून का उलंघन है, मगर कुछ नहीं किया जाता। इसका कारण यही है कि आपने जनता की मंशा को पहले तैयार नहीं किया। डेमोक्रेसी में कानून बनाने से पहले लोगों की जो मनोवृत्ति है उसको हमें बदलना चाहिये, क्योंकि कानून का पालन डंडे से नहीं होता है।

इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब सदन के इतने लोग जो जनता के नुमायन्दे हैं, जो एक एक लाख लोगों की नुमायन्दगी करते हैं, उनकी बात आप मानें। उनकी बात को इस तरह से अपनी जिद्द पर अड़ कर ठुकराना उचित नहीं। जब इतने लोग इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में देने के लिये आपसे कहते हैं और चाहते हैं तो आपको, चाहे माननीय मंत्री इसको भले ही न चाहते हों, भेज देना चाहिये। यह प्रश्न यहां पर नहीं है कि यह कानून ठीक है या नहीं। बात यह है कि जब इतने व्यक्तियों की तरफ से एक बात आती है तो उनके दिमाग में जरूर कोई बात होगी जिसके लिये ये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कह रहे हैं। यह बात कोई मजाक करने के लिये या तमाशा करने के लिये तो यहां नहीं कही जाती है। हमें किसी को विरोध का मौका नहीं देना चाहिये। हमें एक्सपर्ट की ओपीनियन को हासिल करने का मौका देना चाहिये। आप पैसा तो वसूल करेंगे १ अप्रेल से, फिर यदि सिलेक्ट कमेटी में इसको भेज दिया जाए तो आपको इससे क्या हानि होगी?

(श्री पी. के. चौधरी)

पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये सरकार टैक्स रेज करना चाहती है जिससे हमारी डेवलपमेन्ट एक्टीविटीज में शीघ्रता हो। मगर जब आप किसी प्रकार का कर जनता पर लगाना चाहते हैं तो जनता को कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए। जनता यह समझती है कि आप डंडे के जोर से काम कराना चाहते हैं और इसीलिये आपके सामने जो सुझाव आये हैं, उनको आप कोई परवाह नहीं करते। यदि आप जनता की जान लेंगे तो मेरे ख्याल से इस पर कोई मेटारियल इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसको आप अप्रैल से लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फाइनेन्स मिनिस्टर इसको तो स्वीकार करेंगे ही। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वे बड़े लिबरल हैं, सज्जन हैं, जनता की भावना की कद्र करते हैं। यह जानते हुए मैं आपसे अपील करूंगा कि यह छोटी सी बात जो है इस पर इतना अड़ने और जिद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि फाइनेन्स मिनिस्टर खड़े होकर इसका जवाब दे देंगे। मैं तो समझता हूँ कि यह एक जिद्द की बात है। अगर ऐसा जवाब नहीं देते हैं तो, कि हमने इस बिल को सरकार की तरफ से पेश किया है इसको पास करना ही चाहिए। डेमोक्रेसी में जिद्द नहीं करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में जनता की गुड विल (good will) हमेशा साथ होनी चाहिये। इसलिए मैं यह कहूँगा कि इससे कोई मेटीरियल इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। आप इसको मंजूर नहीं कीजिये। वसूली तो आप १ अप्रैल, ५७ से ही करेंगे। यह कोई मिनिस्टीरियल भाषण नहीं है। जिद्द नहीं करनी चाहिये। जब जनता के नुमायन्दे यह चाहते हैं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में विचार करने के लिये भेजा जाना चाहिए तो आपको इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज कर उनको इस पर विचार करने के लिए समय देना चाहिये। अगर आप उनको विचार करने के लिए समय नहीं देते हैं तो मैं यह ठीक नहीं समझता। यह आपकी जिद्द गलत है। इसलिए मैं या तो निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी मे भेज दिया जावे। वहां पर इस बिल पर डिस्कशन हो जायगा। मैं समझता हूँ कि इससे लोगों पर बहुत असर पड़ेगा।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा माननीय वित्त मंत्री से कि वे खड़े होकर यह कहें कि इसको प्रवर समिति में भेजने का जो सुझाव है वे इसको मानते हैं यही अच्छा होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स) बिल को लेकर मेरे माननीय सदस्यों ने समाजवाद के नाम पर बहुत कुछ कहा है और यह बात बहुत जोरों से कही है कि समाजवाद की स्थापना के लिए, देश में समाजवाद को उठाने के लिए, आम जनता के कल्याण के लिये.......

श्री सभापति : (श्री सज्जनसिंह) माननीय सदस्य माइक के पास मुंह रख कर न लेंगे तो सब सुन सकेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : (जारी) हमें बहुत त्याग करके, बलिदान करके कुर्बानी करके हर प्रकार से देश को उन्नत बनाने की बात करनी चाहिये और उसी का नाम समाजवाद है। जब मैं बलिदान, त्याग

(श्री मुरलीधर व्यास)

और कुर्बानी की बात सुनता हूँ और उन सम्माननीय साथियों के मुख से सुनता हूं तो मुझे भी इस बात की खुशी होती है कि मेरे साथी वास्तव में कुछ त्याग करना चाहते हैं। समाजवाद की स्थापना के लिए कुछ कुर्बानी करना चाहते हैं और इस बात को लेकर वह टैक्स लगाकर समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। कुछ सम्माननीय साथियों ने कहा कि समाजवाद के लिए टैक्स आवश्यक हैं और जितने टैक्स लगेंगे वैसे ही समाजवाद की स्थापना होगी। यह बात भी समाजवाद के नाम पर कही गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि त्याग की जरूरत जरूर है। परन्तु जो टैक्स आम लोगों पर लगाते हैं, किसानों के ऊपर लगाते हैं, वह लगाने के पहले यह जरूर देख लेना चाहिये कि पहले हम कितना त्याग करते हैं! इस बात को सबसे पहले देखना चाहिये। जब त्याग की बात उनके लिए आती है कि आप अपने जीवन में कुछ त्याग करिये, आप अपने वेतन को कम कीजिए, जब यह बात समाजवाद के नाम पर कही जाती है तो कहते हैं कि इस समाजवाद को हम नहीं मानते हैं। यह समाजवाद गांधी जी का समाजवाद है, महात्माओं का समाजवाद है, इसको हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते। इस बात को कहकर वे दूसरों की दलील को कमजोर करते हैं और जब अपनी बात दूसरों के ऊपर लादनी होती है तो वहां पर उस समय समाजवाद की बात कह कर दूसरों का मत अपनी ओर खींचने का प्रयत्न प्रयत्न करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज समाजवाद की बात करने वालों को चाहे वह कोई भी हों, चाहे कोई दल हो, कोई भी विचार-धारा के लोग हों उनको सबसे पहले अपने जीवन में त्याग को उतारना चाहिये और मंत्रियों को जो कि हमारे सारे राजस्थान में समाजवाद के नाम पर टैक्स लगाना चाहते हैं उनको इन्हीं बातों के लिए, राजस्थान के उत्थान के लिए सबसे पहले यह घोषणा करनी चाहिये कि हम त्याग करते हैं। जब मैंने देखा कि किसी बात को लेकर मंत्रियों के वेतन की कटौती की बात कही तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि उनको जो कुछ मिलता है, वह बहुत कम है और उन्होंने आगे कहा कि इससे भी ज्यादा अगर उनकी तनख्वाह हो सकती है तो हम कोशिश करेंगे। यह बात मेरे सम्मानीय सदस्यों ने सदन में कही और जब वही सदस्य दूसरी ओर टैक्स बात की आती है तो कहते हैं कि समाजवाद के लिए यह टैक्स लगाना चाहिये। मैं माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि जो समाजवाद के नाम पर और गांधी जी के नाम पर इस प्रकार की बात करें कि वह ऐसे समाजवाद को नहीं मानते हैं तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के नाम का और कांग्रेस के नाम का वह दुरुपयोग करना चाहते हैं। सरकार जो भी टैक्स लगाये, किसी पर भी लगाये, उस सरकार के अन्दर काम करने वाले कर्मचारी, उस सरकार के अन्दर प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के अन्दर इतना त्याग अवश्य आना चाहिए कि जो टैक्स लगते हैं, उनको लिया जाय लेकिन उनको भी अपने जीवन के लिए इतना रखना चाहिए कि जिससे उनके जीवन की व्यवस्था हो सके।

अधिक वेतन लेने की क्या आवश्यकता है? जब किसानों की बात आती है तो कहा जाता है कि तीन हजार रुपया भी वार्षिक उनके लिए ज्यादा है, जब कि उनके पास स्वयं के पास पन्द्रह हजार रुपया वार्षिक आता है। वह बेचारे तीन हजार वार्षिक कमा पाते

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं और उस पर भी कहते हैं कि टैक्स लगना चाहिए ! अब दूसरी ओर उस समाजवाद को देखिये । हमारी सरकार की नीति के बारे में जो अब तक भाषण हुये और जो हमारे सामने राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ उसमें सरकारी नीति बताई और कहा गया कि हमारी सरकार सीलिंग फिक्स करेगी और हल जोतने वालों को ही जमीन का मालिक बनायेगी। हमारी सरकार इस प्रकार से होल्डिंग करेगी जिससे कि जीवन अच्छा बीत सके, इसके विपरीत यह भी हमारी सरकार द्वारा किया जाता है कि किसान जो भी पैदा करता है उस पर टैक्स लगायेंगे । तो फिर हम कह सकते हैं कि सरकार एक ओर तो समाजवाद की स्थापना करना चाहती है और दूसरी ओर किसानों को दबाना चाहती है, तो सरकार की नीति कोई साफ नहीं मालूम होती। यह कहा जाता है कि समाजवाद के आधार पर जमीन का बंटवारा होगा और बंटवारा होकर इस आधार के ऊपर एक आदमी को जमीन दी जायगी कि जिससे उसका निर्वाह अच्छी तरह से हो सके । तो एक ओर तो हमारी सरकार निर्वाह की बात करती है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐसे कानून बनाती है जिससे गरीब किसानों को भारी लगता है । तो इससे मालूम होता है कि समाजवाद के दृष्टिकोण से सारी योजना के ऊपर हमारी सरकार नहीं सोचती है, अलग अलग रूप में सोचती है । कभी किसी समय पर नीति निर्धारित की जाती है कि गरीबों को ऊंचा उठाना है और दूसरी ओर बाद में उन्हीं पर टैक्स लगा दिया जाता है । तो इस प्रकार से सरकार नये नये टैक्स लगा कर अपनी नीति का प्रदर्शन करती है । यह उनकी समाजवाद की नीति है ! इसलिये अगर यह कहा जाय कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, समाजवाद के नाम पर वार करती है, उसकी नीति में कोई इकोनोमिक दृष्टिकोण नहीं है तो कोई गलत बात नहीं है।

सभापति महोदय, अब मैं इस टैक्स के ऊपर आना चाहता हूं । इस बारे में मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर आज कम से कम बीस लाख किसान इस प्रकार के हैं, बीस लाख आदमी नहीं, बीस लाख किसान परिवारों के पास में कितनी कितनी जमीन है, किस प्रकार से उसका उत्पादन होता है क्या राजस्थान की स्थिति है उसका जीवन किस प्रकार से चलता है, इसको बहुत गहराई के साथ सोचना हैं। राजस्थान के अन्दर कई बार अकाल का मौका आता है । मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जैसे बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर कि जहां तीन साल में एक बार बारिश होती है और इन तीन सालों में एक बार की से कुछ न कुछ अपने जीवन के निर्वाह के लिए मिलता है। मान लो कि एक वर्ष वहां पर किसान ने तीन हजार रुपया कमा लिया तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तो टैक्स लग जायगा और बाकी के दो साल में जबकि कोई उत्पादन नहीं होता है उसका क्या हाल होगा ? तो पहली साल तो वह टैक्स देगा और दूसरे दो साल के लिए उनको कहा जायगा कि पहली साल तो आपके इतनी आमदनी हुई और इस साल कम क्यों हुई ? यह राजस्थान की वस्तु स्थिति है और इस स्थिति को हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भी कहा कि यहां पर हमेशा अकाल पड़ता है और किसानों को हमें प्रति वर्ष सहायता देनी पड़ती है और आज राजस्थान की स्थिति को देखते हुए कि तीन साल के अन्दर अपने गुजारे के लायक वह

(श्री मुरलीधर व्यास)

पैदा करता है और उस पर भी टैक्स लगा दिया जाय तो यह उसके उपर बड़ा भारी अन्याय होगा। तीन साल के अन्दर दूसरे दो साल उसके बेकार जाते हैं और फिर भी टैक्स लगाने की बात आती है। हो सकता है कि आप इस बात को सोच लें कि नहीं, हम तो इसको लगायंगे ही तो मैं आपसे कहूँगा कि राजस्थान का दूसरा पहलू भी आपको देखना होगा कि राजस्थान में कितने लोग शिक्षित हैं और आज गांवों के हिसाब से देखा जाय कि गांव में कितने किसान पढ़े लिखे हैं तो आपको पांच प्रतिशत किसान भी शिक्षित नहीं मिलेंगे। यह तो उनकी हालत है, उन किसानों की हालत है जो गांवों में रहते हैं और इस हालत के बाद में उनके ऊपर यह टैक्स लगाया जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि जनता का क्या हाल होगा। न तो वे पढ़े लिखे हैं और न उनमें इतनी बुद्धि ही है कि वे हिसाब किताब को समझ लें। तो ऐसी हालत में यह होगा कि जितना भ्रष्टाचार अब हमारे वर्तमान शासन में है वह और भी ज्यादा हो जावेगा। आज गांवों मे आप जइये वहां पर केवल इतनी साक्षरता है कि उनके सामने कोई भी चीज रख कर दस्तखत करा लिये जाते हैं और इस प्रकार दस्तखत करने के बाद वह बेचारा कई बार फंस जाता है।

आप शिक्षा को लीजिए। अगर एक किसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो किसी न किसी तरह वह मेट्रिक तक तो पढ़ा लेता है लेकिन अगर वह मेडिकल कालेज में भेजना चाहता है तो बच्चे के पढ़ने के ऊपर कम से कम सौ रुपया महीना खर्च होगा, मगर उसके पास पैसा नहीं होता है और उस पर भी आप उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। अगर किसान पढ़ाने के दृष्टिकोण से उन्नति करना चाहता है तो वह रुक जायेगा। किसान किसी भी प्रकार से अपने बच्चे को ऊंची शिक्षा नहीं दे सकेगा परन्तु फिर भी आप उसके ऊपर उसकी कमाई के ऊपर इस प्रकार का टैक्स लगायेंगे तो वह कमजोर हो जायगा और किसी भी प्रकार से आगे उन्नति नहीं कर सकेगा।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय एक उदाहरण मैं आप के सामने और रखूं मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की वस्तु स्थिति के आधार पर बहुत से लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण सोचे हैं। जहां तक नहरी इलाके का सवाल है, हो सकता है कि कुछ लोगों के पास नहर के समीप जमीन हो, उनकी आमदनी कुछ नियमित रूप की हो सकती है। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय, आपको बताऊं कि नहरी इलाके के अतिरिक्त किसी भी किसान की आमदनी नियमित नहीं है। उनकी आमदनी कभी कम होती है और कभी ज्यादा होती हैं और उसके अन्दर इन्कम टैक्स एक बार लग गया तो हमेशा के लिए जैसा कि इन्कम टैक्स में होता है उसी प्रकार से उनके ऊपर यही प्रहार होने वाला है और यह प्रहार जब होगा तो उसके अन्दर कम से कम लाखों किसान आयेंगे, हर आदमी को हिसाब रखना पड़ेगा। कम से कम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उनको नौकर रखना होगा, जिसको कम से कम ५० रुपया मासिक तो देना ही होगा हिसाब किताब रखने के लिये और उस हिसाब के लिये साल के ५००,६०० रुपया व्यय करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ हमारे राजस्थान की हालत अन्य प्रान्तों से सर्वथा भिन्न है। जो लोग सोचते

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं कि दूसरे इलाकों की तरह यहां भी टैक्स लगाये जांय, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें यह भी सोचना चाहिये कि राजस्थान की स्थिति अन्य इलाकों से भिन्न है। इस संबन्ध में सम्माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रगट किये हैं वे वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि इस बिल पर सोचने-विचारने की आवश्यकता है। मैं यहां तक कहूंगा कि इस चीज़ को किसानों के अन्दर प्रसारित करना चाहिये। उनको इस बात का मान कराना चाहिये कि हम तुम पर इस प्रकार के टैक्स लगा रहे हैं। सभापति महोदय, जिस समय कांग्रेस का घोषणा-पत्र चुनाव के सम्बन्ध में निकाला था उस समय उन्हें चाहिये तो यह था कि वे घोषणा-पत्र में इस प्रकार का टैक्स का उल्लेख करते और जनता से इस तरह से वोट मांगते। आप कहते उनको जाकर कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और वह आप पर टैक्स लगा कर करना चाहते हैं। यह कह कर आपको वोट लेना था। यदि आपको जनता इस बात पर वोट देती तो आपको यह निश्चत रूप से अधिकार था कि आप उन पर इस प्रकार का टैक्स लगाते। आपको यदि टैक्स लगाना ही था तो आपको अपने घोषणा-पत्र में इस चीज को रखना था, उस घोषणा-पत्र के आधार पर वोट मांगने थे लेकिन आप किसानों को यह बात बताकर नहीं आये हैं। आप आज सदन में खड़े होकर उन पर इस प्रकार के टैक्स थोपना चाहते हैं। वहां से तो आप जनता को धोखा देकर आ गये हैं। अब तो आप नैतिक दृष्टि से और सही रूप से समाजवाद के पक्षपाती हैं। तो आपको चाहिये यह टैक्स लगाने के लिये जनतन्त्रात्मक जो तरीका है उसे अपनायें आप यह जानते हैं कि आज राजस्थान में डेढ़ करोड़ की आबादी में करीब १ करोड़ किसान होंगे, उनके सामने इस बात को रखना चाहिये। यह बात उनके सामने जानी चाहिये। उनके इस पर क्या विचार हैं, वे सब इकट्ठे कर हमें यह बिल सदन के सामने रखना चाहिये। इस प्रकार आप करेंगे तो यह आपके लिये भी अच्छा होगा। आप इसके लिये जनमत तैयार करिये। उसके बाद अगर आप यह टैक्स लगाते हैं तो ये सारे राजस्थान के लिए और आप और हमारे लिये भी उपयुक्त होगा। बिना सोचे समझे अगर आपने यह टैक्स लगा दिया, जैसा कि मुझे विश्वास है, आप लगाने जा रहे हैं तो यह उस आदमी की तरह होगा जो आदमी जिस डाल पर चढ़ा हुआ है उसी को काटने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा कि डाल के कटते ही वह खुद नीचे आकर गिर जायगा। उसी प्रकार की हालत आपकी होगी। आप ऐसे गलत काम न करिये आप यह विश्वास रखिये कि अगर आपने यह किया तो आपको यहां से भागना पड़ेगा, यह आपको आने वाला समय बतायगा। इन शब्दों के साथ मैं नम्रता के साथ और सद्भावना के साथ उम्मीद करता हूं कि आज जो जनतन्त्र हमारे यहां है उसके अनुसार इस पर राय रखने का हरेक को अवसर मिलना चाहिये और यह जो टैक्स लगा रहे हैं उसके अन्दर सबकी राय से काम होना चाहिये। जिस प्रकार हमने योजनाओं की शुरूआत को नीचे से माना है उसी प्रकार टैक्स की शुरूआत भी नीचे से ही होनी चाहिये, लोगों की राय ली जाकर। यह कानून ऐसा है जिसका प्रभाव राजस्थान के १ करोड़ किसानों पर पड़ने वाला है। अगर हम जनतंत्र में इस प्रकार के कानून किसान के लिये बनाते हैं तो हमें पहले अपने राजस्थान की स्थिति

(श्री मुरलीधर व्यास)

से वाकफियत हासिल करनी चाहिये, राजस्थान की अलग अलग स्थितियों का अध्ययन करना चाहिये, डिटेल्स में उनकी छानबीन करके हमें यह बिल सदन के सामने रखना चाहिये। इसके लिये जो सुझाव सम्माननीय सदस्यों ने दिया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, यह अवश्य किया जाना चाहिये। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूँ कि आपने ३ हजार के जो आंकडे रखे हैं वे भी समाजवादी व्यवस्था के विपरीत हैं। आज आप जिस बात करने के लिये आतुर हैं वह समाजवादी सिद्धान्तों के विपरीत है। आप इसको शीघ्र समझ लीजिये, आप प्रान्त की जनता को धोखे में मत रखिये। आप इससे समाजवादी की स्थापना नहीं कर सकते। अगर आप सही मायने में समाजवाद का पालन करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से सोचना चाहिये जिससे इस प्रकार के टैक्स जनता पर न लदें, तभी सही मायने में समाजवाद की स्थापना हो सकती है।

जय हिन्द

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, यह मामूली सा प्रश्न है जो काफी विवाद का विषय बन गया है। इस बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना मुनासिब समझता हूँ।

मैं इस बारे में दोनों ही तरफ के विचार सुन रहा था और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दोनों ही तरफ के लोग इस टैक्स के विरोध में है। मैं इस पर एक तरीके की राय देना चाहता हूँ। मेरा खुद का विचार है, यह सवाल क्यों पैदा हुआ यह सवाल इसलिए पैदा हुआ कि हमारे राजस्थान के बजट में डेढ़ करोड़ का घाटा है, उस घाटे की पूर्ति के लिये टैक्स लगाये जांय। हमारे सामने डेढ़ करोड़ रुपये की कमी का सवाल है उसके लिये मेरा सुझाव है कि आप इस प्रकार टैक्स मत लगाइये..........

श्री सभापति : आप इस विधेयक के औचित्य अनौचित्य पर ही बोलिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, कुछ कोन्टेक्स्ट तो ज़रूर देना ही पड़ता है। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस तीन करोड़ रुपये की कमी है उसको पूरा करने लिये मेरा यह सुझाव है कि जो बजट हमारे सामने आया है उसमें हम कुछ कतरब्योंत करें और उससे इस घाटे की पूर्ति हो सकती है। मैं यह मानता हूँ कि इतने बड़े बजट में करोड़ डेढ़ करोड़ रुपये की कमी कोई बड़ी बात नहीं है।

मुझ सेवक को भी इतना अनुभव है कि कम से कम ३५ बजट जयपुर राज्य के समय में मेरे सामने से गुजरे हैं। मैं भी कुछ अनुभव इस बारे में रखता हूं। इसलिये मेरा वित्त मन्त्रीजी से निवेदन है कि वे इस टैक्स को बिल्कुल हटा दें और अपने बजट में से ही कुछ कमी करें। यदि आप नहीं कर सकते तो मुझे दीजिये मैं आपको बता सकता हूँ और बड़ी सुन्दरता के साथ कमी कर सकता हूँ और आपके किसी भी काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं पैदा होगी।

मैं यह देखता हूँ कि दोनों ही पार्टी वाले महानुभाव इस बात से सहमत हैं कि इस टैक्स को विचारार्थ प्रवरसमिति के सुपुर्द करना चाहिये। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा इस सवाल को प्रवर समिति

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

के सामने रखने की बजाय वे खुद ही इस बात की घोषणा हाउस में कर दें, क्या जरूरत है इस बिल को प्रवरसमिति के सुपुर्द करने की, लोगों के मुंह से सुनने से यह मालूम होगया है कि इस छोटे से टैक्स का असर राजस्थान के विशाल समुदाय पर पड़ता है ऐसी हालत में वे कहें कि वे इसी बिल को ही वापिस लेते हैं, यदि इस प्रकार की घोषणा वित्त मन्त्रीजी कर देते हैं तो सब लोगों को बड़ी सान्त्वना मिलेगी।

मैं जो निवेदन कर रहा हूँ वह मेरे अनुभव से कह रहा हूँ मैं भी एक छोटा सा जागीरदार हूँ। जहां तक मेरी ६० प्रतिशत इनकम का सवाल है वह मैंने लोक सेवा के वास्ते लगाया है फिर भी किसी हालत में मैंने किसी काश्तकार से छटे बांटे से ज्यादा कर नहीं लिया है। उस समय हम किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगाते थे उस पर भी मैंने तीन तीन संस्थायें मये दो कॉलेजों के, जो बराबर साठ साठ वर्ष से चल रहे हैं। उस समय भी हमारे लिये इस प्रकार के टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि हम हमारे बजट में जो खर्चा दिखाया गया है उसमें से कतरव्योंत करके इसको एडजस्ट कर लें और माननीय मन्त्री इस बिल को वापिस लेने का डिक्लेअर कर दें। मैं तो यह जरूरी समझता हुँ कि बजट में कतरव्योंत करने से यह हमारा घाटा पूरा हो जायगा। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल का सवाल है इस पर काफी वाद–विवाद हो चुका है। इससे पहले कि मैं इस बिल पर अपने विचार रखूं मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि टेक्सेशन के प्रींसिपल्स क्या होते हैं? जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उसूल होता है उसी प्रकार टेक्सेशन का आधार भी किन्हीं सिद्धांतों को लेकर होना चाहिये और टैक्स भी किसी सिद्धान्त पर लगाने चाहिये। जहां तक मैं समझता हूं वे माननीय सदस्य भी जो सरकारी पक्ष की ओर हैं, इस सिद्धान्त से असहमत नहीं होंगे।

जहां तक टैक्सेशन का प्रश्न है वह हमेशा ऐसी चीज़ों पर लगाया जाता है जो कि आम इस्तैमाल की चीज़ न हों, जिसका असर आम आदमियों पर न पड़ता हो। इसी सिद्धान्त के अनुसार महात्मा गांधी ने सॉल्ट के नाम पर एजीटेशन भी किया था। सॉल्ट आम जनता की चीज़ है, इसका आम जनता पर असर पड़ता था और सरकार ने उस पर टैक्स लगाया था, जिसके कारण महात्मा गांधीजी को भी आन्दोलन करना पड़ा और इसी सिद्धान्त पर वह एजीटेशन चला।

मैं समझता हूँ कि वही सिद्धान्त यहां पर भी लागू होता है। इस टैक्स से कोई बच नहीं सकता। यह ग्रेन पर सीधा असर डालने वाला है और इस तरह ओटोमेटिकली इसका असर सब पर पड़ेगा। कोई भी वर्ग इससे बच नहीं सकेगा। तो इस सिद्धान्त की दृष्टि से भी यह टैक्स गलत ढंग से लगाया गया है।

अब हम यह देखें कि यह टैक्स किस रूप में हमारे सामने आया है। अगर सिर्फ

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

हम यह देखें कि केवल दो पैसे के चार पैसे ही कर दिये गये हैं, तो इतना ही काफी नहीं है। इसको तीन तरफ से बढ़ाया गया है। एक तो सीधा ही दो पैसे से चार पैसा हो गया है, दूसरा जो एक मिनिमम अमाउन्ट था उसको भी ऊपर से नीचे घटाया गया है, तीसरा, एक मिनिमम कोटा जमीन का था उसको भी नीचे लाया गया है। तो इस तरह तीन तरफ से इसे बढ़ाया गया है।

अब देखना यह है कि आज किसान इसे बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। जब हम देखते हैं कि इरिगेशन के चार्जेज बढ़ाये गये, कस्टम की जगह उससे भी ज्यादा मंहगा सेल्स टैक्स लगाया गया, इन सबसे भी अधिक बढ़ा, तमाखू, टैक्स लगाया गया, जो एक-दो गुना अधिक नहीं पर बीस गुना ज्यादा बढ़ा कर लगाया गया और इनके अतिरिक्त और भी दूसरे छोटे-मोटे टैक्स लगाये गये तो आखिर किसान इन सबको कबतक बर्दाश्त कर सकेगा ?

एक माननीय सदस्य ने कहा कि नेट तीन हजार की आय पर लगेगा और तीन हजार की आमदनी वाला किसान कोई गरीब किसान नहीं कहा जा सकता, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह मामूली दर्जे का ही किसान कहा जा सकता है। तीन हजार की आमदनी वाले को मालदार नहीं कहा जा सकता। फिर यह भी कोई गारन्टी नहीं कि यह टैक्स इतनी ही आय पर रहेगा। वह भी बढ़ता ही चला जा सकता है। फिर दूसरी तरफ सरकार कहती है कि वह जनता का, किसान का रहन-सहन का स्तर चढ़ाना चाहती है; पर इस तरह से टैक्स पर टैक्स चुकाने के बाद किसान के पास अपना स्तर बढ़ाने के लिए रह ही क्या जाता है ? इसका पता आपको लगेगा, जो गांवों में लोन देने का काम करते हैं उन बोहरों की बहियों में, उनकी हिसाब की किताबों से आपको मालूम होगा कि जिस किसान की तीन हजार की इनकम सरकार असेस करेगी उसकी आर्थिक अवस्था क्या है ? वह कितना कर्जे से लदा पड़ा है और वह महज इस वजह से कर्जे से लदा है कि सारी चीजों को बर्दाश्त किसान आज नहीं कर पा हा है, उसकी बर-दाश्त से बाहर आज हालात जा रहे हैं।

इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं कहना यह चाहूंगा कि यहां पर कोई रेगुलर इन्कम crops से नहीं है।

३. ४३ म० प०

(श्री अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

यहां तो यह होता है कि एक साल अच्छी फसल हो गई, बाद के दो साल बुरे निकल गये और अक्सर ऐसा ही होता है। तो असेसमेन्ट के जो अपने कानून हैं, उसके जो नियम हैं उनके अनुसार एक बार किसी तरह से अगर असेसमेन्ट की बीमारी किसान के पीछे लग गई तो फिर अगर अगली साल फसल खराब भी हो गई और कुछ भी पैदा-वार नहीं हुई तो यह बीमारी तब भी उसका पिण्ड नहीं छोड़ने वाली है। हालांकि यह इन्कम टैक्स की तरह का तो नहीं है पर इसका अ मेन्ट तमाखू टैक्स की तरह का है।

जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के इन्कमटैक्स प्रश्न है उसमें इन्कम असेस करने वाला ौर फैसला करने वाला एक ही आदमी होता है। उस टैक्स को देने वाले सभी होशियार होते हैं, करीब करीब और उनमें तो इतने

(श्री होतीलाल)

माहिर भी होते हैं जो सरकार को एक टका टैक्स नहीं देते और रोज धोखा देते रहते हैं। वे दो तरीके के हिसाब तक मेन्टेन करते हैं। फिर भी वहां असेस करनेवाला और फैसला करने वाला एक आदमी होता है। इसी प्रकार यहां इस टैक्स में यह भी हो सकता है कि असेस करने वाला अगर प्रजुडिस हुआ तो वह किसी तरह से यह कहेगा कि इसका यह असेसमेन्ट है। वह जैसा चाहेगा वैसा असेसमेन्ट कर बैठेगा, चाहे उतना हो या न हो। अपीलें वगैरह इसमें भी हैं, पर अपील सुनने वाला भी उसी कैटेगरी का है जैसा कि वह नीचे वाला है। तो इस तरह की चीजें जब यहां होंगी तो आप अन्दाज लगाइये उस किसान की क्या हालत हो जावेगी जो कि न तो इतना होशियार ही है, न हिसाब ही रख सकता है और उतना चालाक होने का तो उसका यहां प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि वह कोई फोर्ज्ड अकाउन्ट रख ले। नतीजा यह होगा कि असेसमेन्ट गलत तरीकों से होगा और जैसे तमाखू में देखते हैं, वह असेसमेन्ट करने वाला खेती को देखेगा और अपनी मरजी से कह देगा कि इसमें पचास मन पैदा होगी और उसी हिसाब से टैक्स लगा दिया जायगा। तो अगर इसमें टैक्स लगाने का जो सिस्टम हो तो एक्युरेट हो वह, वरना उन अधिकारियों से भ्रष्टाचार बढ़ने की चीज हो सकती है। अगर पटवारी को कुछ दे दिया तो वह सौ मन के बजाय ५० मन कर देगा और अगर उस पटवारी को कुछ नहीं दिया तो १०० मन के बजाय वह १५० मन कर देगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि यह टैक्स लगना चाहिए। अगर सरकार को लगाना लाजमी है तो कोई इसके लिए एक एक्युरेट सिस्टम होना चाहिए, जैसे आम तौर पर होता है कि जब किसान खलिहान से नाज उठा कर लाता है तो तौल कर लाता है। उस समय अधिकारी को मौके पर रहना चाहिए वह उसको असेस कर ले। लेकिन यह धांधलीबाजी नहीं होनी चाहिए कि अनाज खेत में खड़ा है और असेस कर लिया या खलिहान में पड़ा है और उसको असेस कर लिया। इससे एक तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और यह ऐसे आदमियों पर टैक्स लगेगा जो इस ३ हजार की केटेगरी में आते नहीं हैं। इसके अलावा टैक्स लगाने की जो बात है, वह कुछ एरियाज़ में ही लगेगा, वैसे सारे राजस्थान से इसका मतलब होगा, लेकिन इसका कुछ पर ज्यादा असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जहां से मैं आता हूं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वह क्षेत्र एग्रीकल्चरली एडवान्सड है। वहां पर सब से ज्यादा इस टैक्स का असर पड़ेगा और खर्चा वहां कितना होगा? लैंड रेवेन्यु भी वहां से ज्यादा दी जाती है, और टैक्सेज़ भी राजस्थान के अन्य जगहों से ज्यादा दिये जाते हैं। जितना हमको वहां के लिए मिलना चाहिये नहीं मिलता, एडमिनिस्ट्रेशन के सिवाय हमको कुछ नहीं मिलता। इस तरह से हो यह रहा है, एक जगह ज्यादा देता है लेकिन वहां खर्च होता है बहुत कम। मैं मानता हूँ कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछड़े हुए आदमियों.......

श्री भानसिंह : जो एरिया डेन्सली पापुलेटेड है उसमें होल्डिंग पर क्या असर होगा? एक आदमी की होल्डिंग कितनी होगी?

श्री होतीलाल : एग्रीकल्चरली एडवान्स्ड हैं।

Page No.87

श्री श्रीमानसिंह : एग्रीकल्चरली एडवा-न्स्ड हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि ३० एकड़ इर्रिगेटेड माफ है।

श्री होतीलाल : माननीय सदस्य इसको अच्छी तरह जानते हैं। वे भी उसी जगह से आये हैं जहां से मैं आया हूं। ३० एकड़ से भी किसानों के पास ज्यादा जमीनें हैं। कुछ रह भी जावेंगे।

श्री श्रीमानसिंह : आपको मालूम है, भरतपुर की डेन्सिटी ३०० एएड समथिंग per Sq. mile है। आप अंदाज लगाइये होल्डिंग पर क्या असर पड़ेगा?

श्री होतीलाल : और भी काम करते हैं। They are not mainly dependent on this.

तो मैं यह कह रहा था कि जो पिछड़े हुए इलाके रह गये हैं उनके लिए जरूर कुछ होना चाहिए, उनको पिछड़ा हुआ नहीं रहने देना है। उसके लिए अर्ज करूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट भी दूसरे टैक्सेज़ के रूप में लेती है। हमारे ऊपर और टैक्सेज न बढ़ा कर राजस्थान सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से रिक्वेस्ट करे कि कर्ज के रूप में भी और मिले और उसको उस इलाके में लगाया जाय, न कि उसको ओवरलुक किया जाय। तो मैं यह कह रहा था कि यह टैक्स नावाजिब है और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सवाल अच्छा होता यदि कांग्रेस चुनावों से पहले यह एलान करती कि हम यह टैक्स बढ़ायेंगे और फिर इस तरह फायदा करेंगे। जहां तक प्रवर समिति का सवाल है मैं तो यह कहूंगा कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजे और उन माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस tax की चीज को अपने क्षेत्र में ले जायें और कहें कि मैं इस पार्टी का मेम्बर हूं, जिसकी सरकार है; यह टैक्स लगाया जा रहा है, आपके फायदे के लिये है। तो फिर मैं देखता हूं कि किस तरह से वे वहां से वोट लेकर आते हैं? यह तो एक तरीका है। हाथी के दांत खाने के और होते है और दिखाने के और। वहां कहते हैं और यहां करते क्या हैं! जिनके कन्धों पर चढ़ कर यहां आते हैं, जिनको यह कह कर यहां आते हैं कि तुम्हारे लिए यह करूंगा, वह करूंगा, जिनको पहले स्वर्ग दिखाया जाता है, लेकिन यहां पर आकर उनको धोखा दिया जाता है। ज्यादातर सदस्य इसको समझ भी नहीं पाते हैं। काश्तकारों को किस प्रकार की तकलीफें हैं, किस प्रकार वे अपना जीवन बिताते. हैं, यह एक दुर्भाग्य की बात है। यही नहीं मैं तो यह कहूँगा कि प्रवर समिति को हो नहीं इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाय। पब्लिक ओपिनियन भी किसकी हो? तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कलेक्टर के पास भेज दिया तो हो गई पब्लिक ओपिनियन का यह पब्लिक ओपिनियन नहीं। पब्लिक ओपिनियन सबसे बड़ा तरीके यह है कि राजस्थान में सब जगह पंचायतें हैं, और अगर पंचायतों में नहीं भेज सकें तो तहसील पंचायतें हैं, उनको भेज दीजिये। आपको मालूम हो जायगा, आपको इसकी नब्ज़ का पता चल जावेगा। आपका, कितनी पब्लिक, इसके लिए साथ देती है। अगर बड़े आदमियों पर ही इसका असर पड़ेगा जैसी कि उधर के पक्ष से दलील दी गई है, यह कुछ लोगों पर ही असर करेगा और सारे इलाके पर थोड़ा असर करेगा, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दीजिये। यदि यह मालदारों पर

Page No.88

(श्री होतीलाल)

असर करेगा तो ओटोमेटिकली यह ओपीनियन आ जावेगी कि हम इसको सहर्ष मानते हैं और अगर इसके खिलाफ ओपिनियन आती है तो मैं यह कहूँगा कि वित्तमन्त्री महोदय इस पर जिद्द न करें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

(टी)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव सदन के सामने है उस पर ४ बजे तक ही बहस होगी और अमेन्डमेन्ट के कन्सीडरेशन को ४॥ बजे समाप्त कर देंगे।

श्री अर्जुनदास तुलसीदास : Mr. Speaker, I stand to speak on the legal aspect of the Bill, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ओन ए पोइन्टर ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, इस पर निवेदन करना चाहूंगा कि यह फाइनेन्शियल बिल है, इसके द्वारा राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाने की व्यवस्था की जा रही है। यह विषय इस समय कन्सीडरेशन की स्टेज पर है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निहायत नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि एक खास चीज पर सदन के सदस्य राय प्रकट कर रहे हैं, अगर चार बजे तक के लिए ही इस पर विचार प्रकट कर सकेंगे तो यह होगा कि चार बजे तक कुछ सदस्य तो इस पर अपनी राय प्रकट कर सकेंगे और जो सदस्य इस पर अपनी राय प्रकट करना चाहेंगे वे चार बजे के बाद इस पर राय व्यक्त नहीं कर सकेंगे और इस प्रकार की पाबन्दी के कारण जो सदस्य चार बजे के बाद अपनी राय नहीं प्रकट कर सकेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि जो सदस्य राय प्रकट करना चाहते थे उनकी राय नहीं देने के बराबर होगी। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस वक्त कन्सीडरेशन की स्टेज पर इस प्रकार की पाबन्दी न लगायी जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : काफी माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं, करीब १९ माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : और भी सदस्य बोलना चाहते हैं। यह फाइनेन्शियल बिल है, बड़े महत्व का बिल है, काश्तकारों पर टैक्स लगाने का बिल है।

श्री अध्यक्ष : कब तक बोलना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जब तक मेम्बर बोलें। इस पर पाबन्दी नहीं लगानी चाहिए। सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं, काश्तकारों की बातों को यहां सदन में रखते हैं। यदि दूसरा बिल होता, लॉज एक्स्टेशन का बिल होता तो उस पर मुमकिन है कि ज्यादा बहस न हो। लेकिन जहां टैक्स लगाने का प्रश्न आता है, काश्तकारों पर टैक्स लगाने का प्रश्न आता है तो हर एक सदस्य को अपनी राय जाहिर करने का मौका देना चाहिए और यही अच्छा होगा। इस प्रकार की जो पाबन्दी लगायी जा रही है वह नहीं लगायी जाय।

श्री गोकुलचन्द : समय निश्चित कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर पाबन्दी न लगायी जाय तो क्या फाइनेन्स बिल पर चार दिन बहस होगी ?

श्री भैरोंसिंह : दस दिन चल सकती है। आपको तैयार होकर आना चाहिए था उसके लिये। इस प्रकार की पाबन्दी नहीं लगायी जा सकती। टेक्सेशन की बात है इसलिये सदस्यों का गला नहीं घोटा जाय। ऐसा न हो कि वे अपनी राय भी न दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब ने अपने विचार रख दिये और हमने सुन लिये। विचार क्या दो महीने तक रखते जाय ?

श्री भैरोंसिंह : दो महीने ही नहीं, छः महीने चल सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो महीने नहीं रख सकते।

श्री भैरोंसिंह : छः महीने रख सकते हैं, दो महीने तो क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हाउस यहां बैठा रहे इसके लिए।

श्री भैरोंसिंह : हाउस बैठा रहे। हाउस की यह जिम्मेदारी है। उसके लिए यहां बैठे रहें। आये ही इसीलिए हैं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री नाथूराम मिर्धा : हाउस का सेन्स ले लिया जाय कि कितने लोग और विचार रखने के पक्ष में हैं।

श्री अनोपसिंह : यह अनियमितता की चीज है। आपको ध्यान रखना चाहिये।

श्री अर्जुनदास : We must have our say at least. We must be allowed time to express our views.

श्री अध्यक्ष : Exactly that is what we are doing.

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष की ओर से बाद में जबाब दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सरकारी पक्ष की ओर से जबाब नहीं दे रहा हूँ, मैं एक मेम्बर की हैसियत से कुछ मुद्दे रखना चाहता हूँ। लोगों के दिमाग में यह बात है कि जहां किसान का नाम जनतंत्रवाद में आ जाता है तो चिपक कर खड़े हो जाते हैं नेतागिरी के लिये। इसलिये मेरा विचार इस रूप में....

श्री अध्यक्ष : सब से पहले यह तय करना है कि समय निर्धारित किया जाय या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : समय निर्धारित नहीं किया जाय। ऐसा आज तक ५ वर्षों में कभी नहीं हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ज्यादा बहस करने की क्या आवश्यकता है ? जो भावना है उसे समझ गये हैं। काफी लोग बोल चुके हैं....

श्री मदनसिंह दाता : तब तो सदन में ११६ आदमी उस पक्ष के और इतने विरोधी पक्ष के आने की जरूरत ही क्या है ? नेक

Page No.90

(श्री मदनसिंह दांता)

भावना से विचार प्रकट किये जा रहे हैं, विरोध की भावना से नहीं।

श्री अध्यक्ष : तो ऐसा तय करते हैं कि ५ बजे तक वाद-विवाद चलेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाबन्दी का प्रश्न आता है।

श्री अध्यक्ष : पाबन्दी तो लगानी पड़ेगी। माननीय सदस्यों के भाषणों पर भी पाबन्दी लगानी पड़ेगी, वरना कई सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अर्जुनदास : I would submit for a minute Sir. I believe that your honour is fixing time limit under Rule 173, Sir. If that be so then I would submit that this Bill is not only a Finance Bill but an Amending Bill also. Two things have been combined in one. So far as the Amending Bill is concerned it ceases to be a Finance Bill.

श्री अध्यक्ष : It is a Finance Bill and, therefore, it over-rides all the other characteristics.

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, उधर कम समय दिया जाय, ज्यादा ले लेते हैं।

श्री अनोपसिंह : समय की लिमिट पहले लगानी चाहिये थी। अब लगाने से क्या फायदा ?

श्री अध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं थी। पहले से कम बोलते तो लिमिट का सवाल नहीं था।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम): Mr. Speaker, I support this motion for sending this Bill to the Select Committee because I have good many doubts about the legal aspect of this Bill also. Among these doubts one is, I believe, about the non-compliance of the provision of sub-clause (2) of Rule 93, Sir. This clause lays down.

"(2) If a motion in respect of any Bill or amendment cannot under the provisions of the Constitution be made, save with the previous sanction of the President or the recommendation of the Rajpramukh, the Bill or amendment, as the case may be, shall be accompanied by the necessary sanction or recommendation."

We have been supplied with the copies of the Bill and the Statement of Objects and Reasons, but nowhere we have been supplied with the sanction or recommendation of the Governor, Sir, and as such I believe that there is non-compliance with the provision of clause (2) of Rule 93. As such this Bill cannot be considered at all, Sir.

Other thing that I would submit is that Finance Bill is one thing and Amending Bill is another thing. The procedure laid down for the two is quite different. The procedure for the Finance Bill is laid down in Rule 173 whereas the procedure for Amending Bill

Page No.91

(श्री अर्जुनदास)

is laid down in Rule 93 and onwards. Here in this particular case both the pieces of legislation have been mixed up in one, Finance Bill as well as the Amending Bill. When both have been mixed together we cannot say which Rule will be applicable, whether Rule 93 onwards or Rule 173 ? I am personally of the opinion that the two cannot be mixed up together. The hon'ble Minister-in-charge of the Bill should have introduced the two provisions separately one by one. We cannot say it is a Finance Bill when we introduce certain things which amount to amending the previous Act, Sir. Apart from this I am also referring to the title of this Bill. The title is, "The Rajasthan Finance (Agricultural Income-tax) Bill, 1957." Clause (1), Short Title also reads the samething. "This Act may be called the Rajasthan Finance (Agricultural Income-tax) Act, 1957." If it were not a Finance Bill alone then possibly the Title would have used the words. 'Amending Bill' also.

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल (उप राजस्व मंत्री) : Mr. Speaker, on a point of order. My learned friend has already been informed by the Chairman that such a recommendation is there but he is again agitating the same question in the House. I think it should not continue.

श्री अर्जुनदास : What is this point of order without hearing what the other man wants to say ? Whether the hon'ble Minister, I do'nt know, wehther he is a Minister, I say that the hon'ble Minister did not hear what the other side wants to say before he rose on a point of order. I sought information from the then Chairman whether recommendation has been received from the hon'ble Governor of Rajasthan. He did not say in the affirmative but said that we should presume that the recommendation is there. Therefore, I suggest that unless there has been compliance with the provisions of Rule 93 (2) this Bill cannot be taken into consideration today. I hope I am sufficiently clear to everybody now, atleast,

Proceeding further I was only suggesting that as the vary Title shows that it is a Finance (Agricultural Income Tax) Bill and it cannot contain provisions which really amount to amend the previous law. If the Hon'ble Minister wanted this Bill to be "Rajasthan Finance (Agricultural Income-Tax)" as well as the "Rajasthan Agricultural Income-tax (Amendment) Bill," he must be very clear in the title and clause 1 of the Bill. When you put this clause you cannot go beyond the scope of it.

Then another defect that I find in this Bill is this, Sir, Clause 5

(श्री अर्जुनदास)

reads : 'Rajasthan General Clauses Act to apply.—The provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act 8 of 1955) shall, as far as may be, apply mutatis mutandis to this Act." I don't know whether the Hon'ble Minister-in-charge means this particular Bill of 1957 or the previous Act, it is not clear at all. If he means that the General Clauses Act shall govern the previous Act also then I expect the hon'ble Minister to have said so. He has not made it clear and we don't know what they really mean. I, therefore, submit that this should be sent to the Select Committee where all these things will be thrashed out and then we would be in a better position to know where we stand and will give our judgement, On the merits, I personally believe, bringing down the limit to income of Rs. 3000/-, is too small a figure. In this connection I would submit atleast one point of view. In an undivided Hindu Family with so many members its income is bound to be more than Rs. 3000/-. Thus in the case of undivided Hindu family depending on agriculture will have to be taxed inspite of the fact that it pays land revenue on one side, and on the other side they will have to pay Agricultural Income-tax. This will be a hit to the Undivided Hindu Families which depend on agriculture.

Therefore, my submission is that it should not be Rs. 3000/-, but it should be Rs. 6000/- which it was formerly. Whether to fix Rs. 6000/- or not, I think it is worthwhile sending the Bill to the Select Committee where the matter can be finally decided, Sir.

श्री अध्यक्ष : There are two points raised by the Hon'ble member, one is regarding the recommendation of the Governor. I have seen the recommendation of the Governor, and it was only after that, that the permission was given to proceed with the Bill. A regards the recommendation not accompanying the Bill it is not sufficient to withhold the proceedings. of the Bill.

(विराम)

Yes, Shri Chaturvedi

४. १ म० प०

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि आय कर विधेयक जो इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका, उस ओर से इस आधार पर विरोध किया गया है कि वह पहले प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये था। मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए लेकिन प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पीछे जो भाषण हुए, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये, उनसे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यद्यपि वे जाहिरा में नाम प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिए

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भावना इस विधेयक का विरोध करने की है और वस्तुतः इसलिए कि यह कर सम्बन्धी विधेयक है। यह कोई नई चीज नहीं है, और यह स्वाभाविक है क्योंकि हमारा देश जो कि सदियों तक परतन्त्रता के पाश में बंधा हुआ रहा है, इस प्रकार का विरोध जनता की ओर से होता ही रहा है। १० वर्ष पूर्व, और उससे भी कुछ पहले यह धारणा रहती थी, कि सरकार की ओर से जो भी कर लगाया जाता है, वह जनता का शोषण करने के लिए, जनता को भूखा मारने के लिए, दरिद्र बनाने के लिए, इस प्रकार के कर लगाये जाते हैं, और मैं समझता हूँ, कि इस प्रकार के विचार वालों में मैं व मेरे मित्र व कुछ साथी रहे हैं और हमने इस प्रकार के करों का विरोध भी किया है लेकिन वह विरोध इसलिए किया था, कि जो कर उस समय लगाये जाते थे, उनके पीछे भावना कुछ दूसरी रहती थी। उस समय जनता के हित का इतना विचार नहीं था, बल्कि जो शासक जाति हमारे ऊपर दूसरे मुल्क से आकर शासन कर रही थी, वह अपने देश को धनाढ्य करने के लिए, अपनी जनता को माला-माल करने के लिए, हमारे ऊपर कर लगाती थी। उसको हम एक विदेशी हुकूमत कहते थे, एक पुलिस राज्य कहते थे; इसलिए उन करों का विरोध करते थे, लेकिन आज स्थिति सर्वथा बदल चुकी है। १० वर्ष के अन्दर हमारे देश में एक नया जीवन आया है और परतन्त्रता के पासे को काट कर स्वतन्त्रता की सांस ली है, और स्वतन्त्रता की सांस लेने के साथ हमने अनुभव किया है, कि हम सैकड़ों वर्षों से इतने दबे हुए रहे हैं, इतने पीड़ित रहे हैं, इतने दलित रहे हैं, कि हम अपनी उन्नति नहीं कर सके, और विशेषतः गांवों की उन्नति नहीं कर सके, उन किसानों की उन्नति नहीं कर सके, जिनके ऊपर सारा देश निर्भर है। आज एक माननीय सदस्य ने किसानों के नाम पर इस बिल का विरोध किया और विशेषतः इस आधार पर किया कि हम लोग यहां किसानों से वोट मांग कर आये है; किसानों से वायदे करके आये हैं। मैं भी कहता हूँ कि मैं भी किसानों से वोट मांग कर आया हूँ, मैं भी उनसे वायदे करके आया हूँ, इसलिए मुझे किसानों के हित को ख्याल में रखना चाहिये। लेकिन मैंने जो वायदे किये हैं; वे बतला दूं। मैंने वायदे किये हैं, कि मैं गांवों में नहर लाऊंगा, किसानों के लिये गांव में सड़कें लाऊंगा, किसानों के बच्चों के लिए स्कूल लाऊंगा, में गांवों में औषधालय व दवाखाने लाऊंगा और गांवों की बहबूदी के लिए जितनी सुख-सुविधायें होनी चाहिये, वह सरकार से लाऊंगा........

श्री भैरोंसिंह : किसानों के लिए कूए भी खुदवाऊंगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कूए भी होंगे, जोहड़ गहरे भी कराये जायेंगे। इन सारी चीजों के लिए मैंने वायदा किया है।...

एक माननीय सदस्य यह भी कहा था कि टैक्स भी लगा दिये जायेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ऐसे प्रश्न भी उठाये गये थे, जो टैक्स लगे हुये थे; जैसे तम्बाकू टैक्स, जो सेन्ट्रल टैक्स था, उसकी शिकायत मेरे सामने आई थी। मैं आपको बतलाऊं कि मैंने क्या उत्तर दिया था। यदि हमारे माननीय सदस्यों को यह खतरा है कि किसानों के सामने इन टैक्सों को बढ़ाने के बारे में, क्या जवाब देंगे, मैं संक्षेप में बता दूं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कि हम कह सकते हैं कि १० वर्ष से जब से स्वतन्त्रता आई है, हम उन्नति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर, बांदीकुई, जयपुर आदि जितने भी स्टेशन हैं, वहां पर किसानों को ठंडा पानी पीने को मिलता है, किसानों के लिये अच्छे मुसाफिरखाने बने हैं, किसानों के लिये हर सुख–सुविधायें पहुंचाई जा रही हैं। आज गांवों में टेलीफोन व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और सब सुख सुविधा देने की बात कहते हैं, अब से पहले गांवों की शहर के मुकाबले में उपेक्षा करते रहे हैं, अब वे सब सुख सुविधा गांवों में भी दी जा रही हैं, जिनसे मैं समझता हूँ कि किसान संतुष्ट हुए हैं। अब यदि माननीय सदस्य गांवों में जायेंगे, और उनसे कहा जायगा कि किस प्रकार टैक्स बढ़ाने की आप लोगों ने स्वीकृति दे दी, तो वे कह सकते हैं कि इस टैक्स के लगाने से गरीब किसानों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में बहुत कहा जा चुका है। यह तीन हजार की आय उन लोगों की होगी जिनकी असल आय १० हजार, १२ हजार रुपये की होगी। पूरी आमदनी में से सारा खर्चा कटने वाला है। किसानों की मालगुजारी पर बाद देनी होगी, सारी चीजों का, जो खेती के लिए जरूरी हैं, खर्चा काट देना होगा। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें निकालने के बाद, मालगुजारी निकालने के बाद, जो खर्चा है उसको निकालने के बाद, खेती के औजारों पर जो खर्चा होता है उसको निकालने के बाद, खाने पीने का जो खर्चा आता है उसको निकालने के बाद, सिंचाई का जो खर्चा आता है उसको निकालने के बाद, जो कम से कम तीन हजार की आय रहेगी, उस पर टैक्स देना होगा। यदि यह टैक्स छोटे छोटे व्यक्तियों पर होता, साधारण स्थिति में लगाया गया होता तो इसका विरोध किया जाना आवश्यक था। मैं भी उनमें होता जो इसका विरोध करते। लेकिन हमें समझना चाहिये कि हमारा देश आजकल असाधारण स्थिति में से गुजर रहा है। आज हमारे देश के सामने जीवित रहने का सवाल है, हमारे सामने सम्मान से जीवित रहने का सवाल है। आज हम देश को विकसित करना चाहते हैं, गांवों की उन्नति करना चाहते हैं, तो या तो हम परदेश से; विदेशों से, दूसरे राष्ट्रों से भीख मांगे, दूसरे राष्ट्रों से कर्जा लें, या दूसरा रास्ता यह है कि जो देश के रहने वाले हैं, ३६ करोड़ व्यक्ति हैं, वे थोड़ा थोड़ा त्याग करें, किसी रूप में त्याग करें और अपने देश का विकास करें। यह हम मानते हैं, इस बात के ऊपर हम अपना अहोभाग्य कह सकते हैं, कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आई है, उसमें पहले से कहीं ज्यादा रुपया खर्च करने जा रहे हैं, हमारे देश की तरक्की के लिए हम बहुत कुछ काम करने जा रहे हैं। तब हमें यह समझना चाहिये कि देश की, गांवों की तरक्की का काम होगा कहां से यह दुगुना तिगुना रुपया आयेगा कहां से? हम समझते क्या हैं, हम इसे अमेरिका से लेंगे? हमारे माननीय नेताओं की तथा केन्द्रीय सरकार की जो सबसे बड़ी नीति है और जैसा हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलालजी कहते हैं कि हमको कोई भी शर्त बाध्य नहीं कर सकती कि अमेरिका या रूस को हम किसी प्रकार अपना देश बेच दें। अगर उनकी सहायता लेंगे तो सम्मान के साथ लेंगे, हमारी जनता सम्मानपूर्वक जी सके, अन्यथा उनको भारतवर्ष की जनता पर विश्वास है, ३६ करोड़ जनता पर विश्वास है कि वे देश उन्नति के लिए सब कुछ त्याग करेंगे। उसी प्रकार का यह त्याग है, लेकिन

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हम यह त्याग उन लोगों से नहीं चाहते, जो पिछड़े हुए हैं, जो पहले से भूखे हैं, पहले से दरिद्र हैं, जिनको खाने-पीने में तकलीफ है, उनको त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। इतना थोड़ा सा त्याग हमको करना होगा अध्यक्ष महोदय। यह कहा जाता है कि गांवों की हालत देखते हुए तीन हजार की आय पर कर लगाना अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं, जो स्थिति देश की आज है, उसको देखते हुए यह आवश्यकता महसूस हुई कि पहले जो ६ हजार की आय पर टैक्स था, जो उसको घटा कर तीन हजार की आमदनी पर इसलिये लाये कि कुछ आमदनी इस प्रकार बढ़े और उस आमदनी को लेकर उसी प्रकार जनता को वापस कर दें। इस प्रकार के टैक्सों का कर देने का प्राचीन समय में विवेचन किया गया है। प्राचीन आचार्यों ने टैक्स लगाने की और खर्च करने की व्यवस्था बताई है। चाहे आप कौटिल्य अर्थशास्त्र को लें या शुक्र-नीति को देखें, उनमें आचार्यों ने शासक को सूर्य की उपमा दी है। सूर्य जिस प्रकार जलाशयों से महीने, दो महीने में पानी ले लेता है, जलाशय सूख तक जाते हैं लेकिन महीने, पन्द्रह दिन के बाद बहुत बड़ी तादाद में जलाशयों को भर देता है, नदी-नालों को भर देता है, और वह पानी बह कर समुद्र में जाता है, किसानों की खेती को उर्वरा बनाता है। वह सूर्य पानी को लेकर बैठ नहीं जाता। इसी प्रकार से जो जनता से पैसा लिया जाता है।

(घंटी)

वह जनता को सुख सुविधा के रूप में वापिस दे देते हैं। इसलिए इस प्रकार के टैक्स का विरोध समीचीन प्रतीत नहीं होता। सूर्य की तरह से हमारी जनतन्त्रीय सरकार उनसे पैसा ले। मैं कहता हूं कि आप विरोध करें, यदि इस पैसे को नाजायज तरीके से खर्च करते हैं। यदि यह कुछ थोड़े से, मुट्ठी भर लोगों के लिये, एक दो आदमी की सुख-सुविधा के लिये खर्च किया जाय तो इसका विरोध करें।

लेकिन मैं तो कहता हूं, कि जो राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता है, १ करोड़ साठ लाख जनता राजस्थान की है, उनमें से थोड़े लोगों से आय होगी, वह सब में वितरित कर दी जाये।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तो मैं इस प्रकार जो प्रस्ताव रखा गया है, कि इस बिल को प्रवर समिति में रखा जाय, उसका विरोध करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल को मूल रूप में ही पास किया जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूं, मेरी समझ में यह नहीं आया कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स दिए हैं, वे बिल्कुल साफ नहीं हैं, ऐसी क्या एनेसिशिटी थी कि वाकई में इस अमेन्डमेन्ट का लाना आवश्यक हुआ; जो पहले १६५३ का कानून निकला हुआ है वह काम नहीं देता और ऐसी चेन्जड स्थिति पैदा हो गई है कि जिसकी वजह से उसमें अमेडमेंट करना आवश्यक मालूम हुआ? जिन लोगों को टैक्स किया जा रहा है, क्या मन्त्री महोदय को मालूम है और सदन को मालूम है कि उनकी माली हालत इतनी अच्छी है कि वे लोग इस तरह के टैक्सेज़ को सहन कर सकेंगे?

Page No.96

(श्री अनोपसिंह)

जिन लोगों को आप टैक्स करना चाहते हैं, उनकी आप आज जो शान-शौकत देखते हैं, उनके बंगले देखते हैं उन सब लोगों पर कर्जा है। उनकी मोटरें दौड़ती हुई नजर आ रही हैं वे उनकी पुरानी जागीरदारियों का हैसियत पर हैं, अब उनकी जागीरें चली गई और थोड़े ही दिनों में देख लेंगे कि उनके पास न मोटरें हैं और न मकान हैं और यहां तक कि उनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। आप उन लोगों को टैक्स करने जा रहे हैं जिनके पास दरअसल कुछ नहीं हैं, उनके बड़े बड़े बंगले आपको नजर आते हैं पर उनमें फूस निकालने वाला कोई नहीं है, उनकी मोटरें दौड़ती हुई नजर आता हैं पर उनमें पेट्रोल डालने वाला कोई नही है; और आप उन्हें टैक्स करने जा रहे हैं!

माननीय अध्यक्ष, मैं तो कोई ऐसी स्थिति नहीं देखता कि यह अमेंडमेंट लाना जरूरी था। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे लाना जरूरी है·······

श्री श्रीमानसिंह: Is the Hon'ble Member supporting the P. S. P. member?

श्री अनोपसिंह: मैं यह अर्ज करूंगा कि ५३ में जो कर लगाया गया क्या वह पूरा नहीं हो रहा था, जो नया कर लाना जरूरी हुआ है या जो कर लोगों पर पहले से लगा हुआ है वह पूरा का पूरा वसूल हो गया है, उसकी वसूली के कोई झगड़े नहीं हैं, कोई केसेज पेंडिंग नहीं हैं, कोई केस नहीं चल रहा है और क्या गवर्नमेंट को मालूम हो गया है कि लोगों ने उस पहले वाले कर को पूरी तरह से सह लिया है और अब नया कर दे सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष, आप स्वयं जानते हैं और बहुत से माननीय सदस्य जानते होंगे कि टैक्सेज़ का सिद्धांत यह है कि हमारा समाज प्रोग्रेस करता जाय। इन प्रोपोर्शन टू दी प्रोग्रेस जैसे जैसे समाज प्रगति करता जाय टैक्सेज़ बढ़ाये जा सकते हैं और समाज कोई तरह की आपत्ति फील नहीं कर रहा हो और देना पसन्द कर रहा हो तो फिर बढ़ा सकते हैं। पर आपने जो पहले टैक्स लगा रखा है, लोग वह ही नहीं दे रहे हैं। झगड़े चल रहे है, केसेज चल रहे हैं, तय नहीं हो रहे हैं। लोगों ने पहले जो उनकी शान शौकत थी उसमें से काट काट कर, जो मुआवजा उनको मिलने वाला था उसमें से पैसे काट काट कर टैक्स अदा किया है। जब आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जागीरदार हैं उनके पास फार्म्स हैं, पर आपने उनकी सही, असली हालत जानने की कोशिश नहीं की, उनकी हालत तो बहुत बुरी है तथा कल और भी बुरी हो जायगी।

माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करूंगा कि जो बहुत बड़े बड़े फार्मस समझे जाते हैं और जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उनके पास ट्रैक्टर्स हैं, मशीनें हैं पर उनकी असली हालत क्या है, उनकी मशीनें और ट्रैक्टर्स किस तरह चल रहे हैं, कितना उनको मुनाफा हो रहा है, यह सब देखा जाय तो असलियत का पता चल जायगा। यह सब देखने से पहले आप कहें कि उनको मुनाफा है, पर इन सब बातों की जांच के बाद आपको पता चल जायगा कि दर असल उनको घाटा हो रहा है और उनको अपनी आंखों के

(श्री अनोपसिंह)

सामने एक ही समस्या दिखाई दे रही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक न एक दिन हमें भूखों मरना पड़ेगा, हमको खत्म होना पड़ेगा। वे लोग भी आपके खुद के, इसी देश के, राजस्थान के आदमी हैं जिन्होंने शायद राजस्थान के लिए बहुत सेक्रिफाइसेज़ किये होंगे, उनको रिहेबिलिटेट करने की आपकी जिम्मेदारी है; इससे फिरा जाता है, मुकरा जाता है तो इसमें आपकी तारीफ नहीं, आपके लिये फिक्र करने की बात नहीं। जिन्होंने तकावी लोन्स लिये हैं उनके खाते देखें तो आपको मालूम होगा कि उनके तकावी लोन्स की किश्तें वे अदा नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि जो कुछ प्रोड्यूस होता है कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चला जाता है, घरों में ट्यूब लाइट्स लगा सकें, पंखों के नीचे बैठ सकें, ऐसी स्थिति आज उनकी नहीं है। आज जो मोटरें उनके पास देखते हैं वे उनकी पहले की हैं। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि बहुत ठंडे दिमाग से सोचें कि जिन लोगों के लिये अमेंडमेंट ला रहे हैं, उनकी हालत वाकई में ऐसी नहीं है कि उन पर और टैक्स बढ़ाये जायं जिससे वे उसे सहन नहीं कर सकें। छोटे किसानों के ऊपर २००० से नीचे जिनकी आय है ऐसे किसानों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। ३० एकड़ चाई और ६० एकड़ बैरानी जमीन वाले किसान तो बहुत होंगे। बीकानेर का, जैसलमेर का एरिया है वहां पांच-पांच सौ, छः-छः सौ बीघा जमीनें कई एक किसानों के पास हैं, उन्हें एक तिहाई जमीन तो उसमें से इसलिये छोड़नी पड़ती है कि उसमें काश्त पैदा नहीं कर सकते, वह जमीन काश्त के लायक हो जाय, ठीक हो जाय इसलिये उसे पड़ी रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तीसरे साल अकाल पड़ गया तो वे क्या खायेंगे, उनका सारा दारोमदार इसी पर तो है, इसी से वे पंचायत टैक्स देते हैं, रेवेन्यु टैक्स अदा करते हैं और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स अदा करते हैं। उनके वहां पर दुष्काल पड़ जाय और आपके दरवाजे खट खटायें तो वे कुछ नहीं पा सकते। यह इस राजस्थान की हालत है, अध्यक्ष महोदय, जो आपसे छिपी हुई नहीं है। वहां पर अकाल भी १० साल में ३ दफा तो पड़ते ही हैं। यह हालत आपसे छिपी हुई नहीं है। ऐसी हालत में किसान ६० एकड़ बेरानी और ३० एकड़ चाई जमीन नहीं रखे, तो कैसे अपना गुजर कर सकता है? वह अगर ज्यादा जमीन नहीं रखे तो पड़त नहीं रख सकता पड़त नहीं रखता है तो उपज नहीं होती है, अकाल पड़ेगा उस वक्त उसका कौन होगा? आखिर उसके भी घर-बार है, बाल बच्चे हैं, इसका भी तो खयाल करना है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसे इस वक्त लाना ठीक नहीं है। थोड़े दिन और ठहर जाइये। जो बड़े बड़े हैं, जो आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, वे लोग सब जल्दी ही गरीब हो जायेंगे, उनकी असली हालत आपके सामने आ जायगी, उनके कल रोटी की समस्या पैदा हो जायगी। गरीब किसानों के नाम पर पर्दा डाल कर सिर्फ यह कह कर कि बड़ों पर टैक्स लगा रहे हैं, छोटों पर नहीं, तो फिर आप उन्हें साफ कह दीजिये कि ट्रैक्टर और मोटरें नीलाम कर दो, यह तो फिर आपकी प्रतिशोध की भावना हुई, गरीब किसानों को सामने रख कर आप वह करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आदमी आज तक बने हुए थे उनको खत्म कर दिया जाय।

Page No.98

श्रीमति डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स (कृषिआय कर) बिल पर विचार करने के लिये सदन के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत है। प्रजातन्त्रवाद की दुहाई देने वाले, गणराज्य का दावा करने वाले, समाजवादी रचना की घोषणा करने वाले और प्रतिनिधित्व के आधार पर गठित, इस सदन के सामने हमारे माननीय वित्त मन्त्री द्वारा, जो अपने आपको गांधी विचारधारा का अनुयायी मानते हैं और जिनको हम खुद सब कट्टर गांधीवादी विचार-धाराओं का पोषक मानते हैं, उनके द्वारा यह बिल सदन में प्रस्तुत हुआ, यह देख कर मुझे आश्चर्य और दुःख दोनों होते हैं।

(विरोधी दल की ओर से हर्षध्वनि)

आश्चर्य इसलिये होता है कि जिन सिद्धांतों को लेकर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन सिद्धान्तों को लेकर देश को विदेशियों के शासन से मुक्त कराया उन्ही सिद्धान्तों पर आज हम इस बिल द्वारा आघात करने जा रहे हैं। दुःख इसलिये होता है कि जहां एक तरफ हम शोषण को मिटाने की बातें करते हैं, समाजवाद की ओर जनता को ले जाने की बातें करते हैं उन सब सिद्धान्तों के विरोध का सामान इस बिल द्वारा हम तैयार करके यहां पर रख देते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सब इस बात को मानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान ही हमारे समाज की बुनियाद है, हमारे समाज की रीढ़ है। इसलिये उसके लिए किसी भी प्रकार के टैक्स आदि लगाने के लिये हमें सोच-समझ कर कदम उठाना बहुत जरूरी है जब मैं यह निवेदन करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं चाहते कि उनके लिये किस प्रकार का विकास कार्य न हो, उनके लिये सुख सुविधाएं न हों, उनके लिये सड़कें और नहरें न बनें, उनको कुए नहीं मिलें। मैं चाहती हूँ और सबसे पहले चाहती हूं कि उनको यह सब सुख-सुविधाएं मिल। मगर मैं आप सबसे, सबसे पहले यह पूछना चाहती हूं कि आपको इस प्रकार के आय कर लगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आप क्यों टैक्स लगाते हैं? सरकार इस प्रकार के मामलों में टैक्स लगा कर क्यों दलाल बनना चाहती है? मैं यह कहना चाहती हूँ कि सरकार यह टैक्स क्यों ले और उसको खजाने में जमा क्यों कराए और क्यों शासन में इसके लिये बहुत सा पैसा खर्च करे। ठीक है, अगर सरकार को इसकी व्यवस्था करने में किसी प्रकार से पैसा चाहिये तो इसके हिस्से में से कुछ ले ले। मगर सरकार को चाहिये कि वह छोटे छोटे गांवों में सहकारी समितियें बना कर यह काम उनके सुपुर्द कर दे और इस प्रकार टैक्सों से जो आमदनी हो वह उनके द्वारा ग्राम पंचायतों को दे दी जावे जो इसको कृषि की उन्नति में खर्च करे। यह जरूरी है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो गांव की तरफ से नहीं किये जा सकते। कुछ कार्य प्रान्तीय स्तर पर और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होते है। इसके लिये सरकार को उसमें से थोड़ा हिस्सा लेना चाहिये।

इसलिये मैं कहती हूं कि हमें इस प्रकार के करों को लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिये। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी वही प्राचीन परम्परा जिसको हमने उठाने के लिये आन्दोलन किये, जिसके लिये कहा करते थे कि राजा-महाराजाओं के समय में शासन सत्ता में शोषण है, आज उन्हीं बातों को इस बिल द्वारा हम जारी

Page No.99

(श्रीमती डॉ० चन्द्रकला)

रखना चाहते हैं एक नया नाम देकर। हमें देखना यह है कि इस बिल से वास्तव में काश्तकारों को और किसानों को राहत मिलेगी या नहीं। मैं एक बार नहीं, कई बार पहले भी कह चुकी हूं कि जब कभी हम किसी पर कर लगाते हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमें जन-शक्ति को अपने साथ लेना पड़ेगा। यदि जन-शक्ति हमारे साथ है तो हम किसी भी तरह का टैक्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर हमारी जनता टैक्स देने के लिये तैयार नहीं है तो बहुत संभव है कि वह इस बात को सुन कर आपका विरोध कर सकती है और आगे आपको असफल कर सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि हमें समय को पहिचानना पड़ेगा कि क्या हम किसानों का नाम लेकर, उनकी भलाई का नाम लेकर कहीं इस बिल द्वारा विरोध की भावना तो पैदा नहीं कर रहे हैं? आज हमें इन करों को लगाने और कार्यों को सफल बनाने के लिये यह देखना जरूरी है कि जनता इन करों को देने के लिए तैयार है या नहीं?

मैं यह कहूँगी कि हम संशोधन करने बैठे, हैं उसकी जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदया मुझे समझ में नहीं आता कि तीन हजार और छः हजार की आमदनी की बात यहां रखी गई है उसको आंकने का मापदण्ड क्या होगा; बोये हुए खेत के क्षेत्रफल या पैदावार से या किस प्रकार आमदनी आंकी जायगी? यह मूल्य निर्धारण करने वाला कौन होगा, किसान या सरकार? किसानों के यहां तो अभी बनिये नापते हैं और मैं यह कहूँगी कि बनिये धान से नापते हैं। जिस समय बनियों के यहां धान ले जाना होता है तो उसका मूल्य घट जाता है और जब किसानों को बनिया देता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रकार किसान हमेशा घाटे में रहता है और उसके पास खाने को अनाज नहीं रहता। किसान को सब से पहले अपना पेट पालने के लिये नाज चाहिये। उसको अभी आपकी नहरों और सड़कों के सुन्दर स्वप्न नहीं चाहिये।

इसलिये मैं आपसे यह कहूंगी कि अगर आपको इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को ही देना है तो आप दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं मगर उस सिलेक्ट कमेटी में ऐसे सदस्य रखे जावें जो किसान और सरकार दोनों के हितों के दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझते हों। मैं तो यह कहूंगी कि इस बिल को जनता के बीच में जनता की राय जानने के लिये प्रसारित करना चाहिये और थोड़े दिनों में जनता की राय लेकर इसको हाउस के सामने रखना चाहिये। अगर जनता टैक्सों के लिये तैयार हो तो आप इस टैक्स के अलावा किसी दूसरी आमदनी पर टैक्स ले सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगी कि जनता की राय ले लेनी चाहिये। हम पब्लिक को यह समझाएं कि हमारी सरकार शासक नहीं, संयोजक है, हम यहां पर जनता के संयोजक हैं। यही जनतन्त्र का तकाजा है।

(विरोधी दल द्वारा हर्ष-ध्वनि)

हमें जनता की राय की कद्र करनी चाहिये। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करती हूँ और अपना सुझाव देती हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को नहीं, बल्कि जनता की राय के लिये, जनता-जनार्दन के सुपुर्द करना चाहिये।

(विरोधी दल द्वारा हर्ष-ध्वनि)

श्री किशनाराम (रतनगढ) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आमदनी के बारे में टैक्स लगाये जाने की बात है उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। राजस्थान सरकार ने जो टैक्स किसानों पर लगाये हैं वे किसान किसी तरह से भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि किसानों की ऐसी स्थिति राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में है कि वे इस प्रकार के टैक्स नहीं दे सकते। मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में और तमाम दुनियां में किसान और मजदूर ही एक ऐसा वर्ग है जो × × ×

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, very objectionable words have been used :

× × × ×

I would like to draw your attention whether these are appropriate. The Hon'ble Member may be requested to withdraw themn.

श्री किशनाराम : आपने यह जो ऑब्जेक्शन उठाया हम उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री श्रीभानसिंह : I rise on a point of order. These words must be dropped.

श्री किशनाराम: आप हिन्दी में बोलिये, हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : आपने जो शब्द कहे हैं आपको नहीं बोलने चाहिये।

××श्री अध्यक्ष की आज्ञा से उक्त अभिव्यक्ति कार्य–विवरण में से हटाई गई।

श्री किशनाराम : हमको बोलने का अधिकार है। जो किसानों का दर्द है उसको हम आपके सामने कहना चाहते हैं और आप इस प्रकार का कर लगाकर उन किसानों को, जो आपकी रीढ़ हैं, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं दिया।

श्री किशनाराम : अगर इससे किसी को दर्द है तो हम उसकी परवाह नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : यहां पर आपकी परवाह और न परवाह का कोई प्रश्न नहीं है। आपको अगर बोलना है तो संसदीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए बोलें।

(सदन में यकायक शोर)

श्री मदनसिंह : आपके लिये नहीं, ये राजा महाराजाओं के लिए कहे....

श्री अध्यक्ष : आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिये। Then it is all the more objectionable that such words are used in the air.

श्री किशनाराम : किसानों पर इस प्रकार के टैक्स नहीं लगने चाहिये क्योंकि उनके पास होता ही क्या है? दुनियां की जितनी हकूमतें हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : जो शब्द इन्होंने कहे हैं वास्तव में वापिस लिये जावें।

श्री अध्यक्ष : These words are unparliamentary and we will expunge the same from the record.

श्री किशनाराम : अभी यहां यह देखा जा रहा है कि एक गरीब अगर कुछ बोलना चाहता है तो उसको दबाया जाता है और उसकी मजाक उड़ाई जाती है। मैं इसको सबसे बड़ा अन्याय समझता हूँ....

श्री जनार्दनराय नागर : मैं इसको मेम्बरों के ऊपर सीधा अटैक समझता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह ख्याल है कि इन शब्दों को माननीय सदस्य को वापिस लेना चाहिए।

श्री किशनाराम : जनाब, आपने हल अभी नहीं चलाया है इसलिये हम जैसे गरीब किसानों को दबाया जा रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I want the ruling of the Chair, Sir. He cannot utter such words.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं यह कहूँगा कि पहले जो शब्द यूज किये थे वे उचित नहीं थे और इन्हें वापिस ले लेने चाहिए। आपको बोलना ही है तो आप संसदीय परम्पराओं का पालन करें।

श्री किशनाराम : अच्छा ठीक है।

मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। आप ज्यादा पढ़े-लिखे हैं और मैं कम पढ़ा लिखा एक गरीब किसान हूं, लेकिन किसान का जब नाम आता है तो मैं इस चीज को जरूर जानता हूं कि जो यह कर लगाया जायगा वह किसानों के ऊपर ही वजन आकर पड़ेगा। किसानों के ऊपर जो इनकम टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स ऐसी चीज है कि वह किसानों की कमर तोड़ देती है। जब हम पहले से ही सरकार को रेवेन्यु रेट देते आ रहे हैं और इसके अलावा और भी दूसरी तरह के टैक्स देते आ रहे हैं तो फिर इसके बावजूद हमारे पास क्या बच जाता है कि जिससे हम सरकार को इनकम टैक्स भी दें? हम लाखों और किस्म की तकलीफें उठाते हैं। हम दो बजे हल जोतने के लिये जाते हैं। जरा आप ही हिसाब लगाइये कि कितना काम किसान को करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ ही सदस्यों को यह अनुभव होता होगा। उसके बाद में जब बारिश नहीं होती तो हम ६ महीने अपने पेट भरने की लालसा में बिना आमदनी के बैठे रहते हैं। हम बेचारे किसान किस तरह परिश्रम करते हैं और इसके बावजूद हमको क्या मुनाफा मिलता है, यह हम ही जानते हैं। यह एक एक्सपेरीमेन्ट है। अभी तक आपने किसानों की जगह नहीं ली है, उनका तो सिर्फ नाम ही सुना है। इसलिये मैं विरोध करूंगा कि किसान के ऊपर किसी तरह का इन्कम टैक्स नहीं लगना चाहिये। जब किसान ३॥ वर्ष का घाटा लेकर चलता है उस समय उसके सामने इन्कम टैक्स का सवाल आता है तो वह अपने साढ़े तीन साल का घाटा देखता है। घाटे से मेरा मतलब कर्ज से है।

(हंसी)

जब वह ३॥ साल का कर्जा लेकर चलता है तो हम यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान में जो सब से ज्यादा गरीब वर्ग है वह किसान और मजदूर है और उस पर भी टैक्स लगाया जाय, हम यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

किसान के घर में १० आदमी होते हैं उनकी कोई कोमत नहीं होता है। दो बजे हल जोतने के लिए जाते हैं श्रीमान् जी और फिर दो बजे ही लौटते हैं। रात को जाते हैं, दिन

(श्री किशनाराम)

भर काम कर के रात को दो बजे लौटते हैं। तो चौबसों घण्टे काम करते रहते हैं। यह हिसाब तो आप ही लगाइये, हमें तो याद नहीं है। उसको कोइ आराम नहीं मिलता है, वह आराम से खा नहीं सकता, आराम से रह नहीं सकता है, भगवान का दो मिनट भजन भी नहीं कर सकता है। वह तो यह सोचता है कि भगवान तू किसी तरह से हमारा दो टाइम पेट भर। हमारा संसद कानून बनाती है। गांवों में पटवारी आते हैं उनको तो हमें भगवान मान कर पूजना पड़ता है। तहसील दार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, पटेल होते हैं, पंच होते है और सरपंच भी होते हैं लेकिन किसानों के ऊपर आपने एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स का वजन डाला है, यह ठीक नहीं है। वह पढ़े लिखे नहीं है, न वह लिख सकते हैं, न हिसाब किताब रख सकते हैं, न वह रिकॉर्ड ही रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी राजस्थान सरकार ने यह सोच लिया कि हमें ऐसा ही करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यह थोड़े ही दिन बाकी हैं। हम आज समझे हैं, हमारे दोस्त कल समझ जायगे और फिर सारी जनता समझ जायगी। जब सभी जनता समझ जायेगी तब तब आपको नानी याद आएगी।

श्री जनार्दन राय : Point of order, Sir. "नानी याद आएगी"; is it a Parliamentary expression ?

श्री किशनाराम : हम नहीं बर्दास्त कर सकते कि आप हमारा खून चूसते रहें। राजस्थान का बच्चा बच्चा जब किसान के परिश्रम पर जीता है और आप उसी किसान के ऊपर इन्कम टैक्स लगाते हैं, किसानों को पता नहीं कैसे लिखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिये और उसके लिए कहते हैं कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाना है, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। हम 'क' नहीं जानते, 'ख' नहीं जानते, 'ग' नहीं जानते, 'घ' नहीं जानते और 'ङ' भी नहीं जानते।

(हंसी)

मैं सदन के सभी सदस्यों से यह कहता हूं कि कम से कम जिस चीज के ऊपर आप जीते हैं, जिसके परिश्रम पर आप जीते हैं उसके ऊपर आप टैक्स लगाते हैं!

इसके आगे मैं आप से यह कहूंगा कि मैं पहला सदस्य हूं जो राजस्थान विधान सभा में चुन कर आया हूं और करीब करब कई मन्त्रियों के दर्शन भी कर चुका हूं, लेकिन इस चीज से अभी पता चल गया कि गरीब और मजदूरों के सिवाय यहां कोई किसी की नहीं सुनता है।

(हंसी)

क्योंकि हमें बोलना नहीं आता है, हमारी शिक्षा ही ऐसी नहीं है कि हम पर कोई ध्यान दे। कपड़े हमारे पास नहीं हैं, दाढ़ी हमारी बढ़ी हुई है, चेहरा हमारा बदसूरत है क्योंकि हम किसान हैं। हमने खून दिया है। मैं इसका विरोध करता हूं और विरोध करने के साथ ही बैठ भी जाता हूं। इन्कम टैक्स अगर किसान के ऊपर लगेगा तो यह खतरे से खाली नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, काफी समय से एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के ऊपर बहस चल रही है कि इसे

(श्री लच्छूराम)

प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय या नहीं। अभी एक माननीय सदस्य ने इसके ऊपर एतराज किया और मैं समझता हूं कि वह वाकई एक किसान हैं। यह हो सकता है कि हाउस की पार्लियामेन्टरी लैंग्वेज़ को वह फोलो न करते हों, उनके बोलने का ढंग ठीक न हो, परन्तु मैं यह महसूस करता हूं और मैं यह समझता हूं कि सारा सदन ही महसूस करेगा कि माननीय सदस्य वाकई में किसान हैं और उनकी जो भावना निकल रही है, वह वास्तव में हृदय से निकल रही है। माननीय सदस्य ने, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनका भाषण सदन के सामने आया है; इसी से हम विचार लगा सकते है, इन्हीं बातों को सामने रखकर सोच सकते है कि वाकई में किसानों के सामने जब यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल जायगा तो उनको कितना रोष होगा उनके लिए यह कितना दर्दनाक बिल होगा? इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने हमारे सामने अपने विचारों को पेश कर दिया है। यह बात दूसरी थी कि उनका भाषण पार्लियामेन्टरी ढंग का न होने की वजह से सारे सदन ने उनके ऊपर कुछ हंसी और टीका-टिप्पणी मन ही मन के अन्दर की हो। परन्तु वास्तव में यह एक किसान की सच्ची आवाज है। तो सारे सदन को और खास तौर से माननीय सदस्यों को और मन्त्रीगणों को महसूस करना चाहिए कि जिस प्रकार की प्रक्रिया अभी हमारे माननीय सदस्य के बोलने से हमारे दिलों में हुई है, इसी प्रकार की प्रक्रिया किसानों के सामने जब यह बिल जायगा तो उनके मन में होगी और इसी प्रकार की प्रक्रिया सारे समाज में होगी।

अब मैं एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का सख्त विरोध करता हूँ। इस बिल में ऐसा दिया है कि सन् ५१ में हमने ६ हजार की आमदनी पर टैक्स लगाया था और अब इसमें संशोधन लाकर हमने तीन हजार तक की आमदनी पर टैक्स लगाया है। मैं तो इस नीति के ही सख्त खिलाफ हूँ। इसके मैं खिलाफ इसलिए हूँ कि हमारे सामने यह परम्परा भद्दे तरीके से आ रही है। मिसाल की तौर पर मैं आपको बताऊं कि लालाजी दुकान पर बैठे हुए थे और उनके पास में ही मुनीम जी भी थे। लालाजी की तोंद बड़ी थी, एक चुहिया आई और लालाजी के पेट पर से गुजर गई। इस पर लालाजी हंसे। मुनीमजी ने पूछा कि लालाजी किस बात पर हंसे? उन्होंने कह कर टाल दिया कि ऐसे ही हंस गया। लेकिन मुनीमजी पीछे पड़ गए और लालाजी से हंसने का फिर कारण पूछा। तो लाला जी ने कहा कि मैं तो इस बात के लिए हंसा कि आज तो इस तोंद के ऊपर से यह छोटी सी चुहिया आई है। परन्तु दुःख है यानि अफसोस है कि कभी हाथी इस तोंद के ऊपर से आने लगेगा तो इस तोंद का क्या हाल होगा? इसी प्रकार से आज हमारे सामने जो आंकड़े हैं उनमें ६ हजार से कम करके ३ हजार की आमदनी वाले पर टैक्स लगा दिया; हो सकता है कुछ समय बाद हमारे सामने इस प्रकार का कानून आ सकता है, उसमें ३ हजार के बजाय एक रुपये की आमदनी पर टैक्स लगाने का सवाल आ जाय। मैं तो इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो इस टैक्सेशन की पोलिसी का सख्त विरोध करता हूं, मैं तो टैक्स लगाने की नीति के ही खिलाफ हूं।

एक तरफ किसान लगान देता है, दूसरी तरफ इन्कम टैक्स भी। कुछ माननीय

(श्री लच्छूराम)

सदस्यों ने यह भी कहा कि आज का किसान काफी सुखी है, उसको आज बहुत राहत है। किसान को आज स्टेशन पर ठंडा पानी पीने को मिलता है, उसके लिये स्टेशनों पर टेली-फोन का इन्तजाम है। शहर के लोगों को जो फायदे हैं वे ही फायदे किसानों को मिल रखे हैं....

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह साम्यवादी नीति है ?

श्री लच्छूराम : आप सुनते जाइये, मैं आपको बताऊंगा कि साम्यवादी नीति क्या है ? माननीय सदस्यों ने कहा कि किसान को काफी राहत मिल चुकी है। आज का किसान थर्ड क्लास के डिब्बे में सफर करता है तो समाज को अखरता है। दूसरे वर्ग के लोग यह चाहते हैं कि किसानों को उतने फायदे नहीं मिलने चाहिये जितने हमको प्राप्त हैं। वे यह चाहते हैं कि किसान की सुविधायें और शहरों में रहने वाले द्वितीय (मध्यम) श्रेणी के लोगों की सुविधाओं में फर्क होना चाहिये। आज किसान को कुछ सुविधायें मिल गई, इससे आप यह चाहते हैं कि वे सुविधायें उन्हें प्राप्त न हों। आज आप कहते हैं कि उनके लिये कुए खुदवाये सड़कों, का जाल बिछाया, लेकिन यह किसान की सुविधा आंकने का तरीका आपका गलत है, आपका दृष्टिकोण ही गलत है। हमें इस दृष्टिकोण को लेकर नहीं चलना है। आज से कुछ वर्ष पहले जब किसान जागीरदार के खूंखार अत्याचार से पीड़ित था, उसको घोड़ों के पांवों के नीचे कुचला जाता था उस जागीरदार के पंजे से मुक्ति मिलने के बाद आज उसकी कितनी अच्छी हालत है इस दृष्टिकोण को हमें ध्यान रखना होगा ! इसके लिये हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के किसान वर्ग की ओर देखना होगा। जिस समय जागीरदारों के अत्याचार किसानों पर होते थे उन दिनों की किसान की स्थिति से आज की स्थिति को नहीं आंका जाना चाहिये। हमें इसके लिये पड़ोसी देशों की ओर देखना चाहिये। चीन और रूस के किसान की क्या हालत है ? मैं समझता हूँ कि जब मैं रूस का नाम लूंगा, कई हमारे साथी चमकेंगे....

श्री श्रीभानसिंह : आपको मालूम होना चाहिये, रूस में तो इस प्रकार का टैक्स लगता है, दो हजार रूबल से जिसकी आमदनी ज्यादा होती है उस पर यह टैक्स लगता है।

श्री लच्छूराम : मैं मानता हूँ वहां पर इस प्रकार का टैक्स है लेकिन वहां की टैक्स देने वाली जनता का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो हमें देखना होगा। वहां के किसान को रोटी और कपड़े के लिये मोहताज नहीं रहना पड़ता। हमारे यहां के किसान को पूरी तरह से पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अच्छा अन्न नहीं। आप देखेंगे, हमारे किसान लड़के दस साल तक गांवों में नंगे फिरते हैं। किसान सभी जगह हैं किन्तु हमारे देश के किसानों की हालत और रूस के किसानों की हालत में बहुत अन्तर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन किसानों का आपने जिक्र किया उन पर तो यह टैक्स लगेगा नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : यह टैक्स तो जमी-दारों पर है।

श्री लच्छूराम : (जारी रखते हुए) माननीय मन्त्री जी ने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। जहां तक साम्यवादी नीति का सवाल

Page No.105

(श्री लच्छूराम)

है हम एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स नीति के खिलाफ हैं। मैं तो टैक्सेशन की नीति के खिलाफ हूँ और खास कर किसानों पर टैक्स लगाने के खिलाफ हूँ। आज आपने ६ हजार की आमदनी से उठाकर ३ हजार की आमदनी पर टैक्स लगा दिया, हो सकता है, आप इसी तरह बढ़ते बढ़ते एक रुपये की आमदनी पर भी टैक्स लगाने का कानून बना सकते है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं; जब किसान लगान देता है तो उस पर टैक्स लगाने की क्या आवश्यकता? क्या आप जिन पर इन्कम टैक्स लगाते हैं; उस पर क्या दूसरे टैक्स भी लगाते हैं? आज हमारे राजस्थान में दो बीघा, चार बीघा और दस बीघा खेती के छोटे छोटे टुकड़ो पर लगान है। मैं यह मानता हूं, जो लगान देते हैं उन पर टैक्स लगाना जनतन्त्र की नीति के खिलाफ है। मैं इस टैक्स लगाने की नीति का घोर विरोध करता हूँ और इस पर भी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं इस पर उचित तरीके से विचार हो सकता है।

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं, मुझे बोलने दिया जाय लेकिन मेरा नम्बर ही नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक के सम्बन्ध में जो संशोधन आया है उस पर मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जहां तक इस कानून का सवाल है, जिस कानून द्वारा नया टैक्स लगाया जाता है, टैक्स की दरों में वृद्धि की जाती है, वैसे बिलों को जल्दी में पास करना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस संशोधन के जरिये हम यह कर रहे हैं कि जिन किसानों पर यह टैक्स नहीं लगता था उन पर भी टैक्स लगाये जाने का विचार है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के कानून को जल्दी जल्दी में पास नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूँ, अगर इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो प्रवर समिति में इस पर विचारों का आदान प्रदान भी ठीक प्रकार से हो सकता है और हर पार्टी के लोग उसमें आ सकते है और अपनी विचार-धारा रख सकते हैं। वहां पर पूरी तफसील में इस पर विचार हो सकता है, हाउस में उस हद तक विचार होना मुमकिन नहीं है।

इसके अलावा इस संशोधन का असर दूसरा यह होगा कि आज जब कि बड़े पैमाने पर खेती होनी शुरू हुई और "अधिक अन्न उपजाओ" के जरिये हम अधिक अन्न उपजाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके प्रचार के लिए राज्य सरकार लाखों रुपया खर्च करती है और लैंड कॉन्सोलिडेशन कानून के अन्तर्गत जब हम यह चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर खेती की जाय, कोऑपरेटिव बेसिस पर खेती की जाय, आधुनिक तरीके से खेती की जाय, इस प्रकार के संशोधन इनडाइरेक्टली बातों को डिसकरेज करेंगे। यह एक प्रकार से निरुत्साहित करने का प्रयत्न होगा क्योंकि आज हरेक व्यक्ति बड़े पैमाने पर खेती करने को उत्सुक है। ऐसी हालत में उसको टैक्सों के

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

अतिरिक्त भार वहन करने होंगे।

यह स्वाभाविक बात है कि हर मनुष्य स्वभाव से अपना फायदा चाहता है। इस संशोधन का असर यह होगा कि जहां बड़े पैमाने पर खेती होती है, जो बड़े बडे फार्म्स हैं जहां दो–चार आदमी मिलकर खेती करते हैं और अपनी आमदनी बांट लेते हैं इस कानून के बन जाने के बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैन्ड की टेन्डेन्सी को प्रोत्साहन मिलेगा, किसान जो १५० बीघा जमीन का मालिक है वह अपने नाम से उस जमीन को रखता था। अब क्या होगा कि वह अपने पाचों लड़कों के नाम से अलग अलग जमीन रखेगा, उसके बाद आमदनी जो होगी वह टेक्सेबल नहीं होगी। आज हमारे देश में जब बड़े बड़े फॉर्म्स खेती के चल रहे हैं, जहां हम इसकी प्रयोगावस्था में हैं यदि इस प्रकार का कानून उनकी इनीशियल स्टेज पर ही लग जाता है तो ऐसे फार्म्स को बड़ा धक्का पहुँचेगा और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को भी हानि होगी। इस कानून के जरिए जिस चीज को हम करने जा रहे हैं उससे फ्रेगमेन्टेशन ऑफ लैन्ड की टेन्डेन्सी को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे हमारे "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" की प्रगति में बाधा पहुँचेगी।

इसके अलावा यह कहा जाता है कि योजनाओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यता है इसलिये इसे स्वीकार कर लेना चाहिये, यह भी कहना उचित ही है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह धन उन लोगों के पास से आना चाहिये जो देने की क्षमता रखते हों, धनवान हों। किसान वह व्यक्ति है जिसकी आर्थिक हालत आम तौर पर अच्छी नहीं होती।

इस टैक्स से अब मध्यम श्रेणी वाला किसान टैक्सेबल हो जावेगा, उसे हिसाब रखना लाजिम हो जायगा। जब कि हम यह जानते हैं कि किसान पढ़ा-लिखा नहीं है, उसे फिर मजबूरन कानून की रिक्वायरमेन्ट के मुताबिक एक हिसाब लेखक रखना पड़ेगा, सौ पचास रुपया उसे देना पड़ेगा। इस माने में चाहे उस मध्यम वर्ग के किसान को टैक्स न भी देना पड़े पर हिसाब लेखक को सौ पचास रुपया देना उसके लिये लाजिम हो जायगा, अगर वह यह नहीं करेगा तो पग पग पर कानून की पकड़ में आयेगा और हो सकता है कि टैक्स से भी वह छुटकारा न पा सके। तो यह हिसाब लेखक का खर्चा उसके लिए कम से कम लाजिम हो जावेगा। इससे असन्तोष भी बढ़ेगा और सरकार के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा।

जो कुछ थोड़ा बहुत कलेक्शन सरकार को भी हुआ तो वह स्टाफ जो इसके लिए बढ़ायेगी उसमें चला जायेगा। इससे सरकार का धन एकत्रित करने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त "ग्रो मोर फूड कम्पैन" को आघात पहुँचेगा, फ्रेगमेन्टेशन ऑफ लैंड बढ़ेगा। इस तरह कुल मिलाकर ओन दी होल सरकार को कोई फायदा न होगा। बल्कि खामोखाह किसान वर्ग का असन्तोष सरकार के पल्ले पड़ेगा।

तो इस तरह से अगर इसे प्रवर समिति में भेज दिया गया तो इस तरह के और भी कई सुझाव सुनने में आ सकते हैं और उस सब को ध्यान में रख कर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। तो इसमें कोई एतराज नहीं

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

होना चाहिये। इसको जल्दी में पास करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इसमें काफी खामियां हैं। इस दृष्टि से इसे प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : मैं कृषि आय कर का घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो हमेशा ही बोलते हैं। कभी उनको भी बोलने दीजिए।

(घंटी)

श्री पृथ्वीराज (गंगापुर) : यह भ्रष्टाचार न फैलाइये। मैं तो यह कहता हूँ। हमको पटवारी सेले कर ऊपर तक इस मामले में चोंट कर खा जावेंगे। यह कैसे? जिस वक्त नुक्ते का टैक्स लगाया था उस वक्त तक नुक्ता तो पुलिस को करना पड़ता था, दूसरा मां बाप का करना पड़ता था। बड़ा झगड़ा हुआ था और उस काले कानून को बन्द करना पड़ा था। इसी तरह यह भी बन्द करना पड़ेगा। इस वास्ते मेरा तो प्रस्ताव यह है कि किसानों पर यह अत्याचार और पाप न बढ़ाया जावे।

श्री डूंगरसीदास (जमुआ रामगढ़) : यह कृषि आयकर लगाया जा रहा है, इसका मैं विरोध करता हूँ। किसान वर्ग एक पिछड़ा वर्ग है, वह अशिक्षित है। आपकी निगाह में यह होगा कि इस मंहगाई से किसान खुशहाल होगा!

जब घटा आती है, मेघ आता है, नया मौसम आता है तो मोर खुश होता है। उसी तरह से नई सरकार जब आई तो किसान थोड़ा खुश जरूर हुआ। परन्तु इस नई घटा में, इस नये मेघ में आज यह एक नई बिजली टूट कर किसानों पर पड़ रही है, यह घोर अनर्थ हो रहा है। किसान की खुशी मिट जावेगी, अगर किसान पर यह टैक्स लग गया तो, उस पर तो बिजली गिर जावेगी। किसान पहले ही बहुत से टैक्सों से दब पड़ा है, वह मुक्त नहीं है। जमीन का लगान, आबियाने चाई शेष का लगान, पानी का लगान, कर्जा लेने, तकावी लेवे तो उसको सूद देने का बोझा उस पर है। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो किसान के खेत में आकर मद्दे भाव पर अनाज ले लिया जाता है। तमाखू का कर उस पर है। पटवारी और दूसरे कर्मचारियों की भूख उसे मिटानी पड़ती है। किसान अज्ञान है। हम आपकी इन सब बातों का जवाब देने योग्य नहीं हैं। पढ़े लिखे हैं नहीं। पढे-लिखे होते तो जवाब देते और सब जान जाते। आज किसान दबा हुआ है, जवाब देने लायक नहीं है। अगर हम शिक्षित बन जावें तो इस लायक नहीं रहें। तो आज कृषक चारों ओर से दबा है। वह खुशहाल नहीं है।

आप चाहते हैं एक तरफ तो, कि किसान को ऊपर उठाया जावे; तो आप पहले उसे ऊपर उठावें, फिर उस पर बोझा आप डालें। अभी बच्चा है किसान। इसको जन्मे तो अभी आठ-नौ साल हुए हैं। इस आजादी के बाद किसान ने कुछ आराम की सांस ली है। अभी घुटने चलने लगा है। उसे अभी बढ़ने दीजिये। जब ताकतवर वह हो जावेगा तो जितना बोझा सरकार उस पर रक्खेगी वह खुशी के साथ उसको उठावेगा।

अब मेरा सुझाव यह है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जावे या इसे बिलकुल बन्द ही कर दिया जावे। आप

(श्री डूंगरसीदास)

समाजवाद की बात कहते है तो हम भी इसे चाहते हैं। हम चाहते है कि देश ऊंचा उठे, देश में समाजवाद आवे, तो आप टैक्स उन पर लगाओ जो धनवान हैं, जिनके पास काफी पैसा है, जिनकी मिलें चलती हैं, जिनके बड़े बड़े धन्धे हैं, व्यापार हैं। आप उनसे लीजिये। भूखों के पास से क्या लेंगे आप ? गरीबों से लेना आपको शोभा नहीं देगा। जयहिन्द।

श्री कालू : (मांडल) टैक्स, खेती पर टैक्स नहीं लगना चाहिये साहब। किसान पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिये, उतरना चाहिये। टिकस उस पर तो नहीं छपना चाहिये।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष की ओर से बहस का जवाब कल दिया जावेगा।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही, आज मध्यान्होत्तर ५ बजे, कल दिनांक २३ मई, ५७ को म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, २२ मई, सन् १९५७)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ३२४१

बुड़ावीत (त० बड़ोद) में श्री जी की मूर्ति का खण्डन।

लाडनू शहर में चुनाव के पश्चात् सर्जीकल वार्ड में मौतें।

पचपदरा तथा निकटस्थ ग्रामों में जलाभाव।

राजस्थान नहर की खुदाई एवं उसका भाग झुंझुनू जिले में।

पंचायत निर्माण में जनसंख्या माप-दण्ड।

सरकार द्वारा चलाये जाने वाले मुर्गीखाने।

बिजली वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त सिक्योरिटी डिपोजिट।

तहसील लालसोट तथा चाकसू में ए क्लास डिस्पेंसरीज की आवश्यकता।

ग्राम सांचोर में चैत्र सुद ११ को लगने वाला पशु-मेला।

न्यायालयों में महिला मजिस्ट्रेट्स एवं जजेज़।

बाड़मेर में बदबूदार व गन्दा नरकासर तालाब।

डांग (जि० भरतपुर) क्षेत्र के वन का सीमा-निर्धारण।

गत पांच वर्षों में काव्य कर्मचारियों के विरुद्ध दायर हुए भ्रष्टाचार के मुकदमें।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर की आय में सौ ग्रामों में व्यय होने वाली धन-राशि।

पाली जिले की सहकारी समितियां एवं उनको ऋण।

भीमगंज मंडी (कोटा) में जुआ रोकने के शासकीय प्रयत्न।

सांचोर में १९४८-४९ में नियुक्त राशनिंग एजेण्ट्स।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जि० बीकानेर में निर्माण होने वाली सड़कें।

कृषि कालेज उदयपुर द्वारा स्टाफ पूर्ति का विज्ञापन।

बारां नगरपालिका को पॉवर हाउस निर्माण हेतु एक लाख रुपया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली लगने वाले क्षेत्र।

ग्राम पंचायत खुरी (तहसील लालसोट) द्वारा मेले में वसूल किया जाने वाला टैक्स।

मेड़ता सब डिविजन में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने सम्बन्धी।

जिला जल बोर्ड्स के सदस्यों व पदाधिकारियों की नामजदगी।

भू० अजमेर राज्य में गांधी सरोवर की नींव।

Page No.110

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त० डेगाना में बनाई जाने वाली सड़कें।

सीकरी बंध से ग्राम पांडेका (त० भरतपुर) तक नहर।

पंचायत सेन्टर दादिया (त० सीकर) के पंच रामू का त्यागपत्र।

बिलाड़ा (जि० जोधपुर) में पॉवर प्लाण्ट की स्थापना संबंधी योजना।

रिकेट्स के निवारणार्थ मेडिकल एवं आयुर्वेदिक विभाग द्वारा प्रयत्न।

कुम्भलगढ़ व रेलमगरा में चलने वाले अस्पताल।

कोटा नगर के निकट स्थित गुलाबबाड़ी व चम्पाबाग के कलमी आमों का ठेका।

चुनावों में बोगस मत-दान करते पकड़े गये मत-दाता।

राजस्थान मोटर वेहिकल्स टैकेसशन एक्ट, १६५७ के अन्तर्गत विज्ञप्ति ३२६६

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संख्या डी० ३४२१/एफ. १०/१०/२१ दिनांक २२ अप्रेल, १६५७ की विज्ञप्ति सदन की मेज पर रखी गई।

पुरःस्थापित विधेयक ३२६६

सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् निम्नांकित विधेयक पुरःस्थापित किये गयेः—

१. राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेण्ट्स) अमेण्डमेण्ट बिल, १६५७

२. राजस्थान मिनिस्टर्स सेलरीज़ (अमेण्डमेण्ट) बिल, १६५७

राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) बिल, १६५७ ३३००

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पृथक राजस्व मन्त्री, ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उक्त बिल को विचारार्थ लिया जाय। इस पर श्री दया-कृष्ण ने उक्त बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस संबंध में हुए वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लियाः—

१. श्री तनसिंह
२. श्री लक्ष्मीचन्द
३. श्री रघुवीरसिंह
४. श्री सोहनलाल भटनागर
५. श्री पुरुषोत्तमलाल
६. श्री श्रीमानसिंह
७. श्री मदनसिंह
८. श्री मूलचन्द डागा
९. श्री टीकाराम पालीवाल
१०. श्री जनार्दनराय नागर
११. श्री रामेश्वरदयाल
१२. श्री राजाराम
१३. श्री मनोहर कोठारी
१४. श्री हरिश्चन्द्र
१५. श्री मोहरसिंह

Page No.111

६. श्री हरिदेव जोशी
७. श्री भोलानाथ
८. श्री पी. के. चौधरी
९. श्री मुरलीधर व्यास
०. श्री नरेन्द्रसिंह
१. श्री होतीलाल
२. श्री अर्जनदास
३. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
४. श्री अनोपसिंह
५. डॉ. चन्द्रकला
६. श्री किशनाराम
७. श्री लच्छूराम
८. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
९. श्री पृथ्वीराज
०. श्री डूंगरसीदास
१. श्री कालू

बृहस्पतिवार, दिनांक २३ मई, १९५७ की कार्य-सूची

१. राजस्थान मोटर वैहिकल्स टैक्सेशन (अमेण्डमेण्ट) बिल, १९५७ का पुरः स्थापन।

२. निम्नलिखित विधेयकों पर खण्डशः विचार-विमर्श उनका एवं पारण।

(क) राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स) विधेयक, १९५७

(ख) राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेण्डिंग एण्ड एक्सटेण्डिग) बिल, १९५७

३. राजस्थान रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डैटेडनेस बिल, १९५७, पर विचार-विमर्श।

२४६२]

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २८७ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या सहकारी समितियों के नाम जो पाली तहसील में कार्य कर रही हैं :

१. हेमावास कोआॅपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ।
२. बाला ,, ,, ,,
३. पाली मोचियान को० ,, ,,
४. तेवालीरेगरान ,, ,, ,,
५. मण्डिया ,, ,, ,,
६. मानपुर किरान की ढानी को० थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी
७. मार्केटिंग एण्ड इन्डस्ट्रियल फेडरेशन ।
८. तेवाली उत्पादक को० सोसाइटी
९. पाली ,, ,, ,,
१०. मण्डली बहुधन्धी सहकारी समिति
११. गुडाई ,, ,, ,,
१२. सरदारसमँद ,, ,,
१३. महादेव बहुधंधी सहकारी समिति तेवाली
१४. मालेराव ,, ,, ,,
१५. खेरवा ,, ,, ,,
१६. पाली सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक लि०
१७. श्री मांवरी सैन्दरया बहुधन्धी सहकारी समिति
१८. खारडा सोरा उत्पादक सहकारी समिति
१९. श्री हरिजन उत्पादक सहकारी समिति
२०. जयतपुर बचत साख सहकारी समिति
२१. देनोलो बहुधन्धो सहकारी समिति
२२. केन्द्र बहुधन्धी सहकारी समिति

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २६१ का उत्तर देखिये)

Roads provided in 2nd Five Year Plan—Bikaner District.

S. No.	Name of Work	Estimated Cost.	Mileage.	Amount for Second Five Year Plan	Mileage. in 2nd Five year plan.
1.	Metalled road from Bikaner to Dungargarh.	5,00,000	20 M.	20,000	—
2.	Gravelled road from Bikaner to Chattargarh.	3,84,000	48 G.	3,84,000	48 G.
3.	Metalled road Bikaner to Lunkaransar Via Dalwera.	11,00,000.	44 M.	11,00,000	44 M.
4.	Bitumen treatment of Bikaner Nagaur Road (P.L.)	48,000	4 P.	48,000	4 P.
5.	Gravelled road from Bikaner to Bap (Remaining miles)	2,60,000	18 G.	60,000	4 G.
6.	M/R from Sujan Desar to Baha Dalom Nath Ji Ka Dora.	10,000/	½ M.	10,000/-	½ M.
7.	B/T of Approach road to Shive Bari.	30,000	1½ P.	30,000	1½ P.
8.	Link road from Jambhaji's temple Mukam to Bikaner Delhi Road.	8.000	¼ M.	8,000	¼ M.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २६६ का उत्तर देखिये)

Names of towns and villages whose population is 5000 and above.

Group	S. No.	Name of place.	REMARKS.
I	1.	Jodhpur.	These have been taken as new schemes which will be fed by transmission lines from the Central Thermal Power Stations.
	2.	Bilara.	
	3.	Sojat.	
	3.	Pipar Road.	
	5.	Kaparda.	
	6.	Bhilwara.	
	7.	Shahpura.	
	8.	Bharatpur.	
	9.	Deeg.	
	10.	Mica mines near Shahpura.	
II	1.	Kishangarh.	These include places under the scheme 'Development of Thermal Power Station' which is carried over from the first Five Year Plan. This scheme incorporates augmentation and renovation of the generating capacities and the distribution systems in the various existing State of power stations. Similarly the places mentioned under Group I have already been electrified but their names have been mentioned as they are still in the new schemes.
	2.	Jhalawar.	
	3.	Hindaun.	
	4.	Karauli.	
	5.	Newai.	
	6.	Tonk.	
	7.	Dungarpur.	
	8.	Sagwara.	
	9.	Dholpur.	
	10.	Bari.	
	11.	Gundaria.	
	12.	Kesarbag.	
	13.	Bhilgawan.	
	14.	Nibhi.	
	15.	Kund.	
	16.	Salimabad.	
	17.	Jaisalmer.	
	18.	Alwar.	
	19.	Bharatpur.	
	20.	Jaipur.	
	21.	Bikaner.	
	22.	Kotah.	
	23.	Jamsar.	
	24.	Dausa.	
	25.	Lalsot.	

Gronp	S. No.	Name of place.	Remarks.
	26.	Didwana.	
	27.	Bamanwas.	
	28.	Gangapur.	
	29.	Phulera.	
	30.	Kuchaman City.	
	31.	Kuchaman Road.	
	32.	Sambhar.	
	33.	Makrana.	
BHAKRA NANGAL BY 1958.			
III			
	1.	Sri Ganganagar.	
	2.	Hanumangarh New Township.	
	3.	Hanumangarh Fort.	
	4.	Chautala Road.	
	5.	Pillibanga.	
	6.	Suratgarh.	
	7.	Sadulshahr.	
	8.	Sarupsar.	
	9.	Jetsar.	
	10.	Bijeynagar.	
	11.	Raisinghnagar.	
	12.	Gajsinghpur.	
	13.	Karanpur.	
	14.	Kesrisinghpur.	The places which are going to be supplied Bhakra Nangal Hydro Electric Power.
	15.	Prithvirajpur.	
	16.	Rajgarh.	
	17.	Bhadra.	
	18.	Nohar.	
	19.	Pilani.	
	20.	Jhunjhunu.	
	21.	Chirawa.	
	22.	Surajgarh.	
	23.	Khetri.	
	24.	Ratangarh.	
	25.	Sardarshahr.	
	26.	Churu.	
	27.	Ratangarh.	
	28.	Ramgarh.	
	29.	Bisau.	

Group	S. No.	Name of place.	Remarks.
	30.	Fatehpur.	
	31.	Lachmangarh.	
	32.	Sikar.	
	33.	Nawalgarh.	
	34.	Rajaldesar.	
	35.	Momasar.	
	36.	Parsneu.	
	37.	Talchhapar.	
	38.	Sujangarh.	
	39.	Bidasar.	
	40.	Sandwa.	
	41.	Jaswantgarh.	
	42.	Ladnun.	
	43.	Bikaner.	
	44.	Nal.	
	45.	Kodamdesar.	
	46.	Gajner.	
	47.	Kolayat.	
	48.	Gangashahar.	
	49.	Bhinasar.	
	50.	Udramsar.	
	51.	Palana.	
	52.	Deshnoke.	
	53.	Surpura.	
	54.	Himatsar.	
	55.	Nokha.	
	56.	Devikundsagar.	
	57.	Napasar.	
	58.	Dulchasar.	
	59.	Sudsar.	
	60.	Dungargarh.	
	61.	Jamsar.	
	CHAMBAL BY 1960-61.		
IV			
	1.	Kotah.	The places to be electrified from the Chambal Hydro Electric Scheme in the first stage. Other localities have not been included as
	2.	Bundi.	
	3.	Lakheri.	
	4.	Sawai Madhopur.	
	5.	Newai.	

Group	S. No.	Name of place.	Remarks.
	6.	Lanasthali.	phasing of Rana Pratapsagar Dam has not been decided as yet.
	7.	Tonk.	
	8.	Gangapur.	
	9.	Hindaun	
	10.	Karauli	
	11.	Jaipur.	The places to be electrified from the Chambal Hydro Electric Scheme in the first stage. Other localities have not been included as phasing of Rana Pratapsagar Dam has not been decided as yet.
	12.	Phulera.	
	13.	Sambhar.	
	14.	Nawa.	
	15.	Makrana.	
	16.	Dausa.	
	17.	Kuchaman	
	18.	Bhilwara	
	19	Kishangarh	
V			
	1.	Bilara	
	2.	Sojat	The localities included are under the scheme ' Urban and Rural Electrification to provide employment opportunities" This scheme though sanctioned under the First Five Year Plan has to be carried over and electrification in these localities will only take place under the Second Five Year Plan.
	3.	Nagore	
	4.	Jaipur	
	5.	Chitto garh	
	6.	Jalore	
	7.	Alwar	
	8.	Jaipur	
	9.	Reengus	
	10.	Siwana	
	11.	Jilota	
	12.	Nimbahera	
	13.	Patan Mewan	
	14.	Shyamaka	
	15.	Ismailpur	
	16.	Khairtal	
	17.	Dantla	
	18.	Nangla Doongar	
	19.	Nangal Manjia	
	20.	Lissana	
	21,	Noornagar	
	22.	Baskirpalnagar	
	23.	Kishangarh.	
	24.	Gunj	

Group	S. No.	Name of place.	Remarks.
	25.	Tohnoli	
	26.	Jhirandia	
	27.	Sirmoli	
	28.	Milakpur	
	29.	Karoli	
	30.	Baldeobaw	
	31.	Chikani	
	32.	Bahadurpur Taraf Pahari	
	33.	„ „ Joria	
	34.	„ „ Katra	
	35.	„ „ Kanungoan	
	36.	„ „ Meran	
	37.	Kithor	
	38.	Rata Khurd	
	39.	Rata Kalan.	
	40.	Basai Jagta	
	41.	Basai Balan	
	42.	Nasirabad	
	43.	Sumerpur	
	43. a.	Sheoganj	
	44.	Deedwana	
	45.	Daulatpur	
	46.	Toda Bhim	
	47.	Rajsamand	
	48.	Kankroli	
	49.	Hundarsa	
	50.	Deotri	
	51.	Baran	
	52.	Sawai Madhopur	
	53.	Taranagar.	
	54.	Jhunjhunu.	

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २७८ का उत्तर देखिए ।)

सूची व्यय एवं आमदनी दिखाते हुये बाबत सरकारी मुर्गीखानों के

जयपुर, उदयपुर और अजमेर ।

सन् १९५४–५५, ५५–५६, ५६–५७.

	व्यय १९५४–५५	आमदनी	व्यय १९५५–५६	आमदनी	व्यय १९५६–५७	आमदनी
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
जयपुर	१०,४६२–६– ०	२६५१–१२–०	१०६१७–३– ०	३८७०–१४– ०	३२८६–६– ०	३१८१–३– ३
उदयपुर	५,८६८–५– ०	२६००– (लगभग)	५६७१	३००० (लगभग)	४७६४–५– ०	३१०० (लगभग)
अजमेर	२०,०४०–११– ६	६१२६–१५–६	२०२६०–९– ०	६०१९–४– ६	२२५०७–१३– ३	६५१४–१४–०

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, बुधवार, दिनांक २२ मई, १९५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३२७६	पंक्ति १७ से नीचे	कार्य अच्छा हा रहा है।	— (हंसी)
३२९८	१० व २३	श्री प्रभुदयाल	श्री प्रभुलाल
३२९९	२९	एण्ड मेम्बर्स इमेल्य,मेएट्स)	एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेण्ट्स)
३३००	२३	राजस्थान राजस्व वित्त	राजस्थान वित्त
३३०१–३३६८	१	राजस्थान (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५७	राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५७
३३१४	२	किसानों के उन ऊपर	किसानों के ऊपर
३३१९	१९	बोरिश हो जायगी, उस बोरिश के	बारिश हो जायगी, उस बारिश के
,,	२२	किसान बोरिश के समय	किसान बारिश के समय
३३२२	अन्तिम पंक्ति	इस ननीजे पर	इस नतीजे पर
३३२३	२२	६० एकड़ असिंन्वित एक तरफ	६० एकड़ असिंचित । एक तरफ
,,	२४	इस एकड़ इर्रिगेटेड	३० एकड़ इर्रिगेटेड
३३२८	६	उसका उल्लघन करेंगे	उसका उल्लंघन करेंगे
३३३३	३	inb omation supplied by	in fomation supplied by
३३३६	३०	whose yeld	whose yield.
३३३८	८	their initative	their initiative
३३३९	२४	must beasked to	must be asked to
३३४३	२३	खुद काश्त वे नाम पर	खुद-काश्त के नाम पर
३३४५	१२	सहहिप्त टैक्स भी देना	सहायता टैक्स भी देना
३३४७	४	की गेद मे बिठा दिया गया है	की गोद में बिठा दिया गया है
३३५३	१६	बारे में आमतौ से अनुमान	बारे से आमतौर से अनुमान
३३५५	२	(श्री जनार्दनराय गगर)	(श्री जनार्दनराय नागर)
३३५८	२७	हम बात ही ट	हम बहुत ही टंडे
३३६५	६	है हव भी १०० रुपया	है वह भी १०० रुपया
३३६६	अन्तिम दो पंक्तियें	श्री सभापति (सज्जनसिंह) : श्री मनोहर (कोडारी)	श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : श्री मनोहर कोठारी ।
३३७०	६	जागीरदारों काक्यों नाम	जागीरदारों का क्यों नाम
३३७७	३–४	जिन्होंने बिजली हमें कानून बनाने के लिए भेजा है उनकों पंखों की चकाचौंध	जिन्होंने हमें कानून बनाने के भेजा है उनकों बिजली की चकाचौंध

१	२	३	४
३३७६	७–८	उन्नति कसानो उन्नति की पर निर्भर है ।	उन्नति किसानों की उन्नति पर निर्भर है
३३८१	अन्तिम दो पंक्ति	उस ॰ टैक्स लगन वाला	उस पर टैक्स लगाने वाला
३३८५	अन्तिम पंक्ति से तृतीय	उसका शोषण फरने वाला	उनका शोषण करने वाला
३३८७	३१–३२	कामून के रूप में सारे राजस्थान में किय गया	कानून के रूप में सारे राज-स्थान में किया गया
३३९७	१२	टैक्स लगेंगे वेसे ही समाजवा की	टैक्स लगेंगे वैसे ही समाज-वाद की
३४००	१५–१६	के साथ सोचना हैं ।	के साथ सोचना है
,,	२१	एक बार की से कुछ न कुछ	एक बार की बारिश से कुछ न कुछ
,,	२५	टैक्स लग जायागा	टैक्स लग जायगा
३४०१	२४	आप जइये वहां पर	आप जाइये वहां पर
३४०६	॰	(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)	(श्री होतीलाल)
३४१०	२६	अ मेन्ट तमाखू टैक्स	अमेन्डमेण्ट तमाखू टैक्स
,,	३१	ा प्रश्न है उसमें	का प्रश्न है उसमें
,,	,,	ौर फैसला करने वास	और फैसला करने वाला
३४११	२६	होगी और उसी हिसाब	होगी और उसी हिसाब से
३४१४	२४	ओपियनियन का यह पब्लिक	ओपिनियन । यह पब्लिक
,,	२५	ओपियनियन सबसे बड़ा	ओपिनियन करीब से बड़ा
३४१५	१	वित्त (कषि अय–कर)	वित (कृषि आय–कर)
,,	१२	(टी)	(चंटी)
३४१६	२	(श्री मदनसिंह दाता)	(श्री मदनसिंह दाता)
३४२३	१	राजसथान वित्त	राजस्थान वित्त
३४२५	३२	के पासे को काट कर	के पाश को काट कर
३४२८	२६	हम समझते कय हा	हम समझते क्या हैं
३४३१	१५	नजर अते हैं	नजर आते हैं
,,	१७	नजर आत है	नजर आती हैं
३४३३	१३	आपके लिए फिक्र करने की बात	आपके लिये फिक्र करने की बात
३४३६	१४	बहुत सरा पैसा खर्च करे ।	बहुत सारा पैसा खर्च करे

१	२	३	४
३४३६	२१–२२	to withdrawth emn	to withdraw them
३४४१	११	सदस्य को वपिस लेना	सदस्य को वापिस लेना
३४४५	१२	कि ान है और	किसान हैं और
३४४८	५	आंका जना चाहिये	आंका जाना चाहिये
३४५६	२३	टैकेसशन एक्ट	टैक्सेशन एक्ट